G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट
2022-2023

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

विषय वस्तु

1.	**उपलब्धियों का सिंहावलोकन**	**1–10**
	पशुधन वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार की पहल वार्षिक योजना 2021–22 और 2022–23	
2.	**संगठन**	**11–18**
	संरचना	
	कार्य	
	अधीनस्थ कार्यालय	
	वैधानिक/स्वायत्त निकाय	
	शिकायत प्रकोष्ठ	
	अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्ति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी	
	सतर्कता एकक	
	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	
	सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन	
	अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा अन्यों के लिए आरक्षण	
	महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना	
	न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन	
3.	**गोपशु विकास**	**19–60**
4.	**डेयरी विकास**	**61–78**
5.	**पशुपालन**	**79–90**
6.	**पशुधन स्वास्थ्य**	**91–110**
7.	**व्यापारिक मामले**	**111–114**
8.	**अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)**	**115–118**
9.	**महिलाओं का सशक्तिकरण**	**119–122**

10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 123–126

11. जीव–जंतु कल्याण 127–136

12. क्रेडिट, विस्तार और प्रचार 137–148

13. विभागीय लेखा संगठन 149–162

अनुबन्ध

I. 20वीं पशुधन संगणना–2019 के दौरान राज्यवार पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या 165

II. पमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन – अखिल भारतीय 167

III. वर्ष 2021–22 और 2022–23 (06.01.2023 तक) के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय 169

IV. संगठनातक चार्ट 170

V. पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित विषयों की सूची 173

VI. पशुपालन और डेयरी विभाग के संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों की सूची 175

VII. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम' के तहत वित्तीय प्रगति (31.12.2022 तक) 177

VIII. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत वास्तविक प्रगति (31.12.2022 तक) 178

IX. राज्यवार पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या (31.03.2022 तक) 181

X. सभी एक्यूसीएस केंद्रों से ली गई पशुधन और पशुधन उत्पादों की आयात/निर्यात 183

XI. विभाग द्वारा स्वीकृत राज्यवार एमवीयू 187

XII. एफएमडी के लिए टीकाकरण किए गए पशुओं का राज्यवार प्रतिशत विवरण 188

XIII. वर्ष 2022 (जनवरी–दिसंबर) के दौरान भारत में पशुधन रोगों की प्रजाति–वार घटनाएं 190

XIV. पशुपालन और डेयरी विभाग के लेखा संगठन 191

संक्षिप्ताक्षर 192

अध्याय–1

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

1.1 जब से सभ्यता प्रारम्भ हुई है, तब से कृषि सहित पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन से संबंधित कार्यकलाप मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बने रहे हैं। इन कार्यकलापों ने न केवल खाद्य और भारवाही पशु शक्ति में योगदान दिया है बल्कि इनसे पारिस्थिति की सन्तुलन भी बनाए रखा गया है। सहायक जलवायु और स्थलाकृत्ति के फलस्वरूप, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्रों की भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक भूमिका रही है। पारम्परिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का भी इन कार्यकलापों को जारी रखने में योगदान रहा है। ये कार्यकलाप लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.2 पशुधन उत्पादन तथा कृषि आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक–दूसरे पर निर्भर हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था तथा कृषि का एक महत्वपूर्ण उप–क्षेत्र है। यह अधिकांश किसानों के लिए जीविका का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है, यह महत्वपूर्ण आदानों के रूप में खेती में सहायता कर रहा है, परिवार के स्वास्थ्य और पोषाहार में योगदान दे रहा है, आय को अनुपूरक कर रहा है, रोजगार के अवसरों की पेशकश कर रहा है, और अन्ततः जरूरत के समय यह भरोसेमंद खेती के पशुओं का बैंक है। यह सम्पूरक और अनुपूरक उद्यम के रूप में कार्य करता है।

1.3 जुलाई 2020–जून 2021 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी–2008) के उद्योग समूह 014 (पशु उत्पादन) और उद्योग समूह 015 (मिश्रित खेती) में लगे सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में श्रमिकों का अनुमानित प्रतिशत) नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिकाः पीएलएफएस, 2020–21 के दौरान एनआईसी–2008 के उद्योग समूह 014 और 015 में लगे आम तौर पर कार्यरत व्यक्तियों (पीएस+एसएस) का प्रतिशत

एनआईसी–2008 के अनुसार उद्योग समूह (3–अंकीय कोड)	उद्योग समूह का विवरण	आम तौर पर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत (पीएस+एसएस)
014	पशु उत्पादन	3.48
015	मिश्रित खेती	2.03

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, 2020–21

व्याख्यात्मक नोटः

(i) **कर्मियों की परिभाषा (नियोजित व्यक्ति):** वे व्यक्ति, जो संदर्भ अवधि के दौरान, किसी आर्थिक गतिविधि में लगे थे या वे, जो आर्थिक गतिविधियों के प्रति अपने लगाव के बावजूद, बीमारी, चोट या अन्य शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम, त्यौहारों, सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यों या अन्य आकस्मिक गठित कर्मियों के कारण अस्थायी रूप से कार्य से दूर हो गये थे।

(ii) सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) कर्मियों की परिभाषाः सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस)में कर्मियों को सामान्य प्रिंसिपल स्टेट्स (पीएस) और सहायक स्थिति (एसएस) पर एक साथ विचार करके प्राप्त किया जाता है। सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के कर्मियों मे निम्न व्यक्ति शामिल हैं (क) वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अपेक्षाकृत लंबे समय तक काम किया था और (ख) शेष आबादी में से वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम 30 दिनों तक काम किया था।

1.4 भारत में पशुधन और कुक्कुट के व्यापक संसाधन हैं जिनकी ग्रामीण लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन बोवाईन, 74.26 मिलियन भेड़ें, 148.88 मिलियन बकरियां और लगभग 9.6 मिलियन सूअर हैं। पिछली दो संगणनाओं के दौरान पशुधन में पशुओं की संख्या और कुक्कुट की संख्या का प्रजाति–वार ब्यौरा **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1 पशुधन और कुक्कुट की आबादी

क्र.सं.	प्रजातियां	19वीं पशुधन संगणना 2012 (सं.मिलियन में)	20वीं पशुधन संगणना (सं.मिलियन में)	विकास दर (%) 2012–19
1	गोपशु	190.90	193.46	1.34
2	भैंस	108.70	109.85	1.06
3	याक	0.08	0.06	-24.90
4	मिथुन	0.30	0.39	29.52
कुल बोवाइन		**299.98**	**303.76**	**1.26**
5	भेड	65.07	74.26	14.13
6	बकरी	135.17	148.88	10.14
7	सूअर	10.29	9.06	-12.03
8	अन्य पशु	1.54	0.79	-48.70
कुल पशुधन		**512.06**	**536.76**	**4.82**
9	कुक्कुट	729.21	851.81	16.81

पशुधन और कुककुट आबादी की विभिन्न प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध–I** में दिया गया है।

1.5 पशुधन उत्पादन

1.5.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), एमओएसपीआई द्वारा 31 जनवरी, 2022 को जारी "राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमान 2020–21 संबंधी प्रेस नोट के पहले संशोधित अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन चालू मूल्यों पर लगभग 11,14,249 करोड़ रुपये है जो कृषि और सहायक क्षेत्र जीवीए का लगभग 30.87% और कुल जीवीए का 6.17% है।

स्थिर मूल्यों (2011–12) पर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पशुधन क्षेत्र का जीवीए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.13% की सकारात्मक वृद्धि के साथ लगभग 6,17,117 करोड़ रू. है।

1.5.2 दूध का उत्पादनः भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान दुग्ध उत्पादन क्रमशः 209.96 मिलियन टन और 221.06 मिलियन टन है, जो 5.29% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। 2021–22 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 444 ग्राम प्रतिदिन है। 2011–12 से 2021–22 तक दूध का उत्पादन तथा प्रति वर्ष संगत विकास दर (%) नीचे दी गई है:–

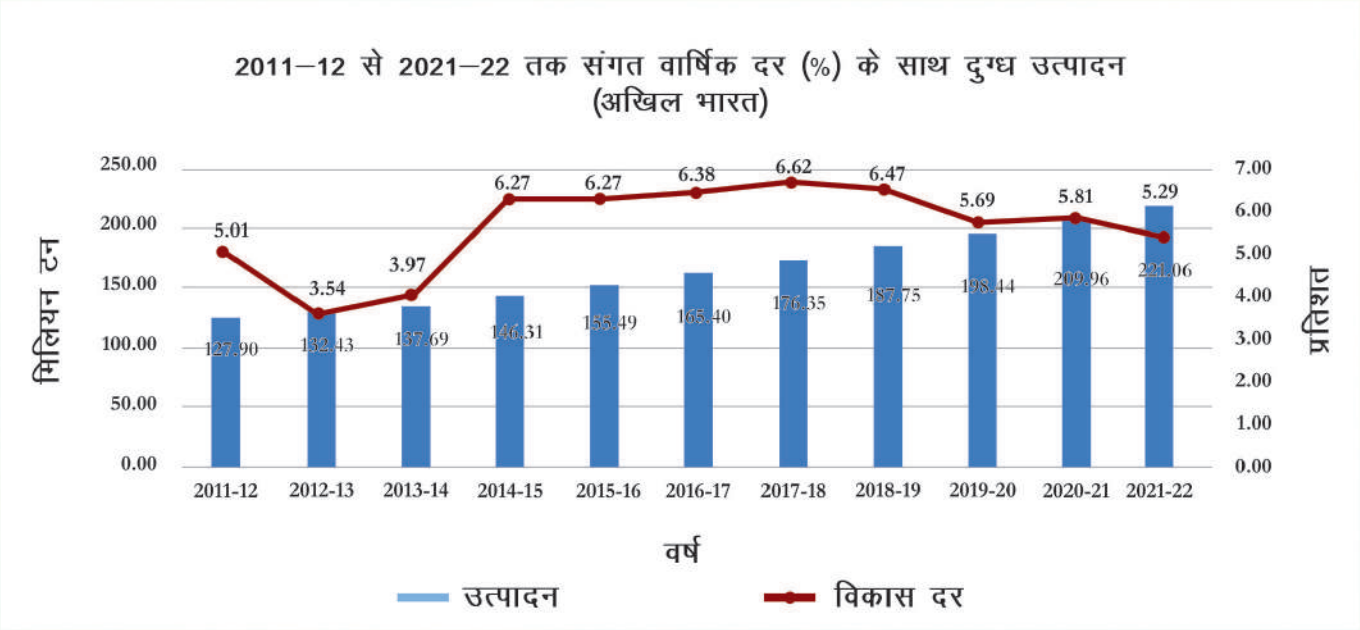

1.5.2.1 दूध की औसत उत्पादन दरः 2021–22 के दौरान विभिन्न प्रजातियों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति दुधारू पशु प्रति दिन दूध का औसत उत्पादन नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2 : दूध की औसत उत्पादन दर

विदेशी गाय (किग्रा/दिन)	वर्ण संकरित गाय (किग्रा/दिन)	देशी गाय (किग्रा/दिन)	नॉन–डिस्क्रिप्ट गाय (किग्रा/दिन)	देशी भैंस (किग्रा/दिन)	नॉन–डिस्क्रिप्ट भैंस (किग्रा/दिन)	बकरी (किग्रा/दिन)
11.36	8.32	4.07	2.83	6.62	4.81	0.47

1.5.2.2 वर्ष 2021–22 के दौरान दुग्ध उत्पादन के हिस्से का प्रतिशत

तालिका 1.2: 2021–22 में प्रतिवार दूध योग्दान

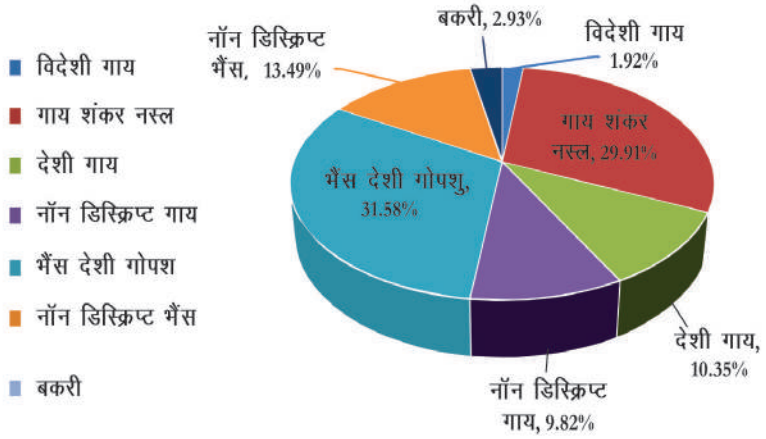

उपरोक्त चार्ट गाय, भैंस और बकरी द्वारा दूध उत्पादन के योगदान को दर्शाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि दूध उत्पादन का लगभग 45% देशी/नॉन–डिस्क्रिप्ट भैंसों द्वारा योगदान दिया जाता है और इसके बाद वर्णसंकर गायों द्वारा 30% योगदान दिया जाता है। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में देशी/नॉन–डिस्क्रिप्ट गायों का योगदान 20% है। देश भर में कुल दूध उत्पादन में बकरी के दूध का योगदान 3% है। कुल दुग्ध उत्पादन में विदेशी गायों का योगदान 2% है।

1.5.3 अंडा उत्पादनः भारत में कुक्कुट उत्पादन में पिछले चार दशकों में अत्यंधिक वृद्धि हुई है। यह पारंपरिक कृषि पद्धति के स्थान पर उन्नंत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में, (20वीं पशुधन गणना के अनुसार) हमारे देश में कुल पोल्ट्री आबादी 851.81 मिलियन है और वर्ष 2021–22 के दौरान अंडे का उत्पादन लगभग 129.60 बिलियन है। वर्ष 2021–22 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 95 अंडे प्रति वर्ष है। वर्ष 2021–22 के दौरान अंडे के उत्पादन में 6.19% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2011–12 से 2021–22 तक देश का प्रति वर्ष अंडा उत्पादन और तदनुरूप वार्षिक वृद्धि दर (%) नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है:

2011–12 से 2021–22) तक अंडा उत्पादन के साथ संगत वार्षिक वृद्धि दर (%)
(अखिल भारत)

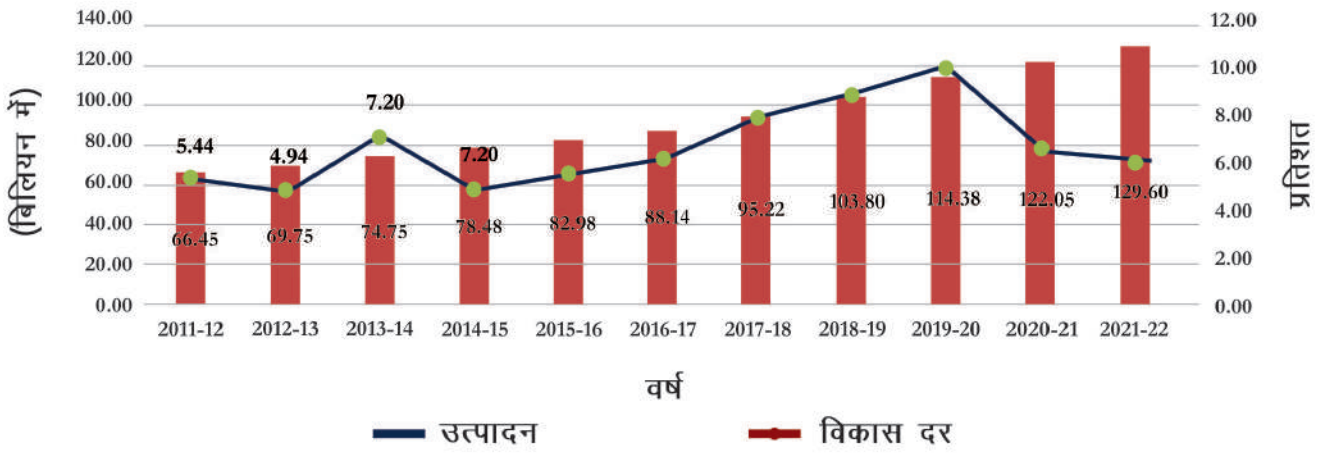

1.5.4 ऊन का उत्पादनः बारहवीं योजना (2012–13) के शुरू में ऊन का उत्पादन 46.05 मिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2014–15 में 48.14 मिलियन कि.ग्रा. हो गया था, लेकिन 2021–22 में घटकर 33.04 मिलियन किलोग्राम रह गया। वर्ष 2021–22 के दौरान ऊन उत्पादन ने नकारात्मकक विकास (–)10.53% दर्शाया है। वर्ष 2011–12 से 2021–22 तक देश में ऊन का उत्पाादन और प्रतिवर्ष संगत विकास दर (%) नीचे दिये गए ग्राफ में दर्शाई गई है:

2011–12 से 2021–22 तक ऊन उत्पादन के साथ संगत वार्षिक दर (%)
(अखिल भारत)

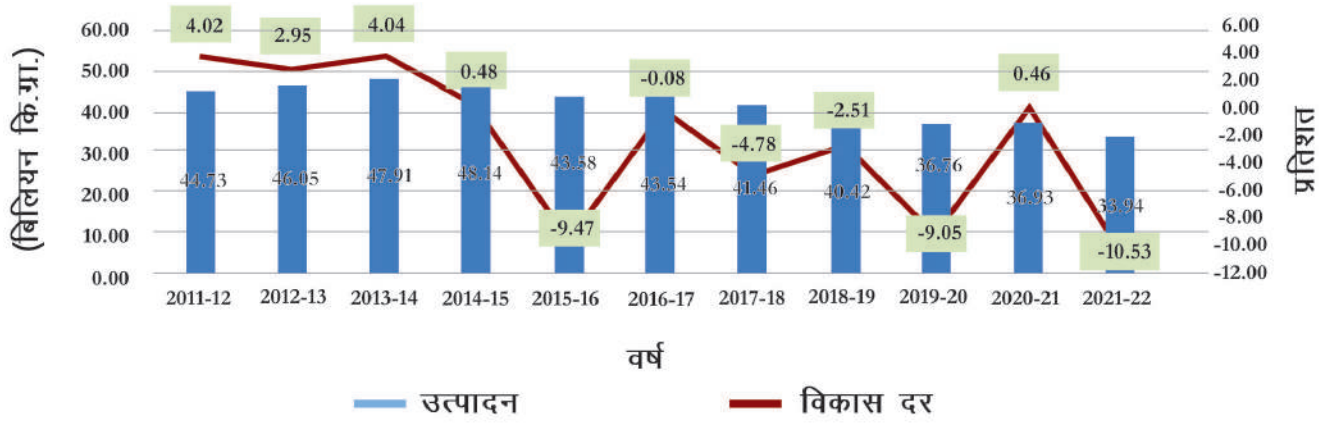

1.5.5 मांस उत्पादनः वर्ष 2014–15 के दौरान मांस का उत्पादन 6.69 मिलियन टन था जो वर्ष 2021–22 में और बढ़कर 9.29 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान मांस उत्पादन में 5.62% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2011–12 से 2021–22 तक देश की प्रति वर्ष विकास दर (%) नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है:

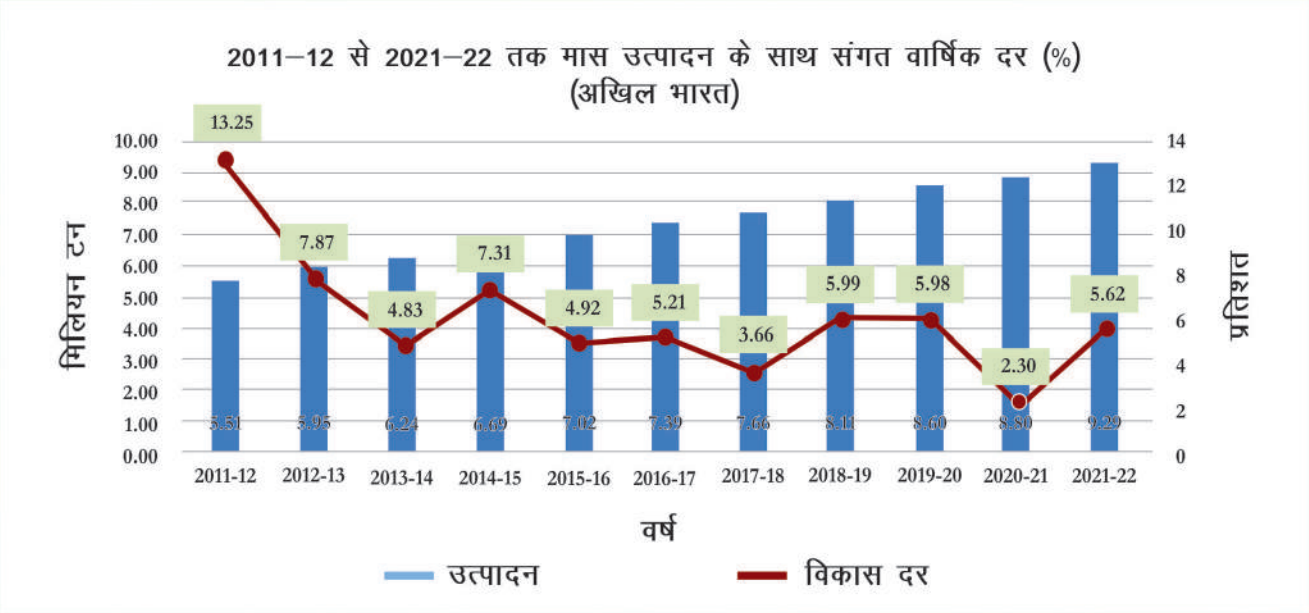

वर्ष 2011–12 से 2021–22 तक प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) का उत्पादन **अनुबंध–II** में दिया गया है।

1.6 वर्ष 2022–23 के दौरान सरकार की पहल

(i) **पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट (ए–हेल्प):** पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बीच अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) मंच का लाभ उठाने के लिए), ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी), भारत सरकार ने 1 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके अनुसार, एसएचजी के चयनित सदस्य एक नई मान्यता प्राप्त संस्था 'ए–हेल्प' (स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) नामक मॉडल के माध्यम से पशुधन संसाधन व्यक्ति और प्राथमिक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे। यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। ए–हेल्प कार्यकर्ता उस गांव की पशुधन आबादी की किसी भी स्वास्थ्य संबंधी मांगों के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है पहला द्वार पात्र होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ए–हेल्प्स की क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। वे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य पशुपालन विभागों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समन्वय करेंगे।

(ii) मोबाइल पशुचिकित्सा इकाई: किसानों के द्वार तक पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएच और डीसीपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग एक लाख पशुधन आबादी के लिए 1 एमवीयू हेतु मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के लिए निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये एमवीयू पशुओं के उपचार के लिए निदान, उपचार और मामूली सर्जरी, ऑडियो विजुअल एड्स और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उपकरणों के साथ पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनुकूलित निर्मित वाहन होंगे। ये एमवीयू संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसानों से कॉल सेंटर पर प्राप्त फोन कॉल के आधार पर किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। यात्रा

के समय को कम करने और लक्षित समय के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए एमवीयू को रणनीतिक स्थानों पर तैनात करने की आवश्यकता है। अब तक 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4340 एमवीयू की खरीद के लिए 682.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1528 एमवीयू का उद्घाटन किया गया है, जिनमें से 446 एमवीयू जनवरी 2023 तक 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चालू हैं।

(iii) एक स्वास्थ्य के लिए पशु स्वास्थ्य सहायता प्रणाली: 16 जनवरी, 2023 को वित्तमंत्रालय ने भारत के पांच राज्यों – असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ओडिशा में 5 वर्षों के लिए विश्व बैंक समर्थित परियोजना 'एक स्वास्थ्य के लिए पशु स्वास्थ्य सहायता प्रणाली (एएचएसएसओएच)' को मंजूरी दी। यह पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसी) के तहत 50% केंद्रीय निधियन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है और वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक 5 साल की अवधि के लिए 1228.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ विश्व बैंक से 50% निधियन प्राप्त है। परियोजना मुख्य रूप से प्रयोगशाला, पशु चिकित्सा अस्पताल/औषधालय के अवसंरचना के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करेगी और एक स्वस्थ्य दृष्टिकोण का उपयोग करके रोग निगरानी और रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक पशु रोगों की रोकथाम और प्रबंधन, रोग की रोकथाम में समुदाय की व्यापक भागीदारी और राज्यों में पशु चिकित्सा और नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

1.7 वार्षिक योजना 2021–22 और 2022–23

1.7.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विभाग को बजट अनुमान स्तर पर 3599.99 करोड़ आंबटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 3053.75 करोड़ रूपए कर दिया गया था। वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक व्यय 3008.66 करोड़ रूपए था। वर्ष 2022–23 के लिए विभाग को बजट अनुमान स्तर पर 4288.84 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 3440.97 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आवंटित राशि में से दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में 1173.20 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका है।

1.7.2 वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के लिए योजना–वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय **अनुबंध–III** में दिया गया है।

***

अध्याय–2

संगठन

संगठन

2.1 संरचना

2.1.1 पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1972 (ई) दिनांक 14.06.2019 द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक विभाग है। पशुपालन और डेयरी विभाग मूलतः 1 फरवरी, 1991 को कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात पशुपालन और डेयरी विकास का विलय करके एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मात्स्यिकी प्रभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा इस नए विभाग में 10 अक्तूबर, 1997 में अंतरित कर दिया गया था। अंतरिम बजट उदघोषणा 2019–20 के अनुसरण में, मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 762 (ई) दिनांक 05.02.2019 के द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में से मात्स्यिकी प्रभाग को अलग करते हुए एक नया विभाग नामतः मत्स्यपालन विभाग बना दिया गया है।

2.1.2 यह विभाग, श्री परशोत्तम रूपाला, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जी के सम्पूर्ण प्रभार में है। उनकी सहायता दो राज्य मंत्री नामतः डॉ. संजीव कुमार बालियान और डॉ एल. मुरूगन करते हैं। इस विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव (पशुपालन और डेयरी) हैं।

2.1.3 इस विभाग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में एक पशुपालन आयुक्त, एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) विभाग के सचिव की सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट और विभिन्न प्रभागों के बीच कार्य आबंटन **अनुबंध–IV** में दिया गया है।

2.2 कार्य

2.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने, डेयरी विकास से संबंधित कार्यों और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड और पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीसीएसईए) से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है।

2.2.2 यह विभाग पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देता है। कार्यकलापों का मुख्य बल (क) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपेक्षित आधारभूत संरचना के विकास, (ख) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रख–रखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए अवसंरचना को बढ़ावा देने, (ग) स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के माध्यम से पशुधन के परिरक्षण और संरक्षण और (घ) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) के सुदृढ़ीकरण और (ड़) भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड (एडव्ल्यूबीआई) और पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीसीएसईए)से संबन्धित मामलों पर है।

2.2.3 इस विभाग को आबंटित विषयों की सूची **अनुबंध–V** में दी गई है।

2.3 अधीनस्थ कार्यालय

2.3.1 यह विभाग पूरे देश में फैले निम्नलिखित क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन देखता है (तालिका 2.1)।

तालिका 2.1 अधीनस्थ कार्यालय

क्र.सं.	अधीनस्थ कार्यालय	संख्या
(i)	नस्ल सुधार संस्थान	12
(ii)	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	5
(iii)	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1
(iv)	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	8
(v)	चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत	1
(vi)	पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केन्द्र	6
(vii)	दिल्ली दुग्ध योजना	1
	कुल	**34**

2.3.2 इन अधीनस्थ कार्यालयों की सूची **अनुबंध–VI** में दी गयी है।

2.4 वैधानिक/स्वायत्त निकाय

2.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

आणंद, गुजरात में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में स्थापित किया गया था और इसे 1987 में एनडीडीबी अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया था। यह देश में सहकारिता की तर्ज पर डेयरी विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख संस्थान है।

2.4.2 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद देशभर में सभी पशुचिकित्सा संस्थानों में पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक के जरिये पशुचिकित्सा शिक्षा के एक–समान मानक बनाए रखने के लिए और पशुचिकित्सा प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में 27 सदस्य हैं जिनमें 5 (पांच) सदस्य भारत सरकार द्वारा उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से नामित हैं जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, 4 (चार) सदस्य उन राज्यों के पशुचिकित्सा संस्थानों के प्रधानों में से हैं जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, 1 (एक) सदस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा नामित है, 1 (एक) सदस्य पशुपालन और डेयरी विभाग, (डीएएचडी) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से भारत सरकार का प्रतिनिधि है, 1 (एक) सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा एसोसिएशन द्वारा नामित है, 1 (एक) सदस्य उन राज्यों के राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्षों में से नामित है जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है और एक सदस्य उन राज्यों के राज्य पशुचिकित्सा एसोसिएशनों के अध्यक्षों में से नामित है, जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है। 11 (ग्यारह) सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा व्यावसायियों के रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और सचिव, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद इस परिषद के पदेन सदस्य हैं।

देश में प्रशिक्षित पशुचिकित्सा जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों

की संख्या अब बढ़ाकर 55 की गई है। वर्ष 2022 के दौरान विभाग ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद की अनुशंसा पर पशुचिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए चार नए प्रस्ताोवों को बीवीएससी तथा ए.एच. शिक्षा देने के लिए अनुमति पत्र जारी किए हैं।

पशुचिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने तथा पशुचिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों– डिग्री कोर्स (बीवी.एससी. तथा ए.एच.) विनियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परिषद, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 19 और 20 के उपबंधों के अंतर्गत आवधिक रूप से पशुचिकित्सा शिक्षा देने तथा बीवीएससी तथा एएच अर्हता के अवार्ड हेतु परीक्षाओं के संबंध में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करती है। वीसीआई द्वारा वर्ष 2022 (01.01.2022 से 31.12.2022) के दौरान पशु चिकित्सा महाविद्यालयों के कुल 13 निरीक्षण किए गए।

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 24 और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1992 द्वारा यथा उपबंधित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में अपने नाम का पंजीकरण कराने की इच्छा रखने वाले 570 प्रैक्टीशनरों का परिषद ने सीधे पंजीकरण किया है। वर्ष के दौरान, परिषद ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 52 के अंतर्गत यथा उपबंधित, एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के 396 आवेदनों को निपटाया।

परिषद ने वर्ष 2022 के दौरान 15% अखिल भारतीय कोटे की सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की और बीवीएससी और एएच पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 748 सीटें भरी गईं।

2.4.3 भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड

भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड, पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 59) की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित, भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड स्वर्गीय श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल, प्रसिद्ध मानवतावादी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। देश में जीव–जंतु कल्याण से संबंधी कानूनों का तत्परता से पालन किए जाने से लेकर जीव–जंतु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करने और जीव–जंतुओं के कल्याण संबंधी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने तक, बोर्ड पिछले 50 वर्षों से देश में जीव–जंतु कल्याण अभियान का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

2.5 शिकायत प्रकोष्ठ

जनता की शिकायतों को देखने के लिए विभाग में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। प्रकोष्ठ का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं।

2.6 अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्ति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी

विभाग के मुख्यायलय के साथ–साथ अधीनस्थ क्षेत्र कार्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक मुख्य संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य संपर्क अधिकारी के तहत ओबीसी, एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, सेवा में आरक्षण पर सरकारी नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक क्लस्टर में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

2.7 सतर्कता एकक

इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों पर सतर्कता एकक कार्रवाई करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों को मॉनीटर करता है। विभाग ने अपने क्षेत्रीय एककों के साथ 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का विषय ''भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत'' था। सचिव (एएचडी) ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।

2.8 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

2.8.1. वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग ने ठोस प्रयास किए। विभाग का राजभाषा अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, संसद प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति तथा कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम करने तथा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में सक्रिय रूप से लगा रहा।

2.8.2 वर्ष, 2022 के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने कार्यालय में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग के अवलोकनार्थ विभाग के अधीनस्थ कार्यालय से भरी हुई प्रश्नावली मंगवाई। निरीक्षण के दौरान समिति को आश्वस्त किया जाता है कि सभी अधीनस्थ कार्यालय और अधिकारी/कर्मचारी अधिकांश कार्य हिन्दी भाषा में करेंगे। इसके अलावा, विभाग के राजभाषा अनुभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया।

2.8.3 इस विभाग में संयुक्त सचिव (प्रशा.) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों के परिणामस्वरूप, हिंदी में पत्राचार के प्रतिशत में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

2.8.4 सभी अधिकारियों/अनुभागों को समय–समय पर सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा संयुक्त सचिव की ओर से परिपत्र जारी किए गए जिसमें सरकार की राजभाषा नीति के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

2.8.5 हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। इसी प्रकार विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्यों को अधिकांशतः हिंदी में ही पत्र भेजे गए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूरी तरह से अनुपालन किया गया।

2.8.6 विभाग में 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। इस माह में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभाग के कार्यालयों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी विजेताओं को सचिव (पशुपालन और डेयरी विभाग) द्वारा पुरस्कार दिए गए।

2.8.7 इस वर्ष भी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

2.8.8 मंत्रालय की पहली हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 28 अक्टूबर, 2022 को विज्ञान भवन

एनेक्सी में आयोजित की गई। माननीय राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान) ने बैठक की अध्यक्षता की। सचिव (पशुपालन और डेयरी विभाग), सचिव (मत्स्य पालन विभाग) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा समिति के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

2.9 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने आरटीआई अधिनियम के संबंधित उपबंधों के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपील प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। इसी प्रकार विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों के लिए अलग से सीपीआईओ और अपील प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल या अन्यथा प्राप्त आरटीआई आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु उन्हें संबंधित सीपीआईओ को ऑनलाइन ही भेज दिया जाता है।

2.10 अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) तथा अन्यों के लिए आरक्षणः

विभाग ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों को सख्ती से क्रियान्वित करने के अपने प्रयास जारी रखे। सेवा में आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु एक समर्पित एकक स्थापित किया गया है।

2.11 महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी समिति कार्य कर रही है। वर्ष 2022–23 के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2.12 न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन

2.12.1 विभाग द्वारा शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए की गई पहलों को सीपीजीआरएएम पोर्टल में दर्शाया गया है।

2.12.2 ई–समीक्षा पोर्टल के माध्यम से महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और विभिन्न मुद्दों जैसे–प्रधानमंत्री के समक्ष दिया गया प्रस्तुतीकरण, केन्द्र–राज्य सहयोग, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल की समितियों के निर्णयों से संबंधित मासिक रिपोर्ट नियमित आधार पर तैयार की जा रही है।

***

अध्याय–3

गोपशु विकास

गोपशु विकास

3.1 राष्ट्रीय गोकुल मिशनः

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को विशेष रूप से देशी बोवाईन नस्लों का वैज्ञानिक और समग्र रूप में विकास और सरंक्षण करने के लिए दिसंबर, 2014 में शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण गरीबों के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक निम्न उत्पादक देशी पशु छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के पास हैं।

योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बोवाईनों का दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और डेयरी को देश के ग्रामीण किसानों के लिए अधिक लाभकारी बना रही है। योजना देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं में वृद्धि कर रही है और देशी स्टॉक को बढ़ा रही है।

भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन और किये गये अन्य उपायों के कारण, देश में वर्ष 2014–15 से 2021–22 के दौरान दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 6.38 प्रतिशत है। सभी वर्गों के पशुओं की उत्पादकता वर्ष 2014–15 से वर्ष 2021–22 के बीच 16.74 प्रतिशत बढ़ गई है जिसमें डिस्क्रिप्ट, नॉन–डिस्क्रिप्ट गोपशु, भैंसें और संकर नस्ल गोपशु शामिल हैं। इसी प्रकार, भैंसों की उत्पादकता वर्ष 2014–15 में 1792 कि.ग्रा. प्रति पशु से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 2022.1 कि.ग्रा. प्रति पशु हो गई है। दुधारू पशुओं की संख्या वर्ष 2013–14 के 84.09 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 120.19 मिलियन हो गई है जिसमें 42.93 की वृद्धि हुई है। देशी गोपशु से दूध उत्पादन वर्ष 2014–15 में 29.48 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 42.02 मिलियन टन हो गया है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 2400 करोड़ रू. के आबंटन के साथ पुनर्संरेखित और विस्तारित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन का फोकस राज्यों में गोपशु और भैंस प्रजनन अवसंरचना के निर्माण से कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, आईवीएफ प्रौद्योगिकी और किसानों के द्वारा पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन समेत गुणवत्तापुर्ण प्रजनन सेवाएं लाने पर हो गया है। योजना, पहुंच और सार्मथ्य में सुधार करने के लिए निजी उद्यमिता को आसान बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

3.1.1 उद्देश्यः

क) नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सतत रूप में बोवाइनों की उत्पादकता और दूध उत्पादन बढ़ाना

ख) प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उपयोग का प्रसार करना

ग) प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की आपूर्ति करना

घ) वैज्ञानिक और समेकित रूप से देसी गोपशु और भैंस पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना

3.1.2 निधियन पैटर्न

योजना के सभी घटकों को 100% सहायता अनुदान के आधार पर लागू किया जाएगा सिवाय निम्नलिखित घटकों के: i) त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रमः घटक के अंतर्गत प्रति आईवीएफ गर्भावस्था के लिए 5000 रुपये की सब्सिडी भाग लेने वाले किसानों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में उपलब्ध करायी है,

ii) सेक्स सॉर्टेड सीमेन को बढ़ावा देनाः घटक के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमेन की लागत के 50% तक सब्सिडी भाग लेने वाले किसानों को उपलब्ध करायी जाती है iii) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापनाः घटक के तहत उद्यमी को परियोजना की पूंजीगत लागत के 50% तक और अधिकतम 2.00 करोड़ रु. तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।

3.1.3 आरजीएम के घटक

(i) उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म की उपलब्धता

(क) सांड उत्पादन कार्यक्रम

- संतति परीक्षण
- नस्ल चयन
- जीनोमिक चयन
- जर्मप्लाज्म का आयात

(ख) सीमेन स्टेशनों को सहायताः मौजूदा सीमेन स्टेशनों को मजबूत करना

(ग) आईवीएफ प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

- आईवीएफ प्रयोगशालाएं
- इन विट्रो भ्रूण उत्पादन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन
- सुनिश्चित गर्भावस्था पाने के लिए आईवीएफ तकनीक का कार्यान्वयन

(घ) नस्ल वृद्धि फार्म

2. कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार

क. मैत्री की स्थापना

ख. राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम

ग. सुनिश्चित गर्भावस्था पाने के लिए सेक्स सोर्टेड सीमेन का उपयोग

घ. राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (पशुधन) का कार्यान्वयन

3. देशी नस्लों का विकास और संरक्षण

क. गौशालाओं, गोसदनों और पिंजारापोलों को सहायता

ख. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का प्रशासनिक व्यय/संचालन

4. कौशल विकास

5. किसान जागरूकता

6. बोवाइन प्रजनन में अनुसंधान विकास और नवाचार

3.1.4 राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नए घटक

i) त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रमः इस घटक के तहत, डेयरी किसानों हेतु बछियां पैदा करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन के साथ आईवीएफ प्रौद्योगिकी और कृत्रिम गर्भाधान का लाभ उठाया जा रहा है। आईवीएफ, बोवाइन आबादी के त्वरित आनुवंशिक उन्नयन हेतु महत्वपूर्ण उपकरण है, जिस काम को होने में सात पीढियां (गोपशु और भैंस के मामले में 21 वर्ष) लग जाती थीं वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी (गोपशु व भैंस के मामले में 3 वर्ष) में हो जाता है। इस प्रौद्योगिकी में केवल बछियों के उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की अपार क्षमता है, जिसमें प्रति लैक्टेशन 4000 किग्रा. दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता है जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है। त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में 2 लाख आईवीएफ गर्भाधान करवाए जाएंगे। किसानों को प्रत्येक सुनिश्चित गर्भाधान के लिए 5000 रू. की सब्सिडी उपलब्ध करायी जायेगी। पहले से ही देश में इस कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी है।

देश में 90 प्रतिशत सटीकता के साथ केवल बछियों के उत्पादन हेतु सेक्स सार्टेड सीमेन का उत्पादन शुरू किया गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्रयोग न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में बल्कि आवारा गोपशुओं की आबादी के नियंत्रण में भी परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। अगले 5 वर्षों के दौरान 51 लाख गर्भाधान कराए जायेंगे तथा सुनिश्चित गर्भाधान हेतु 750 रू. या सार्टेड सीमेन की लागत के 50 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को उपलब्ध करायी जायेगी।

ii) नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापनाः इच्छुक डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी बाधा अपने स्थानीय क्षेत्र से उच्च गुणवत्ता वाली बछियों या दुधारू पशुओं को खरीदने की कठिनाई है। इस मुद्दे का समाधान करने और डेयरी क्षेत्र के लिए उद्यमिता सहित निवेश को आकर्शित करने, और साथ ही डेयरी के हब और स्पोक मॉडल विकसित करने के लिए अवसरों का निर्माण करने जहां छोटे और सीमांत डेयरी किसान भरोसेमंद डेयरी सेवाओं के स्थानीय हब की मदद से कामयाब हो सकते हैं, न्यूनतम 200 बोवाईन पशुओं के झुंड आकार के नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना के लिए इस घटक के तहत निजी उद्यमियों को पूंजीगत लागत (भूमि लागत के अलावा) पर 50% (उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर 2 करोड़ रुपये प्रति फार्म तक उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों में 50 लाख) सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उद्यमी शेष पूंजीगत लागत के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करेगा और सेक्स सॉर्टेड सीमेन/आईवीएफ के माध्यम से गर्भधारित, उच्च गुणवत्ता के बछियों को क्षेत्र में किसानों को बेचेगा।

3.1.5 कार्यान्वयन की स्थिति

योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान 600 करोड़ रू. का आबंटन उपलब्ध कराया गया है और 319 करोड़ रू. का व्यय किया गया है। योजना के प्रारंभ से किया गया वर्ष–वार आबंटन और व्यय इस प्रकार हैः

वर्ष 2014–15 से आरजीएम के तहत किया गया आवंटन और व्यय

वित्तीय	करोड़ रु.								
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आवंटन	159.4	81.77	119.5	190	750.5	270	400	663	600
व्यय	159.02	81.76	118.75	187.64	750.44	269.73	399.9	662.84	329*

* तक *20.02.2023*

3.1.6 इन–विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयनः

आईवीएफ बोवाइन आबादी के त्वरित आनुवंशिक उन्नयन हेतु महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि जिस काम को होने में सात पीढियां (गोपशु और भैंस के मामले में 21 वर्ष) लग जाती थीं वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी में हो जाता है। आईवीएफ प्रौद्योगिकी में उत्पादन की उच्च आनुवंशिक क्षमता के साथ केवल बछियों के उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की अपार क्षमता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, देश में आईवीएफ और भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 20 आईवीएफ और ईटी प्रयोगशालाओं का कार्यात्मक बनाया गया है। सरकार ने त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया है और कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में

2 लाख गर्भाधान किये जायेंगे। किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भाधान 5000 रू. की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जायेगी।

सभी कार्यात्मक प्रयोगशालाओं ने भ्रूण उत्पादन शुरू कर दिया है और दिसंबर, 2022 तक देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं से 16038 भ्रूण पैदा किये गए हैं और इसमें से, 7516 भ्रूण अंतरित किये गये हैं और अब तक योजना के तहत 1219 उत्कृष्ट बछियां पैदा हुई हैं। इन प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की स्थिति

क्र.सं.	ईटीटी प्रयोगशालाएं	राज्य	रखे गये दानकर्ता	उत्पादित भ्रूण	अंतरित भ्रूण	पैदा हुई बछियां	स्टोर किए गए भ्रूण	जारी निधि (लाख रू.में)
1	गुजरात	साबरमती आश्रम गौशाला	30	3079	677	91	2314	469.14
2	बिहार	बसु, पटना	48	272	68	6	65	806
3	हरियाणा	लुवास, हिसार (एचआर)	20	437	63	8	360	583
4	केरल	मटटूपट्टी	39	918	288	34	641	248
5	मध्य प्रदेश	ईटीटी लैब, भदभदा, भोपाल	41	758	742	219	9	394.5
6	पश्चिम बंगाल	ईटीटी / आईवीएफ लैब, पीबीजीएस. बीएस, हरिंगता फार्म	37	342	312	43	15	450.2
7	उत्तराखंड	भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कलसी, देहरादून	20	1271	824	246	366	552
8	तमिलनाडु	डीएलएफ, होसुर	47	689	448	53	221	454.87
9	तमिलनाडु	पशु चिकित्सा कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, नमक्कल, तनुवास	14	241	97	7	41	151

भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की स्थिति								
क्र.सं.	ईटीटी प्रयोगशालाएं	राज्य	रखे गये दानकर्ता	उत्पादित भ्रूण	अंतरित भ्रूण	पैदा हुई बछियां	स्टोर किए गए भ्रूण	जारी निधि (लाख रू.में)
10	हिमाचल प्रदेश	ईटीटी लैब पालमपुर	10	168	107	20	50	195
11	बिहार	आरजीएम, पराकोठी, मोतिहारी	25	47	41	2	0	33.8
12	आंध्र प्रदेश	पशुधन अनुसंधान केंद्र, लाम, गुंटूर	12	377	141	8	236	239
13	आंध्र प्रदेश	ईटीटी / आईवीएफ, एनकेबीसी, चिंतलदेवी	29	125	60	0	63	330
14	महाराष्ट्र	ईटीटी / आईवीएफ केंद्र, एमएएफएसयू, नागपुर	10	211	209	16	10	297
15	महाराष्ट्र	बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, उरुली कंचन, पुणे	39	2178	604	33	1574	507.48
16	जेके ट्रस्ट, महाराष्ट्र	जे.के.ट्रस्ट, वडगांव रसाई– जिला पुणे (महाराष्ट्र)	20	3280	1843	277	1423	483
17	पंजाब	ईटी आईवीएफ लैब, डीएलएफ, गडवासु	9	728	334	68	325	433
18	उत्तर प्रदेश	निबलेट, बाराबंकी, यूपीएलडीबी	15	375	318	69	73	329.06

भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की स्थिति								
क्र.सं.	ईटीटी प्रयोगशालाएं	राज्य	रखे गये दानकर्ता	उत्पादित भ्रूण	अंतरित भ्रूण	पैदा हुई बछियां	स्टोर किए गए भ्रूण	जारी निधि (लाख रू.में)
19	पंजाब	पीएलडीबी ईटीटी सेंटर, पटियाला	9	293	136	15	184	340.5
20	छत्तीसगढ	ईटीटी सेंटर, अंजोरा	12	2	2	0	0	304
21	मध्य प्रदेश	ईटीटी / आईवीएफ, एनकेबीसी, इटारसी	कार्य प्रगति पर है					250
22	उत्तर प्रदेश	ईटीटी / आईवीएफ लैब, बरेली						329.06
23	तेलंगाना	ईटीटी / आईवीएफ, पीवीएनआ. रटीवीयू	50	247	202	4	17	583
24–30	सीसीबीए–7 नं.	अलामढ़ी	2 प्रयोगशालाओं में सिविल कार्य पूरा हो गया और आईवीएफ का काम शुरू हो गया					4600
		अंदेशनगर						
		धामरोड						
		चिपलिमा						
		हैसरघट्टा						
		सूरतगढ़						
		सुनाबेदा						
31	हसनानंद गोचरभूमि	मथुरा, यूपी	कार्य प्रगति पर है					

भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की स्थिति								
क्र.सं.	ईटीटी प्रयोगशालाएं	राज्य	रखे गये दानकर्ता	उत्पादित भ्रूण	अंतरित भ्रूण	पैदा हुई बछियां	स्टोर किए गए भ्रूण	जारी निधि (लाख रू.में)
32	गुजरात	आईवीएफ लैब, अमरेली	कार्य प्रगति पर है					
कुल			**536**	**16038**	**7516**	**1219**	**7987**	**13362.61**

एकल दानकर्ता से पैदा हुए ईटीटी/आईवीएफ बछड़े–बछड़ियों (काल्व्स) (ईटीटीध्आईवीएफ प्रयोगशाला गड़वासु, लुधियाना)

दो मातृ (मदर) गायों से पैदा हुए ईटी बछड़े–बछड़ियों (काल्व्स) (ईटीटी लैब नीबलेट, बाराबंकी)

साबरमती आश्रम गौशाला, बिदाज, गुजरात में आईवीएफ लैब

साबरमती आश्रम गौशाला, बिदाज, गुजरात में आईवीएफ लैब

3.1.7 सेक्स सोर्टेड सीमेन उत्पादन सुविधा की स्थापनाः

कृषि के मशीनीकरण से नर बोवाईनों की उपयोगिता में कमी आई है। किसान कृषि कार्य अथवा किसी अन्य भारवाही कार्य के लिए बैलों को रखने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए किसानों के घर में जन्में बछड़े उनकी देयता बन गए हैं। कुछ राज्यों में मौजूदा अधिनियमों/नियमों के कारण, देश के अधिकांश भागों में नर बोवाईनों को मारना बहुत कठिन है। किसान प्रायः नर पशुओं को खुला छोड़ देते हैं जिसके परिणामस्वरूप आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है। एआई कार्यक्रम में लैंगिक आधारित वीर्य जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके केवल मादा बोवाईनों (90 प्रतिशत से अधिक शुद्धता के साथ) को उत्पादित किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी भारत के लिए बड़ा बदलाव कर सकती है। देश में पहली बार, देश में लैंगिक आधारित वीर्य उत्पादन की सुविधा निर्मित की जा रही है। इस प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से न केवल मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि मादा पशुओं अथवा दूध की बिक्री से किसानों की आय में वृद्धि होगी और आवारा पशुओं के मुद्दों का भी समाधान होगा।

वर्तमान स्थिति

सरकारी क्षेत्र में पांच सीमेन स्टेशन (उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) संचालित हैं। प्रत्येक सीमेन स्टेशन की उत्पादन क्षमता 6 से 10 लाख खुराक प्रति वर्ष पैदा करने की है। अब तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत समर्पित सरकारी सीमेन स्टेशनों पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन की 30.31 लाख खुराकें और दुग्ध संघ, एनजीओ और निजी सीमेन स्टेशनों से 33.05 लाख खुराकें उत्पादित की जा चुकी हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान सेक्स सार्टेड का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू किया जायेगा। कार्यक्रम के तहत, 51 लाख गर्भाधान कराए जायेंगे और सुनिश्चित गर्भाधान पर किसानों को 750 रू. की सब्सिडी या सॉर्टेड सीमेन

की लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराया जायेगा। भारत में सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रौद्योगिकी को रेड सिंधी, थारपारकर, साहीवाल, गिर आदि जैसे गोपशुओं के लिए विकसित किया गया है।

बाबूराग, उत्तर प्रदेश में सेक्स सोर्टेड सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला

केन्द्रीय सीमेन केंद्र, भोपाल, मध्य प्रदेष में सेक्स सोर्टेड सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला

राज्य हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान–पाटन, गुजरात में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला

डीएफएसपीसी, श्यामपुर, उत्तराखंड में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला

सेक्स सॉर्टेड सीमन कृत्रिम गर्भाधान

3.1.8 देशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाईन जीनोमिक केंद्र (एनबीजीसी–आईबी)

विकसित डेयरी राष्ट्रों में तीव्र आनुवंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए जीनोमिक चयन को दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देशी गोपशु के दुग्ध उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से देश में एक राष्ट्रीय बोवाईन जीनोमिक केंद्र की स्थापना की गई है। जीनोमिक चयन के उपयोग द्वारा देशी नस्लों को कुछ ही पीढियों के अंदर व्यवहार्य बनाया जा सकेगा।यह केंद्र देशी नस्लों के रोगमुक्त उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर–एनबीएजीआर) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।

परियोजना के तहत, यह निर्णय लिया गया कि एनडीडीबी और आईसीएआर–एनबीएजीआर द्वारा विकसित जीनोमिक चिप को एक साथ मिला दिया जाएगा ताकि अधिक सटीक और विश्वसनीय जीनोमिक चयन चिप विकसित की जा सके। चिप के विकास से आनुवंशिक लाभ की दर में वृद्धि करके दूध उत्पादन में वृद्धि होगी क्योंकि बेहतर आनुवंशिकी वाले पशुओं को कम उम्र में चुना जा सकता है, जबकि पारंपरिक तरीकों में पशुओं का आनुवंशिक मूल्य 6 से 7 साल बाद सिद्ध होता है।

की गई प्रगति

एनडीडीबी द्वारा जीनोमिक चयन के लिए डीएनए चिप नामतः इंडसचिप और बफचिप और गोपशु तथा भैंसों के लिए निम्न घनत्व की चिप एनबीएजीआर द्वारा विकसित की गई है। अधिक विश्वसीनयता के साथ देशी नस्लों का जीनोमिक चयन करने के लिए इंडसचिप और बफचिप का अब एनबीएजीआर द्वारा विकसित चिप के साथ अभिसरण किया जा रहा है।

3.1.9 संतति परीक्षणः

दुग्ध उत्पादन लिंग सीमित लक्षण है इसलिए सांड की आनुवांशिक क्षमता बछियों के निष्पादन के द्वारा आंकी जाती है। बछियों के निष्पादन पर सांड की अनुमानित संचरण क्षमता का आकलन करने की वैज्ञानिक प्रजनन पद्दति को संतति परीक्षण कहा जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत संगठित संतति परीक्षण कार्यक्रम (पीटीपी) को मुख्यतः देसी नस्लों के लिए लागू किया गया है। अप्रैल से दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान आरजीएम के तहत लागू परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार हैः

पैरामीटर/परियोजना	अक्टूबर, 2022 तक खरीदे गए एचजीएम सांड
एसएजी गिर	35
गंगमुल साहीवाल	31
पीएलडीबी साहीवाल	32
एचएलडीबी मुर्राह	38
पीएलडीबी मुर्राह	130
एबीआरओ मुर्राह	71
एसएजी मुर्राह	40
बनास–मेहसाणा	8
मेहसाणा–मेहसाणा	12
एसएजी एचएफसीबी	36
केएलडीबी एचएफसीबी	37
एपीएलडीए जेवाईसीबी	55
टीसीएमपीएफ जेवाईसीबी	51
एचपीएलडीबी जेवाई	0
कुल	576

नस्ल चयन कार्यक्रमः

आरजीएम के अंतर्गत नस्ल चयन कार्यक्रम को उन देशी नस्लों के लिए प्रारंभ किया गया है जिनकी आबादी सीमित है और क्षेत्र में एआई अवसंरचना भी उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम के अंतर्गत, बछड़ों का वंश का विवरण और माता, पिता तथा वंशावली में अन्य पूर्वजों के निष्पादन के आधार पर चयन किया जाता है। अप्रैल से अक्टूबर, 2022 की अवधि के लिए आरजीएम के तहत लागू नस्ल चयन कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार हैः

परियोजना	अक्टूबर, 2022 तक खरीदे गए एचजीएम सांड
राठी	6
कांकरेज	0
हरियाणा	6
थारपारकर	0
जाफराबादी	3
नीली रवि	1
पंढारपुरी	7
कुल	23

3.1.10 एआई कवरेज का विस्तार

कृत्रिम गर्भाधान कवरेजः कृत्रिम गर्भाधान बोवाईनों के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक प्रमाणित प्रौद्योगिकी है। वर्तमान में, देश में एआई कवरेज प्रजनन योग्य बोवाईनों के 30 प्रतिशत तक सीमित है जबकि 70 प्रतिशत प्रजनन योग्य पशु अज्ञात आनुवांशिक गुण विहीन सांडों द्वारा कवर किये जाते हैं।

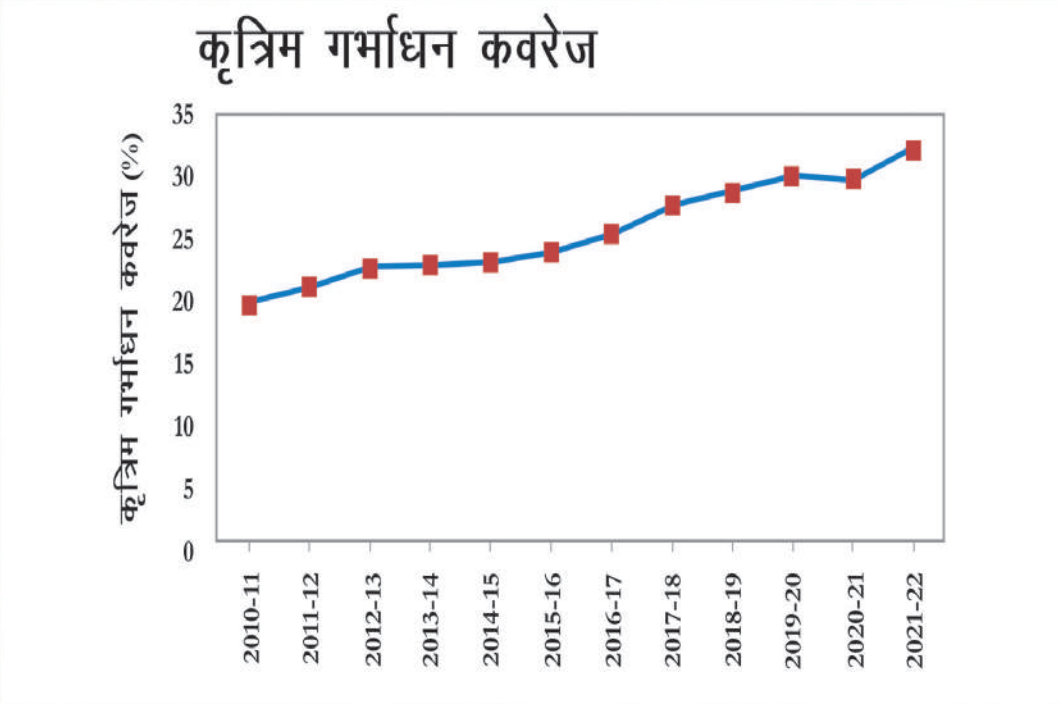

एआई कवरेजः

वर्ष 2021–22 में सभी राज्यों में कुल 980.60 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए। एआई कवरेज के तहत अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में प्रजनन योग्य बोवाइन मादाओं का सबसे कम 1% एआई कवरेज है जबकि केरल में यह 100% है। देश में राज्य–वार एआई कवरेज नीचे तालिका में दिया गया है।

एनएआईपी–III कार्यक्रम के तहत भैंस से जुड़वां बछड़ों का जन्म

ग्रामीण भारत में बहुददेशीय एआई तकनीशियनों की स्थापना (मैत्री)

किसानों के द्वार पर प्रजनन आदानों की आपूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन (मैत्री) की स्थापना की गई थी। मैत्री को मान्यता प्राप्त एआई संस्थानों में 3 महीने (90 दिन) की अवधि के दौरान प्रायोजित एआई प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है। संबंधित राज्यों को प्रति मैत्री 50,000 रू. की दर से मशीनों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 3 वर्षों के पश्चात, मैत्री वस्तुओं और सेवाओं की लागत वसूली के माध्यम से स्वावलंबी हो जाते हैं।

वित्त वर्श 2021–22 से 2022–23 (अब तक) के दौरान एआई कवरेज बढ़ाने के लिए मैत्री की स्थापना

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	1000	4746
2	तेलंगाना	250	117
3	कर्नाटक	1150	1410
4	केरल	0	0
5	गुजरात	1500	125
6	मध्य प्रदेश	2733	2733
7	महाराष्ट्र	250	60
8	राजस्थान	500	248
9	गोवा	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	100	100
11	पंजाब	100	0
12	हरियाणा	119	0
13	हिमाचल प्रदेश	50	43
14	उत्तराखंड	125	159
15	उत्तर प्रदेश	3250	1118
16	लद्दाख	300	0
17	असम	1089	992
18	अरुणाचल प्रदेश	30	0
19	मणिपुर	100	100
20	मेघालय	110	120
21	सिक्किम	10	172
22	नागालैंड	20	20
23	त्रिपुरा	142	895
24	मिजोरम	0	0
25	झारखंड	687	580

26	छत्तीसगढ	125	125
27	बिहार	1000	1090
28	पश्चिम बंगाल	1000	506
29	ओडिशा	1500	0
	कुल	**17240**	**15459**

मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान किट का वितरण

फील्ड एआई नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

आरजीएम के अंतर्गत, राज्यों को पोर्टेबल क्रायोकंटेनर, यूनीवर्सल गन्स समेत एआई किटों और प्रति 5 एआई केन्द्रों को 1 किट की दर से मदर कंटेनर उपलब्ध कराते हुए स्थायी एआई केन्द्रों को चालित एआई केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। राज्यों को अनुपयोगी क्रायोकंटेनर और एआई किटों को नए किटों में बदलने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

एआई प्रशिक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

वर्तमान में देश में 91 एआई प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं जो एआई तकनीशियनों और पैरा–पशुचिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। विभाग द्वारा एआई प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय निगरानी यूनिट गठित की गयी है। वर्ष 2018–19 के दौरान किये गये मूल्यांकन के अनुसार, 48 एआई केन्द्र पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा तैयार किये गये एमएसपी और एसओपी के अनुसार प्रत्यायित

किए गए हैं। एआई प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और साथ ही क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई हैं और दिसंबर 2022 तक भारत सरकार के एमएसपी और एसओपी के अनुसार, 49 एआई प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ किया गया है। एक समान प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया गया है तथा सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई हैं।

तरल नाइट्रोजन (एलएन) के भंडारण, ढुलाई और वितरण प्रणाली को मजबूत करना

ऐसा अनुमान है कि प्रति एआई निष्पादन के लिए 0.5 लीटर तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इसलिए देश में 40 मिलियन लीटर तरल नाइट्रोजन की हैंडलिंग के लिए अवसंरचना की आवश्यकता है। देश में तरल नाइट्रोजन के बल्क भण्डारण, ढुलाई और वितरण प्रणाली को सुगम बनाने के लिए राज्यों को निधियां जारी की गई हैं।

सीमेन स्टेशनों का मूल्यांकनः

सीमेन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से, दो वर्षों में एक बार वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने के लिए विभाग द्वारा 20.5.2004 को केन्द्रीय मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) की स्थापना की गई थी। सीएमयू ने अब तक छह बार पर मूल्यांकन किया है। सीएमयू के गठन के बाद सीमेन केन्द्रों की ग्रेडिंग में सुधार नीचे तालिका में दिया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में वीर्य केन्द्रों की ग्रेडिंग

ग्रेड	2005	2009	2011	2013	2016	2018–19
क	2	12	20	30	37	36
ख	12	15	17	15	14	13
ग	12	7	3	–	–	–
ग्रेड नहीं (एनजी)	33	13	7	5	2	2
मूल्याकंन नहीं (एनई)	–	2	2	2	5	5
कुल	**59**	**49**	**49**	**52**	**58**	**56**

देश के सभी सीमन स्टेशनों के लिए चालू वर्ष के दौरान मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है।

सीमेन उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल (एमएसपी)

एक समान गुणवत्ता के हिमित सीमेन का उत्पादन करने के लिए, बीएआईएफ, एनडीडीबी, एनडीआरआई (करनाल) और सीएफएसपी एण्ड टीआई के विशेशज्ञों की सलाह से सीमेन उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक प्रोटोकोल विकसित किया गया था और उसे 20 मई, 2004 से लागू किया गया था। हाल ही में सीमेन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति को देखते हुए वर्ष 2022 में वीर्य उत्पादन संबंधी एमएसपी को अद्यतन किया गया है और देश भर के सभी सीमेन केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है।

सीमेन केन्द्रों का आईएसओ प्रमाणीकरणः वर्तमान में, 54 सीमेन केन्द्र आईएसओ प्रमाणित हैं।

श्रमशाक्ति विकासः

योजना के तहत, 635 व्यवसायिकों को हिमित

वीर्य प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास और डाटाबेस प्रबंधन/आईएनएपीएच में प्रशिक्षित किया गया था। 25322 मौजूदा एआई तकनीशियनों/मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 15459 ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियनों (मैत्री) को एआई में बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है।

जागरूकता कार्यक्रमः

राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रमः राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण III को वर्ष 2021–22 के दौरान 1 अगस्त 2021 से 31 जुलाई, 2022 तक 50% से कम एआई कवरेज वाले 604 जिलों में लागू किया गया है।

कार्यक्रम ने 3 करोड़ बोवाइनों के लक्ष्य के मुकाबले 179.98 लाख बोवाइनों को कवर करते हुये एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कार्यक्रम के तहत, किसानों के द्वार पर 2.2 करोड़ निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किए गए और इससे 124.42 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, एनएआईपी कार्यक्रम 592 जिलों को शामिल करते हुए चौथे चरण तक बढ़ाया गया। एनएआईपी–IV के तहत अब तक इस कार्यक्रम से 69.21 लाख पशुओं को शामिल किया गया, 79.10 लाख निष्पादित किए गए और 52.93 लाख किसान लाभान्वित हुए।

इस कार्यक्रम के तहत, जिलों के पहचान किए गए प्रत्येक ग्राम में किसानों के द्वार पर निःशुल्क एआई सेवाएं दी जा रही हैं। देशी गोपशु नस्लों के लिए, कार्यक्रम के तहत 3000 क्रि.ग्रा/लैकटेशन से ऊपर डैम के लैकटेशन उत्पादन के साथ एचवाईआईबी सांड के सीमेन का उपयोग किया जाता है। राज्य प्रजनन नीति के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत नान–डिस्क्रिप्ट गोपशु का विदेशी सीमेन तथा उच्च उत्पादन वाले संकर नस्ल सीमेन के संकर नस्ल के साथ उन्नयन की भी अनुमति है। इस प्रयोजनार्थ, एचएफ के लिए 10,000 क्रि.ग्रा के एमएसपी और जर्सी के लिए 6000 कि.ग्रा एमएसपी का सीमेन निर्धारित किया गया है। नॉन–डिस्क्रिप्ट भैंसों के मामले में, 3000 कि.ग्रा तथा उससे अधिक एमएसपी के साथ मुर्राह/नीली रवि के सीमेन का उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम से बोवाईन आबादी के समग्र आनुवांशिक उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए सभी पशुओं को पशु यूआईडी (एयूआईडी) का उपयोग करके चिहिन्त किया रहा है और उनका डाटा आईएनएपीएच डाटाबेस पर अपलोड किया जा रहा है। ए.आई हो जाने के पश्चात, पशु का ध्यान रखा जाता है और बछिया के जन्म होने तक सभी घटनाओं को डाटा बेस में रिकार्ड किया जाता है।

अनुमानित परिणाम

- इस अभियान मोड के कारण, लगभग 7.5 करोड़ एआई के परिणामस्वरूप 3 करोड़ श्रेष्ठ उत्कृष्ट बछडे तैयार होंगे, 1.35 करोड़ सर्वश्रेष्ठ बछियां पैदा की जाएंगी जो 3 वर्षों के पश्चात 16.2 एमएमटी दूध प्रति वर्ष का उत्पादन करेंगी। किसानों के परिवार में 54,000 करोड़ रु. (40,000 रु. प्रति वयस्क गाय) की गाय और भैंसें जुड़ जाएंगी।
- दूध की बिक्री के माध्यम से, डेयरी किसान 55258 करोड़ रु. की अतिरिक्त आय अर्जित करेंगे।
- देश के डेयरी झुण्ड में अधिक दूधारू पशुओं के जुड़ने से देसी प्रजनन आबादी में सुधार होगा।

लद्दाख में आरजीएम के तहत किसान जागरूकता शिविर

एनएआईपी के तहत आंध्र प्रदेश में जुड़वां बछड़ों का जन्म

एनएआईपी चरण II के तहत आंध्र प्रदेश में उद्घाटन

चरण–III के तहत किसानों के द्वार पर एआई तकनीशियन एआई का निष्पादन करते हुये

3.1.11 किसानों के लिए ई–गोपाला एप (उत्पादक पशुधन के माध्यम से संपत्ति का ई–सृजन)

माननीय प्रधानमत्री द्वारा 10 सितम्बर, 2020 को ई–गोपाला एप (उत्पादक पशुधन के माध्यम से संपत्ति का सृजन) के रूप में किसानों द्वारा सीधे उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार मार्केटप्लेस और सूचना पोर्टल शुरू किया गया है। ई–गोपाला एप डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में पशुधन का प्रबंधन करने में किसानों की मदद कर रहा है जिसमें सभी रूपों में (सीमेन, भ्रूण आदि) रोगमुक्त जर्मप्लाज्म को खरीदना और बेचना, गुणवत्ता प्रजनन सेवाओं (कृत्रिम गर्भाधान, पशुचिकित्सा प्राथमिक सहायता, उपचार आदि) की उपलब्धता और पशु पोषण, उचित आयुर्वेदिक औषधि/एथनो पशुचिकित्सा औषधि का उपयोग करके पशुओं का उपयोग करने के लिए किसानों का मार्गदर्शन करना शामिल है। यह एप किसानों को (टीकाकरण, गर्भाधान उपचार आदि) नियत तिथि पर अलर्ट भेजता है और उस क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियान के बारे में सूचित करता है। एप के घटकों का विवरण इस प्रकार है:

3.1.12 गोपाल रत्न पुरस्कार

विभाग द्वारा वर्ष 2022 में गोपाल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं और यह पशुधन और डेयरी सेक्टर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। पुरस्कार का उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी व्यक्तिगत किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, नामतः (i) देशी गोपशु/भैंस की नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानय (ii) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और (iii) सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति। पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में योग्यता प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और निम्नलिखित नकद राशि शामिल हैः प्रथम स्थान धारक के लिए 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) द्वितीय स्थान धारक के लिए 3,00,000/– (तीन लाख रुपये) तृतीय स्थान धारक के लिए 2,00,000/– (दो लाख रुपये)। पहली बार, ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://awards-gov-in के माध्यम से दिनांक 1.08.2022 से 30.09.2022 तक स्व–नामांकन के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 2414 आवेदन प्राप्त हुए थे और विभाग द्वारा इनका मूल्यांकन किया गया था। देश में 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों, 3 सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियनों और 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समितियों को 26 नवंबर 2022 को माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था। विजेताओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्र.सं.	श्रेणी	पुरस्कार विजेता का नाम
1.	देशी गाय/भैंस की नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान	प्रथम श्री जितेन्द्र सिंह, फतेहाबाद, हरियाणा
		द्वितीय श्री रविशंकर शशिकांत सनस्रबुद्ध, पुणे, महाराष्ट्र
		तृतीय सुश्री गोयल सोनलबेन नारन, कच्छ, गुजरात
2.	सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी)	प्रथम श्री गोपाल राणा, बलांगीर, ओडिशा
		द्वितीय श्री हरि सिंह, गंगानगर, राजस्थान
		तृतीय श्री माचेपल्ली बसवैया, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश
3.	सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दुग्ध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन)।	प्रथम मनंतवाद्य क्षीरोलपदक सहकरण संगम लिमिटेड, वायनाड, केरल
		द्वितीय अरकेरे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, मांड्या, कर्नाटक
		तृतीय मन्नारगुडी एमपीसीएस, तिरुवरूर, तमिलनाडु

3.1.13 पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नवाचारी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य समाधान की खोज के लिए, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला द्वारा 26 नवंबर, 2021 को स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0 शुरू किया गया है।

पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0 के लिए समस्या क्षेत्र

पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0 के लिए समस्या विवरण इस प्रकार है:

क) सीमेन खुराकों के भंडारण और आपूर्ति के लिए किफायती, दीर्घावधि और उपयोगकर्ता अनुकूल विकल्प

ख) किफायती पशु पहचान प्रौद्योगिकी (आरएफआईडी) का विकास और ट्रेसेबिलिटी तकनीक

ग) हीट डिटेक्शन किट का विकास

घ) डेयरी पशुओं के लिए गर्भाधान निदान किटों का विकास

ङ) ग्राम संग्रहण केंद्र से डेयरी संयंत्र तक मौजूदा दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला का सुधार

च) निम्न लागत शीतलन और दुग्ध परिरक्षण प्रणाली और डाटा लॉगर का विकास

पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0 के तहत प्रस्तावित विजेताओं के लिए प्रोत्साहन

नकद पुरस्कार: प्रत्येक समस्या क्षेत्र के लिए, नकद पुरस्कार के रूप में विजेता को 10 लाख रू. और उपविजेता को 7 लाख रू. प्रदान किये जायेंगे।

इन्क्यूबेशन: अधिकतम 14 विजेताओं को इन्क्यूबेशन मिलेंगे। इन्क्यूबेटर 3 महीने तक इन स्टार्टअप के आभासी इन्क्यूबेशन, मेंटर मैच मेकिंग, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (पीओसी) विकास और परीक्षण सुविधाओं (केस–टू–केस आधार पर) के लिए प्रयोगशाला सुविधा, बिजनेस और इन्वेस्टर वर्कशाप आयोजित करने और कार्यक्रम के पूरा होने के बाद 9 महीने तक स्टार्टअप के कार्यकलापों पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इन्क्यूबेटर का चयन आरएफपी प्रक्रिया के माध्यम से होगा जिसे इंवेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित किया जायेगा।

आभासी (वर्चुअल) मास्टर क्लासेसः चुनौती के लिए आवेदन करने वाले सभी स्टार्टअप और इनोवेटर्स को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए 7 आभासी (वर्चुअल) मास्टर क्लासेस (प्रत्येक समस्या विवरण के लिए एक) का आयोजन किया जायेगा।

मेंटरशिपः प्रत्येक विजेता के साथ 6 महीनों के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग से एक समर्पित मेंटर संबद्ध किया जायेगा।

शोकेस अवसरः कार्यक्रम के विजेता के उत्पाद/समाधान का अधिकतम विजिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली कृषि भवन में माननीय मंत्री जी के कार्यालय और सचिव कार्यालय के सामने प्रदर्शित किया जायेगा।

डेमो डेः समस्या क्षेत्रों में से, आवेदक पूल से चयनित शीर्ष 30 स्टार्टअप के लिए एक आभासी (वर्चुअल) डेमो डे का आयोजन किया जायेगा। इन स्टार्टअप को निम्नलिखित अवसर प्राप्त होंगेः

- मंत्रालयों, सरकारी विभागों, सहकारी समितियों, कारपोरेट निकायों, इन्वेस्टर्स आदि अधिकारियों के सामने प्रदर्शन करना
- उन्हें प्रदान किये गये अलग–अलग आभासी (वर्चुअल) बूथों पर उनके उत्पाद/सेवाओं का प्रदर्षन करना
- प्रयोगिक पहुंच प्राप्त करना, खरीद आदेश प्राप्त करना और निधियन प्राप्त करना।

माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जी द्वारा 1 जून 2022 को विश्व दुग्ध दिवस पर स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। विजेताओं का विवरण इस प्रकार हैः

श्रेणीवार विजेता

क्र.सं.	वर्ग	पुरस्कार विजेता
1	वीर्य की खुराक के भंडारण और आपूर्ति के लिए लागत प्रभावी, दीर्घकालिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प	i) सेराजेन बायोथेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ii) अत्सुया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	लागत प्रभावी पशु पहचान (आरएफआईडी) और पता लगाने की तकनीक का विकास	i) स्टेटलॉजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ii) सिमसुपा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	हीट डिटेक्शन किट का विकास	i) फ्लिक्सड्रॉप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ii) हुमाविंग्स प्राइवेट लिमिटेड
4	डेयरी पशुओं के लिए गर्भावस्था निदान किट का विकास	i) आईवीईटी लैब्स एलएलपी ii) कोशबियो प्राइवेट लिमिटेड
5	मौजूदा दुग्ध आपूर्ति में सुधार– गांव संग्रह केंद्र से डेयरी संयंत्र तक की श्रृंखला	i) भैरज ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ii) माचिस समाधान
6	कम लागत वाली शीतलन और दूध संरक्षण प्रणाली और डेटा लॉगर का विकास	i) रवि प्रकाश ii) प्रॉम्प्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

3.1.14 पुरस्कार और नए शुभारंभ

गोपाल रत्न पुरस्कार 2022

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, नामतः (i) देशी गोपशु/भैंस की नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानय (ii) सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और (iii) सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति। पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में योग्यता प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और निम्नलिखित नकद राशि शामिल है: प्रथम स्थान धारक के लिए 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) द्वितीय स्थान धारक के लिए 3,00,000/– (तीन लाख रुपये) तृतीय स्थान धारक के लिए 2,00,000/– (दो लाख रुपये)। देश में 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों, 3 सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियनों और 3 सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समितियों को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की पूर्व संध्या पर 26 नवंबर 2022 को बेंगलुरू में सम्मानित किया गया था।

पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0

विभाग द्वारा 2021–22 के दौरान पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0 के आयोजन के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधानों की खोज के लिए समस्या विवरण तैयार किया गया है। स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज माननीय एफएएचडी मंत्री द्वारा 26 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और स्टार्टअप्स द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 थी। स्टार्टअप इंडिया द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टार्टअप्स से 250 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। 1 जून 2022 को विश्व दुग्ध दिवस के दौरान स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रत्येक समस्या क्षेत्र के लिए विजेता को 10 लाख रुपये और उपविजेता को 7 लाख रुपये नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पशुपालन ग्रैंड चौलेंज 2.0 के सभी विजेताओं को स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से मास्टर क्लास, मेंटरशिप और इन्क्यूबेषन भी उपलब्ध कराया जाता है।

केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ) हेसरघट्टा में आईवीएफ तकनीक का प्रदर्शन

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 नवंबर 2022 को सीसीबीएफ हेसरघट्टा में आईवीएफ तकनीक का प्रदर्शन किया गया। विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पाई गई दरों के अनुसार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सीसीबीएफ हेसरघट्टा से सभी इच्छुक किसानों को उनके द्वार पर आईवीएफ सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए आधारशिला रखना

पेशेवरों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाले प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2022 को आधारशिला रखी गई है। प्रशिक्षण संस्थान को मार्च 2023 तक चालू कर दिया जाएगा।

वर्श 2022 की विशिष्ट उपलब्धि

विश्व में पहली बार भैंसों के डीएनए आधारित चयन के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण और जीनोमिक चिप को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वित्त पोषण के साथ विकसित किया गया है। इससे स्थायी रूप से भैंसों की आबादी में 2.5% अधिक आनुवंशिक लाभ हुआ है।

इस विशिष्ट पहल को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा 'इनोवेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट – फार्मिंग' श्रेणी में डेयरी इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है।

ऑनलाइन पोर्टल्स

वर्ष 2022 के दौरान उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले (एचजीएम) सांड के वितरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल के माध्यम से, वीर्य स्टेशन एचजीएम सांडों की मांग प्रस्तुत कर सकते हैं और रोग मुक्त एचजीएम सांडों को देश के

सभी वीर्य केंद्रों में ऑनलाइन वितरित किया जाता है। डीएएचडी द्वारा वर्ष 2022 के दौरान सेक्स सॉर्टेड सीमेन के साथ कृत्रिम गर्भाधान और आईवीएफ तकनीक के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

उन्नत डेयरी राष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षरः

2 मई 2022 को कोपेनहेगन डेनमार्क में पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के लिए मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और खाद्य, कृषि और मत्स्यपालन मंत्रालय, डेनमार्क के बीच संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डेयरी उद्योग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी आशय की संयुक्त घोषणा का हिस्सा है।

3.2 नस्ल सुधार संस्थान

3.2.1 भूमिकाः

केन्द्रीय गोपशु विकास संगठनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण इकाईयां सम्मिलित हैं जो आनुवंशिक रूप से उन्नत संकर सांड बछड़ों, अच्छे किस्म के हिमित वीर्य के उत्पादन तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाजम की पहचान हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं ताकि देश में एचजीएम सांडों तथा हिमित वीर्य खुराकों की आवश्यकता की पूर्ति जा सके। ये संगठन हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और फार्म प्रबंधन में किसानों और उद्यमियों के प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

3.2.2 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ)

उत्पादन क्षमता को सुगम बनाने और पशुओं में दीर्घावधि आधार पर उत्पादन में प्रगतिशील आनुवांशिक सुधार लाने के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण साधन है। केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों को केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत 1968 से 1976 के बीच प्रारंभ किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण देशी और विदेशी गोपशु नस्लों (हॉल्सटीन फ्रीजियन और जर्सी) के उच्च आनुवांशिक क्षमता के जर्मप्लाज्म को देश के अंदर उपलब्ध कराना है जिससे कि यह डेयरी उद्योग के आधार के स्तंभ रूप में कार्य कर सके। इन फार्मों ने देशी और विदेशी नस्लों के रोग मुक्त एचजीएम सांडों और हिमित वीर्य खुराकों के रूप में प्रजनन आदानों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ) हैं जो अलामढ़ी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), चिपलिमा एवं सुनाबेदा (ओडिशा), धामरोड (गुजरात), हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित हैं। ये सीसीबीएफ आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रमों के लिए उच्च संतति सांडों के उत्पादन के उद्देश्य के साथ–साथ गोपशु और भैंसों के वैज्ञानिक प्रजनन में संलग्न हैं। इसके अलावा, ये फार्म किसानों और प्रजनकों को जागरूकता प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

ये फार्म राज्यों सरकारों, प्रजनन एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों, सहकारिताओं आदि को वितरित करने के लिए गोपशु की स्वदेशी और विदेशी नस्लों के उच्च उत्पादक सांड़ बछड़ों और भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड़ बछड़े देशी नस्लों नामतः थारपारकर, रेड सिंधी, विदेशी नस्लों नामतः जर्सी, होल्सटीन फ्रीजियन, भैंस की नस्लों नामतः मुर्राह और सुरती तथा जर्सी x रेड सिंधी और होल्सटीन फ्रीजियन x थारपारकर के संकर नस्ल सांडों से सांड बछड़ों का उत्पादन कर रहे हैं।

3.2.2.4 उद्देश्य :

इन फार्मों का कार्य इस प्रकार है :

i) वैज्ञानिक चयन और संगठित प्रजनन योजना के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और ब्याने का अंतराल दूध देने और दूध सूखने के दिनों जैसे अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के लिए पशुयूथ का प्रगतिशील

आनुवंशिक सुधार

ii) विभिन्न गोपशु और भैंस नस्लों के सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म का विकास और संरक्षण

iii) विभिन्न प्रजनन एजेंसियों को वीर्य उत्पादन के लिए उच्च आनुवंशिक गुणता (एचजीएम) वाले सांडों का उत्पादन और वितरण

iv) तकनीकी कार्मिकों, विस्तार कर्मियों और किसानों के लिए वैज्ञानिक प्रजनन और फार्म प्रबंधन पद्धतियों का प्रदर्शन

कार्य:

स्टॉक का प्रगतिशील आनुवंशिक सुधार:

वैज्ञानिक नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से संतति परीक्षण और आयातित वीर्य का उपयोग करके इन फार्मों पर प्रगतिशील आनुवांशिक सुधार किया जा रहा है। ब्याने का लघु अंतराल और दूध देने तथा सूखने के दिनों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है।

देशी नस्लों का विकास और संरक्षण

इन फार्मों पर देशी नस्लों जैसे गोपशु की रेड सिंधी और थारपारकर नस्ल तथा भैंस की सूरती नस्ल विकसित और संरक्षित की जा रही है। इन नस्लों के एचजीएम सांडों को राज्य सरकार के तथा अन्य एजेंसियों के वीर्य केन्द्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्यों तथा देश में अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए सीसीबीएफ चिपलिमा रेड सिंधी जर्मप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

उत्कृष्ट सांड बछड़ों का उत्पादन और वितरण:

इन फार्मों पर संतति परीक्षित सांडों के वीर्य और गोपशु की विदेशी नस्ल के मामले में आयातित वीर्य का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक प्रजनन के माध्यम से रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले नर बछड़े पैदा किये गये। राज्यों तथा अन्य एजेंसियों को वीर्य उत्पादन हेतु रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों को उपलब्ध कराया गया है।

सीसीबीएफ, अलामादी:

चेन्नई के अलामादी (अवदी) में स्थित केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म की स्थापना दक्षिणी क्षेत्र में मुर्राह नस्ल की भैंस को बढ़ावा देने और क्षेत्र में मुर्राह नस्ल के एचजीएम सांडों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में की गई थी। यह फार्म 214.98 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फार्म में मुर्राह भैंस हैं और वर्तमान में पशुयूथ की क्षमता 300 पशु हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, फार्म ने 32 एचजीएम सांड बछड़े पैदा किये और राज्यों को 16 एचजीएम सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, फार्म ने इस अवधि के दौरान 481 किसानों को प्रशिक्षित किया। फार्म को अत्याधुनिक ईटीटी/आईवीएफ के उत्कृष्ट केन्द्र और दक्षिणी क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे व्यवसायिकों और वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। एनडीडीबी द्वारा आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, अलामादी में मुर्राह नस्ल

सीसीबीएफ, अलामादी में मुर्राह झुंड

सीसीबीएफ धामरोडः

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। इस फार्म की स्थापना 1968 के दौरान भैंस की सुरती नस्ल के साथ की गई थी जिसका उद्देश्य देशभर में प्रसार और प्रजनन के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ उच्च नस्ल के सुरती सांडों को पैदा करना और साथ ही इस नस्ल का सरंक्षण करना था। फार्म की क्षमता 328 पशु हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, फार्म ने 39 सांड बछड़े पैदा किये। इसके अलावा, फार्म ने इस अवधि के दौरान 165 किसानों को प्रशिक्षित किया। फार्म का रख–रखाव सुरती नस्ल की भैंस के लिए सरंक्षण फार्म के रूप में किया जा रहा है क्योंकि इस नस्ल की सीमित आबादी ही देश में उपलब्ध है। यह निर्णय लिया गया है कि निम्न उत्पादन वाले सुरती स्टॉक को गोपशु की गिर नस्ल के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाये जिसकी इस स्थान में अत्यधिक मांग है और जो बेहतर निष्पादन करती है। आज की तिथि तक फार्म में 45 गिर पशु हैं। इस फार्म में अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं। प्रयोगशाला में आईवीएफ का कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर किया गया है। प्रयोगशाला से क्षेत्र के किसानों को आईवीएफ सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज तक, कुल 536 भ्रूण आईवीएफ तकनीक के माध्यम से उत्पादित किए गए हैं, जिनमें से 508 भ्रूण गिर गोपशु हैं, एचएफ गोपशुओं के 16 भ्रूण और 12 भ्रूण सुरती भैंस के हैं।

सीसीबीएफ, धामरोड में गिर बछड़ा

सीसीबीएफ, धामरोड में गिर नस्ल

सीसीबीएफ, धमरोड में सुरती नस्ल

सीसीबीएफ, अंदेशनगरः

उत्तर प्रदेश राज्य के अंदेशनगर में स्थित केंन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म लखीमपुर–खीरी से लगभग 13 कि.मी दूर है। फार्म की स्थापना 1976 के दौरान की गई थी और यह भैंस की मुर्राह नस्ल और संकर नस्ल हाल्सटीन फ्रीजियन x थारपरकर का आवास है। फार्म की क्षमता 360 पशुओं की है। वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, फार्म ने 23 सांड बछड़े पैदा किए और राज्यों को 6 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 213 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, अंदेशनगर में मुर्राह बछड़े

सीसीबीएफ, अंदेशनगर में मुर्राह नस्ल

सीसीबीएफ, चिपलिमाः

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले के बंसंतपुर में स्थित है। फार्म की स्थापना 1968 के दौरान की गई थी और इसमें गोपशु की रेड सिंधी नस्ल और जर्सी X रेड सिंधी की संकर नस्ल रहती है। फार्म की क्षमता 204 पशु है। वर्ष 2022–2023 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, फार्म ने 24 सांड बछड़े पैदा किये। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 282 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

सीसीबीएफ, चिपलिमा में रेड सिंधी

सीसीबीएफ, सुनाबेदाः

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सुनाबेदा ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के सुनाबेदा में स्थित है। फार्म की स्थापना 1972 के दौरान की गई थी और इसमें गोपशु की विदेशी जर्सी नस्ल रहती है। फार्म की क्षमता 185 पशुओं की है। वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, फार्म ने 9 सांड बछड़े पैदा किये और राज्यों को 4 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 338 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

सीसीबीएफ, हैस्सरघट्टाः

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हैस्सरघट्टा कर्नाटक राज्य के बंगलुरू जिले में स्थित है। फार्म की स्थापना 1976 के दौरान की गई थी और इसमें गोपशु की विदेशी हॉल्सटीन फ्रीजियन नस्ल रहती है। फार्म की क्षमता 163 पशुओं की है। वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, फार्म ने 30 सांड बछड़े पैदा किये और राज्यों को 4 सांड बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 235 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। फार्म में आईवीएफ प्रयोगशाला को पीपीपी मोड में संचालित किया गया है। फार्म में आईवीएफ सुविधाओं को क्षेत्र के किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया है। सेक्स सॉर्टड सीमन उत्पादन सुविधा सीएफएसपी और टीआई में निर्मित की जा रही है।

सीसीबीएफ, सूरतगढ़ः

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। फार्म की स्थापना 1967 के दौरान की गई थी और इसमें गोपशु की थारपारकर नस्ल का देशी स्टॉक है। फार्म की क्षमता 375 पशुओं की है। वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, फार्म ने 41 बछड़े पैदा किये और राज्यों को 27 बछड़े बेचे। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 408 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। अत्याधुनिक आईवीएफ प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना संबंधी सिविल कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(थारपारकर बछड़े)

3.2.3 समग्र वास्तविक प्रगतिः

इन फार्मों ने वर्ष 2022–23 के दौरान 198 सांड बछड़े पैदा किये, किसानों और राज्य प्रजनन फार्मों को 57 बछड़े बेचे और डेयरी फार्म प्रबंधन में 2122 किसानों को प्रशिक्षित किया। वर्ष 2022–23 के दौरान की गई मानक–वार वास्तविक प्रगति निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है:

क्र.सं.	पैरामीटर	अलामादी	अंदेश नगर	चिपलिमा	धामरोड	हैस्सरघट्टा	सुनाबेदा	सूरतगढ़	योग
1	सांड बछड़ों का उत्पादन	32	23	24	39	30	09	41	198
2	बेचे गए सांड बछडे	16	06	0	0	4	4	27	57
3	प्रशिक्षित किए गए किसानों की सं.	481	213	282	165	235	338	408	2122

3.2.4 केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस):

भूमिकाः विभाग उत्कृष्ट गायों और भैंसों के पंजीकरण और उत्कृष्ट गायों तथा नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस) कार्यान्वित कर रहा है। योजना का उद्देश्य फील्ड निष्पादन रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रजनन क्षेत्र में देशी नस्लों के सर्वश्रेष्ठ जर्मप्लाज्म की पहचान और प्रसार करना तथा उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के साथ चयनित गायों के प्रजनन की व्यवस्था करना है। यह योजना देशी नस्लों के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

योजना की संरचनाः योजना के अंतर्गत 4 सीएचआरएस यूनिटें रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और ओंगोले में स्थित हैं। फील्ड निष्पादन रिकॉडिंग (एफपीआर) प्रारंभ करने के लिए 96 दुग्ध रिकॉडिंग केंद्र हैं। यह योजना 9 राज्यों में गोपशु और भैंस की 14 देशी नस्लों को कवर कर रही है। डाटा को आईएनएपीएच डाटा बेस पर अपलोड किया जाता है और पशुओं को 12 अंकों की पशु विशिष्ट पहचान (एयूआइडी) संख्या का उपयोग करते हुए चिन्हित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पशु रिकॉर्डिंग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समिति के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

सीएचआर यूनिट, रोहतकः इस यूनिट की स्थापना 1963 में हुई थी। इस यूनिट में फील्ड में दुग्ध रिकार्डिंग करने के लिए 33 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। कवर की गई देशी नस्लों में गोपशु की हरियाणा, साहीवाल, रेड सिंधी और गिर तथा भैंस की मुर्राह और नीली रवि नस्लें हैं। यूनिट द्वारा कवर किये गये राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड और दिल्ली हैं।

हरियाणा गोपशु

उपलब्धियां:

वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, नस्ल विशिष्टताओं की पुष्टि करने वाली 9865 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अधीन लाया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंतिम रूप से पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
3221	1749	25	0

नस्ल के अनुसार दर्ज उच्चतम उत्पादन (5) सीएचआरएस यूनिट– रोहतक			
गिर (कि.ग्रा./305 दिन)	साहीवाल (कि.ग्रा./305 दिन)	हरियाणा (कि.ग्रा /305दिन)	मुर्राही (कि.ग्रा./305 दिन)
4389	4386	2891	5016
3758	4202	2871	4781
3714	4175	2869	4766
3631	4157	2861	4721
3616	4109	2835	4700

सीएचआर यूनिट, अहमदाबाद

इस यूनिट की स्थापना 1969 में हुई थी। इस यूनिट में फील्ड में दुग्ध रिकार्डिंग करने के लिए 42 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। कवर की गई देशी गोपशु नस्लों में गिर, कंकरेज तथा भैंस की सुरती, जाफराबादी, मेहसानी, पंढरपुरी नस्लें है। यूनिट द्वारा कवर किये गये राज्य गुजरात और महाराष्ट्र हैं।

गिर पशु

गिर गाय

उपलब्धियां:

वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, नस्ल विशिष्टताओं की पुष्टि करने वाली 6147 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अधीन लाया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंतिम रूप से पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
2957	1643	54	47

नस्ल के अनुसार दर्ज उच्चतम उत्पादन (5) सीएचआरएस – अहमदाबाद यूनिट			
गिर (कि.ग्रा./305 दिन)	कंकरेज (कि.ग्रा./305 दिन)	जाफराबादी (कि.ग्रा./305 दिन)	मेहसाणी (कि. ग्रा./305 दिन)
4312.4	3365.95	4341.71	3892
4300.55	3291.7	4314.2	3873.1
4299.3	3216.1	4203.5	3820.45
4225.8	3189.44	4193.1	3802.2
4205	3168.25	4173.9	3795.8

सीएचआरएस यूनिट, अजमेरः इस यूनिट की स्थापना 1979 में हुई थी। इस यूनिट में फील्ड में दुग्ध रिकार्डिंग करने के लिए 11 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। कवर की गई देशी गोपशु नस्लों में गिर, राठी, थारपारकर तथा भैंस की मुर्राह नस्ल है। यूनिट द्वारा कवर किया गया राज्य राजस्थान है।

उपलब्धियांः वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, नस्ल विशिष्टताओं की पुष्टि करने वाली 2456 उत्कृष्ट गायों और भैंसों को एफपीआर के अधीन लाया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्राथमिक पंजीकरण	अंतिम रूप से पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
759	575	30	29

वर्ष 2021–22 के दौरान नस्ल के अनुसार दर्ज उच्चतम उत्पादन (5) सीएचआरएस – अजमेर यूनिट	
गिर (कि.ग्रा./305 दिन)	मुर्राह (कि.ग्रा./305 दिन)
5260	3759
4290	3741
4249	3735
4241	3703
4201	3692

सीएचआर यूनिट, ओंगोलेः इस यूनिट की स्थापना 1979 में हुई थी। इस यूनिट में फील्ड में दुग्ध रिकार्डिंग करने के लिए 10 रिकॉर्डिंग केंद्र हैं। कवर की गई देशी गोपशु नस्लों में ओंगोले तथा भैंस की मुर्राह नस्ल है। इस यूनिट द्वारा कवर किया गया राज्य आंध्र प्रदेश है।

ओंगोले नस्ल

प्राथमिक पंजीकरण	अंतिम रूप से पंजीकृत पशु	प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
1307	1263	84	90

नस्ल के अनुसार दर्ज उच्चतम उत्पादन (5) सीएचआरएस – ओंगोले यूनिट	
ओंगोले कि.ग्रा./305 दिन)	मुर्राही (कि.ग्रा./305 दिन)
2835	5789
2681	5573
2648	5214
2641	4605
2627	3988

आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रमों में सीएचआरएस द्वारा निभाई गई भूमिका: वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक, 8244 गायों और भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया था, जिनमें से 5230 को अंतिम रूप से पंजीकृत किया गया थाय 193 प्रजनक जागरूकता/प्रचार शिविर आयोजित किये गये थे और 166 व्यक्तियों को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु सर्वेक्षण और दुग्ध रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग करने के लिए राज्यों द्वारा खरीदा गया है।

एमएसपी में संशोधनः एमएसपी के संशोधन के लिए दुग्धपान उत्पादन (लैक्टेशन यील्ड) सीमा को आधार पर, प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान करने के संशोधित किया गया है जो इस प्रकार हैः

क्र. सं.	नस्ल	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
1	गिर	3500 और उससे ऊपर	3000-3499
2	कंकरेज	3000 और उससे ऊपर	2500-2999
3	हरियाणा	2500 और उससे ऊपर	2000-2499
4	मुर्राह	3500 और उससे ऊपर	3000-3499
5	सुरती	2700 और उससे ऊपर	2000-2699
6	जाफराबादी	3500 और उससे ऊपर	3000-3499
7	साहिवाल	3500 और उससे ऊपर	3000-3499
8	थारपारकर	3000 और उससे ऊपर	2500-2999
9	राठी	3300 और उससे ऊपर	2800-3299
10	मेहसाणा	3300 और उससे ऊपर	2800-3299
11	ओंगोले	2400 और उससे ऊपर	2000-2399
12	रेड सिंधी	3500 और उससे ऊपर	3000-3499
13	नीली रवि	3500 और उससे ऊपर	3000-3499
14	पंढारपुरी	2000 और उससे ऊपर	1600-1999

3.2.5 केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपी और टीआई)

सीएफएसपी और टीआई पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का एक प्रमुख संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी।

संस्थान देश में मुख्यतः कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कार्यक्रमों में उपयोग के लिए देशी (रेड सिंधी और थारपारकर), विदेशी (हॉलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी), संकर नस्ल और मुर्राह नस्ल के सांडों के बोवाईन हिमित वीर्य के उत्पादन में लगा हुआ है। सेंटर एआई उपकरणों के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ विदेशी, संकर नस्ल और गोपशु की देशी नस्लों और भैंसों की कुछ महत्वपूर्ण नस्लों से उच्च गुणवत्ता वाले हिमित वीर्य का उत्पादन करना, न्यूक्लियस विदेशी पशुयूथों के प्रजनन के लिए देश के भीतर वितरण करने हेतु उत्कृष्ट आयातित सांडों के हिमित वीर्य के केंद्रीय डिपो के रूप में कार्य करना, हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, दुग्ध परिसंघों तथा अन्य संस्थानों के तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन (वैश्विक) द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए, आईएसओ 9001:2015 के लिए प्रमाणित किया गया है।

सीएफएसपी और टीआई ने एमएसपी, एसओपी और एआई प्रशिक्षण केंद्रों के मूल्यांकन के लिए स्कोर कार्ड में संशोधन के लिए समन्वय किया था और वर्ष 2022–23 में एआई प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन हेतु कार्रवाई प्रारंभ की।

वर्ष 2022–23 के दौरान 31.12.2022 तक, हिमित वीर्य की लगभग 7.64 लाख खुराकें उत्पादित की गईं और हिमित वीर्य की 6.30 लाख खुराकें वितरित की गई हैं।

सीएफएसपी और टीआई ने वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित 100.00 लाख रु. के लक्ष्य के मुकाबले 31.12.2022 तक 109.61 लाख रु. का राजस्व अर्जित किया।

एचजीएम सांडों की खरीदः वर्ष 2022–23 के दौरान सीएफएसपी और टीआई–हैसरघट्टा में 12 एचजीएम सांडों (एचएफः 08, जेवाईः 01 और मुर्राहः 03) की खरीद की गई है।

क्षमता निर्माण

सीएफएसपी एंड टीआई–हैसरघट्टा पूर्ण विकसित प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है जिसमें उन्नत कक्षाएं और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं जो मार्च, 2024 से कार्य करने लगेंगी।

भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के तहत हैसरघट्टा में सीपीडीओ और टीआई के साथ सीएफएसपी एंड टीआई को डीएएचडी, भारत सरकार के लिए क्षमता निर्माण इकाइयों (सीबीयू) के रूप में पहचाना गया है। डीएएचडी में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है और ज्ञान तथा कौशल स्तरों में सुधार के लिए संबंधित डोमेन के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह अप्रैल, 2023 से प्रारंभ होगा। इस के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक सहायता सीबीसी, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

वर्ष 2022–23 में कुल 214 प्रशिक्षुओं को सीएफएसपी एंड टीआई –हैसरघट्टा द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

एचजीएम सांड

सीएफएसपी एंड टीआई प्रयोगशाला

***

अध्याय–4

डेयरी विकास

डेयरी विकास

4.1 सिंहावलोकन

भारतीय डेयरी क्षेत्र का पिछले वर्षों में पर्याप्त विकास हुआ है। विवेकशील नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप भारत ने वर्ष 2020–21 में दूध के 209.96 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के मुकाबले वर्ष 2021–22 में दूध का उत्पादन बढ़ाकर 221.06 मिलियन टन किया, जो 5.29% की वृद्धि दर्शाता है और इस प्रकार भारत, विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में प्रथम स्थान पर है। एफएओ फूड आउटलुक (नवंबर 2022) ने विश्व दूध उत्पादन में 1.34% की वृद्धि के साथ वर्ष 2020 के 912.6 मिलियन टन से बढ़कर इसके वर्ष 2021 (अनुमान) में 924.8 मिलियन टन होने की जानकारी दी। यह बढ़ती आबादी के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

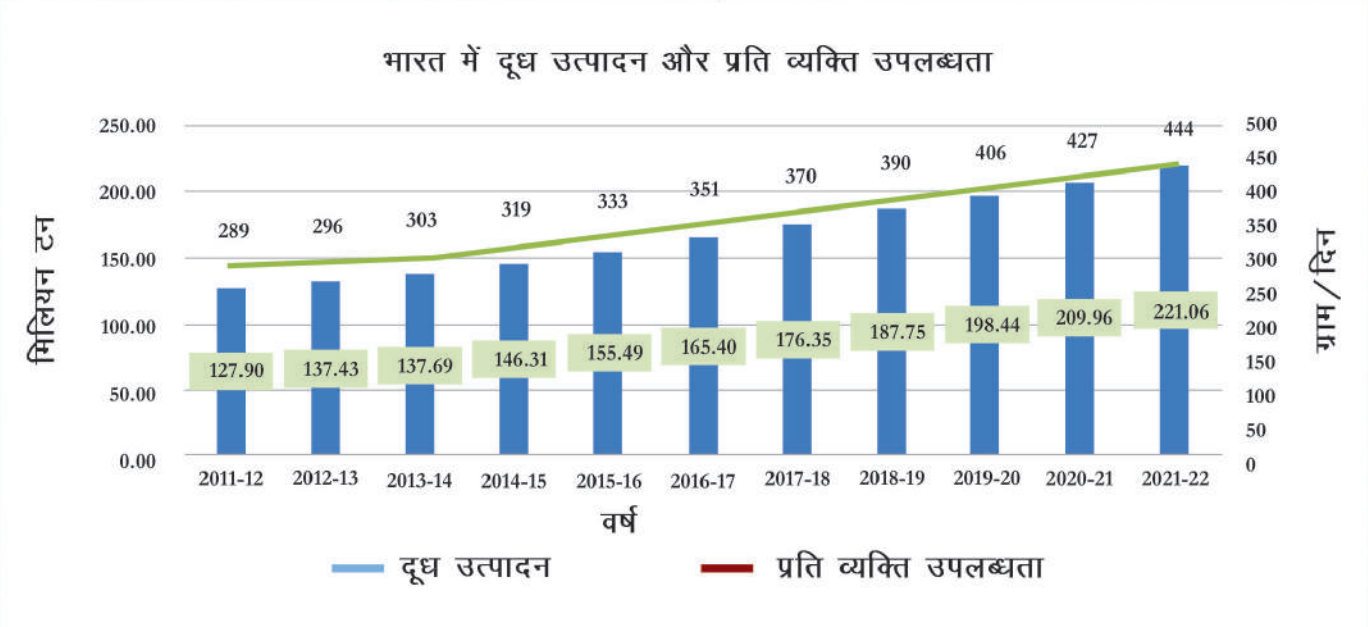

नोटः 1 मार्च 2011–2021 तक अनुमानित जनसंख्या आरजीआई, भारत की वर्ष 2011 की भारत की जनगणना पर आधारित है।

डेयरी लाखों ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण गौण स्रोत बन गया है और विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और आय के अवसर सृजित करने में इसकी भूमिका सबसे महत्व पूर्ण रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन के स्ततर तक पहुंच गई है, जो वर्ष 2021 (अनुमान) (फूड आउटलुक नवंबर'22) के 320 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत से अधिक है। देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है।

4.1.1 डेयरी उद्योग का आर्थिक महत्व

पशुधन उप–क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में और इसके साथ–साथ लाखों ग्रामीण परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका

निभाता है। पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में भारवाही पशु शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है और दूध, मांस, अंडे, ऊन, खाल और चमड़ा, खाद और ईंधन प्रदान करता है। यह भारतीय जीवीए (वर्तमान मूल्य पर) का लगभग 6.17% है और कृषि तथा सम्बध क्षेत्र के जीवीए का 30.87% है। वास्तविक रूप में, राष्ट्रीय जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान वर्ष 1999–2020 के 22. 93% के स्तर से गिरकर वर्ष 2020–21 में 16.27% (स्थिर कीमतों पर) हो गया है। तथापि, इसी अवधि (स्थिर कीमतों पर) के दौरान पशुधन का कृषि और सम्बीद्ध क्षेत्र को जीवीए में योगदान लगभग 23.12% से बढ़कर 30.13% तक हो गया है।

4.1.2 दुग्ध उत्पादन का हिस्सा और आपूर्ति

भारत में उत्पादित दूध की लगभग 46% या तो उत्पादक स्तर पर खपत होती है या ग्रामीण क्षेत्र में गैर–उत्पादकों को बेचा जाता है, शेष 54% दूध संगठित और असंगठित क्षेत्र में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। संगठित क्षेत्र में सरकार, उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाएं (दूध सहकारिताएं और उत्पोदक कंपनियां) और निजी व्यापारी जो ग्रामीण स्तर पर साल भर दूध संग्रह की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करते हैं, शामिल हैं। असंगठित/ अनौपचारिक क्षेत्र में स्थानीय दूधवाला, दूधिया, ठेकेदार आदि शामिल होते हैं और वे ज्यादातर अवसरवादी पाए जाते हैं, क्योंकि उत्पादकों को दिए जाने वाले दूध के मूल्य में एकरूपता नहीं होती है और यह स्थिति के आधार पर भिन्न–भिन्न होता है। इन असंगठित समूहों में दूध में मिलावट की संभावना अधिक होती है। उन क्षेत्रों में जहां प्रतिस्पर्धा अधिक है और औपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति मजबूत है, वहां वे आम तौर पर उच्च मूल्य देते हैं और साथ ही जहां संगठित क्षेत्र मौजूद नहीं है वहां वे उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं देते हैं।

4.1.3 मांग

भारत में दूध के लिए मांग के निर्धारक–जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होना है। दूध की खपत लोगों की खरीद शक्ति में वृद्धि होने, खाने की आदतों और जीवन शैली में परिवर्तन होने तथा जनसांख्यिकीय वृद्धि के अनुरूप बढ़ रही है। दूध इसके विभिन्न लाभों के साथ देश में अधिकांश शाकाहारी जनसंख्या के लिए पशुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का एक मात्र स्रोत है। इसके अलावा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेने में उपभोक्ता की संवर्धित रूचि और संगठित खुदरा चेन जैसे माध्यमों के जरिए डेयरी उत्पारदों के प्रति बढ़ रही जागरूकता और इनकी उपलब्धता जैसे तथ्य भी इस वृद्धि में योगदान देते हैं।

दूध का उपयोग करने वाली आबादी देश में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। एनएसएसओ के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस 2011–12) के अनुसार क्रमशः लगभग 78% और 85% ग्रामीण और शहरी आबादी ने देश में दूध की खपत की सूचना दी है। उपरोक्त संघटकों में वृद्धि से पता चलता है कि भविष्य में दूध और दूध उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होगी।

वर्ष 2021 में डेयरी बाजार का कुल आकार लगभग 13.17 लाख करोड़ रुपये था। डेयरी बाजार पिछले 15 वर्षों के दौरान लगभग 15% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है और इंटरनेशनल मार्किट एनेलसिस एंड कन्सलटिंग सर्विसिज प्रा.लि.(आईएमएआरसी) 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक लगभग 30.84 लाख करोड़ रुपये के बाजार के आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। तरल दूध बाजार देश के कुल डेयरी बाजार के लगभग आधे का प्रतिनिधित्व करता है। कुल तरल दूध बाजार में, संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले 3 वर्षों में 32% से बढ़कर 41% हो गई है। यह अनुमान है कि वर्ष 2026 तक संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 54% तक पहुंच जाएगी।

यह अनुमान है कि तरल दूध का बाजार अगले 5–6 वर्षों के दौरान लगभग 16% बढ़ेगा जबकि पनीर, फ्लेवर्ड दुग्ध, लस्सी, बटर दुग्ध, मट्ठा और जैविक दूध जैसे उत्पादों के लिए 20% से अधिक प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होगी। अन्य पारंपरिक डेयरी उत्पादों जैसे पनीर, घी, आइसक्रीम, खोआ, दही आदि की वार्षिक वृद्धि 11% से 20% की सीमा में होगी। मात्रा की दृष्टि से दूध और दुग्ध उत्पादों की कुल घरेलू खपत 16.1 करोड़ टन थी। इसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 26.7 करोड़ टन होने की उम्मीद है।

वर्ष 2021–22 में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 22 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है– जो पिछले 5 वर्षों के दौरान 6% प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज करता है। वर्ष 2021–22 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक दूध उत्पादन लगभग 30 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए, देश में बढ़ते डेयरी बाजार को पूरा करने के लिए डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है।

4.1.4 संगठित क्षेत्र

4.1.4.1. सहकारी क्षेत्र

तीन स्तरीय संरचना

ग्राम सहकारी सोसाइटी: भारत में ग्राम सहकारी कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य पैटर्न दूध उत्पादकों की एक आणंद मॉडल ग्राम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी (डीसीएस) है। कोई भी उत्पादक एक शेयर खरीदकर और केवल सोसाइटी को दूध बेचने के लिए प्रतिबद्ध होकर डीसीएस सदस्य बन सकता है। प्रत्येक डीसीएस में एक दूध संग्रह केंद्र होता है जहाँ पर सदस्य प्रतिदिन दूध लाते हैं। प्रत्येक सदस्य के दूध का, वसा और एसएनएफ (घनीभूत और वसा अंश नहीं) की प्रतिशतता के आधार पर भुगतान हेतु गुणवत्ता के लिए परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, डीसीएस के मुनाफे के एक हिस्से का उपयोग प्रत्येक सदस्य को दूध डालने की मात्रा के आधार पर एक संरक्षण बोनस का भुगतान करने के लिए किया जाता है।

जिला संघ: डेयरी सहकारी समितियों के स्वाामित्व के अंतर्गत एक जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ होता है। संघ सभी सोसाइटियों के दूध को खरीदता है, फिर तरल दूध और उत्पादों को प्रसंस्कृात करता है और उनका विपणन करता है। अधिकांश संघ दूध उत्पादन में सतत वृद्धि और सहकारी समितियों के व्यवसाय को बनाए रखने के लिए डीसीएस और उनके सदस्यों को चारा, पशु चिकित्सा देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान आदि कई प्रकार के आदान (इनपुट्स) और सेवाएं प्रदान करते हैं। संघ के कर्मचारी डीसीएस नेतृत्व और कर्मचारियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान करते हैं।

राज्य परिसंघ: सहकारी दूध उत्पादक संघ राज्य स्तर पर राज्य परिसंघ के रूप में संघ–बद्ध होते हैं जो सदस्य संघों के तरल दूध और उत्पादों के विपणन के लिए जिम्मेदार हैं। कुछेक संघ चारे का निर्माण भी करते हैं और अन्य क्रियाकलापों में संघ की सहायता भी करते हैं।

4.1.4.2 वर्तमान स्थिति: 228 डेयरी सहकारी दुग्ध संघों ने 1.96 लाख ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों के दायरे में लगभग 172.63 लाख किसानों को कवर किया है। सहकारी दुग्ध संघों ने वर्ष 2022–23 के दौरान नवंबर 2022 तक प्रति दिन औसतन 461.96 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान प्रति दिन 464.86 लाख की तुलना में 0.62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। सहकारी डेयरियों द्वारा तरल दूध की बिक्री वर्ष 2021–22 के दौरान नवंबर 2022 तक प्रति दिन लगभग 411.53 लाख लीटर थी, जबकि

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्रति दिन 373.09 लाख लीटर की तुलना में 5.49% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

4.1.4.3 दूध उत्पादक कंपनियां

एनडीडीबी डेयरी सेवाएँ (एनडीएस), एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने वर्ष के दौरान दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी) के निगमन और संचालन की सुविधा प्रदान की थी।एनडीएस ने सफलतापूर्वक 19 एमपीसी स्थापित किए हैं, जिनमें से छः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत समर्थित हैं। इनमें से बारह एमपीसी में सभी महिला सदस्य हैं और उनके संबंधित बोर्ड में सभी निर्माता निदेशक महिलाएं हैं। इन एमपीसी के कुल मिलाकर लगभग 19,000 गांवों में फैले लगभग 0.75 मिलियन दूध उत्पादक हैं। इन उत्पादकों में 69 प्रतिशत महिलाएं हैं और 67 प्रतिशत छोटे धारक दूध उत्पादक हैं। इन 19 कंपनियों के सदस्यों ने शेयर पूंजी के लिए लगभग 1,701 मिलियन रुपये जुटाए। कंपनियों ने वर्ष 2021–22 के दौरान प्रतिदिन लगभग 32.3 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की और वर्ष के दौरान कुल मिलाकर लगभग 57,558 मिलियन रुपये का सकल कारोबार हासिल किया। एनडीएस द्वारा तकनीकी रूप से समर्थित एमपीसी में, क्षमता निर्माण क्रियाकलाप जैसे किसान कार्यशालाओं, डेयरी फार्म प्रबंधन प्रशिक्षण के अलावा कृत्रिम गर्भाधान और राशन संतुलन कार्यक्रम जैसे उत्पादकता वृद्धि क्रियाकलाप को शुरू किया गया था। एंटीबायोटिक मुक्त दूध को बढ़ावा देने के लिए, एनडीएस ने इन एमपीसी में एथनो–पशु चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग की शुरुआत की है। वर्ष के दौरान, इन एमपीसी के परिचालन क्षेत्रों में 11 लाख से अधिक एआई किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एमपीसी के सदस्यों के बीच लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन गोपशु चारा और 500 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण भी बेचा गया।

4.1.4.4 निजी डेयरी क्षेत्र

वर्ष 1991 के बाद जब औद्योगिक लाईसेंस देने में सुधार का युग आरंभ हुआ निजी क्षेत्र की कम्प नियों ने दूध के प्रसंस्करण और दूध के व्युकत्पन्नों (डेरिवेटिवस) के लिए क्षमता निर्माण में प्रभावशाली वृद्धि की है। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए बड़े निवेश किए हैं जो पिछले 20 वर्षों में डेयरी सहकारिताओं और सरकारी डेयरियों की संयुक्त् क्षमता से भी अधिक हो गई है। इनमें से कुछेक निजी व्यवसायी कुछेक सहकारी डेयरियों से काफी बड़े हैं और वे विकास की काफी अधिक क्षमता रखते हैं। क्योंकि निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ कमाने के लिए पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर कार्य करता है अतः किसान के विकास के प्रति सामाजिक जिम्मेभदारी काफी हद तक प्रभावित होती है। निजी व्यंवसायी दूध विक्रेताओं के माध्यमम से दूध खरीदने को तरजीह देते हैं जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य् प्राप्त नहीं होता। तथापि, निजी क्षेत्र के विकास से अधिसंख्य किसानों को बाजार सुलभता प्राप्त होती है। एफएसएसएआई लाइसेंसों (मई, 2019 तक) के अनुसार निजी डेयरियों (दूध प्रसंस्करण ईकाईयों) की कुल संख्यू 1944 है जिनकी क्षमता 901.6 एलएलपीडी है।

4.2 डेयरी प्रभाग की भूमिका

- दूध और दूध के उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार के जरिए पशुधन उत्पूादन और उत्पादकता में वृद्धि करना और संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना।
- दूध और दूध उत्पादों के संबंध में व्यापार नीति
- दूध की स्थिति पर निगरानी रखना और उपभोक्तांओं के लिए दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए और दूध उत्पादकों को दूध का यथोचित मूल्य मुहैया कराने हेतु नीति संबंधी निर्णय लेना।

- योजनाओं परियोजनाओं को अनुमोदन देना, प्रगति की समीक्षा करना, वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का पुनर्विनियोजन, लेखापरीक्षा और निरीक्षण करना, योजना/परियोजना गवर्नेन्स, बाह्य/घरेलू एजेन्सियों के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करना, देयता का बचाव करना, बाहर से लिए गए ऋणों को वापस करना आदि।
- एफएसएसएआई अधिनियम के अनुपालन में दूध और दूध उत्पाकदों की गुणवत्तार में सुधार।
- कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति तैयार करना।
- उपयुक्त् नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए अपेक्षित आंकड़ों को एकत्रित और अद्यतन करना।

4.3 दूध परिदृश्य

4.3.1 घरेलू :

- वर्ष 2020–21 में 209.9 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2021–22में दुग्ध उत्पीादन 221.06 मिलियन टन(अनंतिम) था।
- वर्ष 2021 में, विश्व में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग 320 ग्राम प्रति दिन थी, जबकि भारत में वर्ष 2021–22 में यह 444 ग्राम प्रति दिन (अनंतिम) थी, जो 38.63% अधिक है।

नवंबर 2022 के महीने के दौरान औसत दूध की खरीद नवंबर 2021 की तुलना में 5.45% अधिक थी और तरल दूध की बिक्री 8.37% अधिक थी। नवंबर 2022 के दौरान, सहकारी क्षेत्र में स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) का स्टॉक लगभग 55% घट गया और सफेद मक्खन का स्टॉक 78% घट गया। यह परिदृश्य मुख्य रूप से कोविड महामारी के पहले कुछ महीनों के दौरान दुकानों और रेस्तरां के बंद होने के कारण अधिक मात्रा में खरीदे गए दूध के रूपांतरण के कारण है।

4.3.2 गत दो वर्षों के दौरान डेयरी विकास क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्धियां

भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में 24% प्रतिशत योगदान करता है। गत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22के दौरान डेयरी क्षेत्र की प्रगति निम्नानुसार है:

मापदंड	वर्ष (2020–21)	वर्ष (2021–22)	वृद्धि का प्रतिशत
भारत का दुग्ध उत्पादन (एमएमटी) संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर)]	209.9	221.06	5.29
विश्व दुग्ध उत्पादन (एमएमटी)' [संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर)]*	912.6 (2020)	924.8 (2021)	1.34
भारत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन) [संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर)]	427	444	3.98

*स्रोत – फूड आउटलुक नवंबर 2022

4.3.3 वर्ष 2022–23 के दौरान दूध की स्थितिः

अप्रैल, 2022से जनवरी, 2023की अवधि के दौरान दूध की स्थिति निम्नानुसार है:

1. प्रतिदिन औसतन 448.14 लाख किलोग्राम दूध खरीदा गया था और प्रतिदिन औसतन 441.10 लाख लीटर दूध बेचा गया था।

2. देश की प्रमुख दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा 6% वसा और 9% एसएनएफ वाले दूध के लिए

औसतन 43.45/– रु. प्रति किलोग्राम दूध खरीद मूल्य का भुगतान किया गया था। औसत बिक्री मूल्य 56.32 /–रु प्रति लीटर था।

4.3.4 जैविक दूधः डेयरी किसानों के लिए दुग्ध उत्पाददों के मानकों के अनुकूलीकरण तथा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया (पीजीएस) प्रमाणीकरण के संबंध में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में संयुक्त सचिव (सी एंड डीडी) की अध्यंक्षता में एक तकनीकी समिति (वनस्पितिक दूध प्रमाणीकरण एवं प्रक्रिया संबंधी समिति) का गठन किया गया था। डीएएचडीने कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा तैयार पीजीएसपोर्टल के लिए अपनी टिप्पणी प्रदान की थी और यह कृषि और किसान कल्याण विभाग के विचाराधीन है।

4.3.5 विश्व

वर्ष 2022 में 929.9 मिलियन टन वैश्विक दुग्ध उत्पादन का अनुमान है, जो वर्ष 2021 के 1.5 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ एशिया और उत्तरी अमेरिका के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में उत्पादन विस्तार का अनुमान है। डेयरी गोपशुओं की बढ़ती संख्या, कृषि उत्पादकता में सुधार और निवेश, एशिया में खासकर भारत, चीन और पाकिस्तान में वृद्धि के कारक हैं।

निर्यात और आयात

कमोडिटी (एचएस कोड)	आयात की गई मात्रा(एमटी में)				
	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (दिसंबर)
दूध और क्रीम (0401)	1623.86	450.37	233.79	312.57	334.72
दूध पाउडर (0402)	464.94	1321.76	438.84	277.6	266.62
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	221.06	1127.91	20.03	12.82	7.51
मट्ठा और मट्ठा उत्पाद (0404)	7985.78	12733.43	14088.29	9612.69	7314.4
मक्खन/घी/मक्खन तेल (0405)	423.52	401.98	598.2	130.84	246.31
पनीर और दही (0406)	1793.92	1792.38	804.12	1527.01	1560.58
कैसिइन, केसीनेट्स और अन्य कैसिइन डेरिवेटिव्सय कैसिइनोंद (3501)	559.29	2209.73	1856.76	2039.12	783.78
कुल	**13,072.37**	**20,037.56**	**18,040.03**	**13,912.65**	**10,513.92**

कमोडिटी (एचएस कोड)	निर्यात की गई मात्रा (एमटी में)				
	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (दिसंबर)
दूध और क्रीम (0401)	10,183.40	13,818.60	11,309.58	12,097.50	10,921.04
दूध पाउडर (0402)	47,986.96	3,758.47	16,855.97	49,681.96	17,585.40
किण्वित और अम्लीकृत दूध उत्पाद (0403)	809.29	994.78	1,107.50	1,450.20	1,128.50
मट्ठा (ह्वे) और मट्ठा (ह्वे) उत्पाद (0404)	916.56	311.6	224.06	158.53	301.41
मक्खन/घी/मक्खन तेल (0405)	46,137.92	25,263.18	16,971.61	37,674.34	18,059.74
पनीर और दही (0406)	7,691.29	7,323.82	8,458.60	7,648.69	6,914.77

कैसिइन, केसीनेट्स और अन्य कैसिइन डेरिवेटिव्सय कैसिइन गोंद (3501)	5,638.75	164.4	3,401.65	8,768.48	6,312.27
कुल	**1,19,364.17**	**51,634.85**	**58,328.97**	**1,17,479.70**	**61,223.13**

4.4 डेयरी विकास योजना

विभाग केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) और डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता लागू कर रहा है।

4.4.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

विभाग गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन, दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से फरवरी–2014 से देश भर में राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) यानी राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना– ''राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)'' लागू कर रहा है।

योजना को जुलाई 2021 में पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है। पुनर्गठित एनपीडीडी योजना को वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक 1790 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। पुनर्गठित योजना के दो घटक होंगे:

घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ/एसएचजी द्वारा संचालित निजी डेयरी/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ–साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढीकरण पर केंद्रित है। यह योजना वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक पांच साल की अवधि के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी।

उद्देश्य

क) किसान को उपभोक्ता से जोड़ने वाली कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्ता वाले दूध के लिए अवसंरचना को बनाना और सुदृढ़ करना

ख) डेयरी किसानों को स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना

ग) गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन पर जागरूकता पैदा करना

घ) गुणवत्ता वाले दूध और दूध उत्पादों पर अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए

निधियन पैटर्न

क) भारत सरकार और राज्य/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए)/अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी (ईआईए) के बीच 60:40 लागत साझाकरण आधार

ख) पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों के लिए भारत सरकार और राज्य/एसआईए/ईआईए के बीच 90:10 लागत साझाकरण आधार।

ग) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता 100% होगी।

घ) जहां तक अनुसंधान एवं विकास, आईसीटी नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, जागरूकता और योजना एवं निगरानी के लिए वित्तीय सहायता का संबंध है, सहायता 100% होगी।

वित्त पोषित किए जाने वाले कार्यकलापीय घटक

प्राथमिक स्तर पर दूध प्रशीतन सुविधाएं (बीएमसी सहित), दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना,

प्रमाणन और मान्यता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और किसान जागरूकता कार्यक्रम, योजना और निगरानी और अनुसंधान और विकास।

एनपीडीडी के तहत उपलब्धियां

वर्ष 2014–15 से वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) तक 28 राज्यों और 2 संघ राज्यों क्षेत्रों में कुल 2783.69 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 2130.04 करोड़ रुपये) की लागत पर 178 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। योजनान्तर्गत अनुमोदित नवीन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.12.2022 तक कुल 1634.99 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। दिसंबर 2022 तक की राज्य–वार वित्तीय प्रगति **अनुबंध–VII** में है।

एनपीडीडी के तहत वास्तीविक प्रगति

- 13.08 लाख नए किसानों को डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यरता का लाभ दिया गया।
- प्रतिदिन 22.90 लाख लीटर की नई दूध प्रसंस्कसरण क्षमता स्थादपित की गई है।
- ग्रामीण स्तर की डेयरी सहकारी समितियों में 63.59 लाख लीटर प्रशीतन क्षमता के साथ 3092 बल्क दुग्ध कूलर स्थापित, 22795 स्वचालित दूध संग्रह इकाई और डेटा प्रोसेसिंग और दूध संग्रह इकाई स्थापित की गई।
- दूध में मिलावट की जांच के लिए 9978 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण उपकरण और 648 ब्यूटिरो रेफ्रेक्टोमीटर को मंजूरी दी गई है।
- 18 राज्यों में राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला को मंजूरी दी गई है। हालाँकि, 15 राज्य इसकी स्थापना के लिए सहमत हुए।
- राज्य–वार वास्तटविक प्रगति (लक्ष्य और उपलब्धियां) **अनुबंध–VIII** में है।

घटक ख – सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी – जेआईसीए

उद्देश्य – 'संगठित बाजार में किसानों की पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करना और उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना, और इस प्रकार परियोजना क्षेत्र में दूध उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि करना'

निधियन के स्रोतः

कुल परियोजना लागत	1568.28 करोड़ रु.
ईएफसी द्वारा अनुमोदित केंद्रीय हिस्साः	475.54 करोड़ रू. (30.3%)
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एजेंसी (जेआईसीए) ऋणः	924.56 करोड़ रू. (59.0%)
अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी योगदानः	168.18 करोड रू. (10.7%)

कार्यान्वयन एजेंसी–राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

पात्र राज्यः योजना, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में क्रियान्वित की जा रही है तथा इसे 7 और राज्यों नामतः मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब में विस्तारित किया गया है। जेआईसीए के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद अनुदान सहायता के साथ चारा प्रायोगिक परियोजना के लिए उत्तराखंड राज्य को शामिल किया गया है।

पात्र सहभागी संस्थाएं – दुग्ध संघ/दुग्ध उत्पादक कंपनियां/राज्य दुग्ध परिसंघ/बहु राज्य दुग्ध सहकारी समितियां

घटक – दूध अधिप्राप्ति अवसंरचना को मजबूत करना, प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करना, विपणन अवसंरचना के लिए समर्थन, आईसीटी के लिए समर्थन, पोषण संबंधी हस्तक्षेप, परियोजना

प्रबंधन और अधिगम तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से– उत्पादकता में वृद्धि

परियोजना परिणामः

परियोजना के निम्नलिखित परिणाम होंगेः

I. 4470 गांवों में नए ग्राम स्तरीय संस्थानों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण।

II. दूध डालने के लिए लगभग 1.5 लाख अतिरिक्त दूध उत्पादकों (50% महिला दुग्ध उत्पादकों के साथ) को लक्षित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रति दिन लगभग 14.20 लाख किलोग्राम दूध की खरीद में वृद्धि होगी।

III. कार्यक्रम के अंत में 4707 एएमसीयू की स्थापना और दूध के संग्रह तथा 8 एलएलपीडी दूध के संग्रह तथा हस्तांतरण के लिए 104 दूध टैंकरों को शामिल करना।

IV. ग्राम स्तर पर 8.96 एलएलपीडी की अतिरिक्त प्रशीतन क्षमता का निर्माण, लगभग 7 एलएलपीडी की प्रसंस्करण क्षमता (लाख लीटर प्रति दिन) 190 एमटीपीडी की मूल्य वर्धित उत्पाद (वीएपी) निर्माण क्षमता।

V. कोल्ड चेन अवसंरचना के तहत डीप फ्रीजर और विसी कूलर के साथ 3000 दुग्ध पार्लर, 198 वॉक–इन–कोल्ड स्टोरेज और 5 केएल क्षमता के 96 इंसुलेटेड वैन की स्थापना करके पीओआई के मार्केटिंग कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करना।

VI. 3000 गांवों में चारा विकास और पशु पोषण सलाहकार सेवाएं।

VII. 724 एमटीपीडी की फीड और फीड सप्लीमेंट निर्माण क्षमता का सृजन।

4.4.2 डेयरी क्रियाकलाप में शामिल डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादक संगठनों को सहायताः

एक योजना नामतः "डेयरी क्रियाकलाप में शामिल डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता" को राज्य सहकारिताओं और परिसंघों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया था। योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दिसंबर, 2022 तक 433 करोड़ रू. राशि जारी की जा चुकी है।

उद्देश्य

- गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा हुई समस्याओं से निपटने के लिए राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके सहायता करना।
- डेयरी किसानों को स्थायी बाजार तक पहुंच प्रदान करना।
- राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों को किसानों के बकाये का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाना।
- सहाकारिताओं को किसानों से, यहां तक कि दूध की कमी के मौसम के दौरान भी, लाभकारी मूल्यों पर दूध की खरीद के लिए सक्षम बनाना।

कोविड –19 लॉकडाउन के कारण डेयरी सहकारी समितियों और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के कारण, वर्ष 2020–21 के दौरान योजना के तहत 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन' के घटक को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस बीच, योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋण के घटक को वर्ष 2020–21 के दौरान निलंबित रखा गया है। मांग के आधार पर, सचिव (एएचडी) की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 'कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन' के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 203

करोड़ रुपये कर दिया है। कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए 'कार्यशील पूंजी ऋण घटक' को वर्ष 2021–22 के लिए भी निलंबित रखा गया था।

विभाग द्वारा एनडीडीबी के माध्यम से ब्याज सबवेंशन घटक लागू किया जा रहा है। यह योजना पात्र भागीदार एजेंसियों (पीए) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर 2% प्रति वर्ष के ब्याज सबवेंशन का प्रावधान करती है। शीघ्र और समय पर चुकौती के लिए, ऋण चुकौती अवधि के अंत में अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन देय होगा। कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए योजना के तहत शामिल उत्पाद स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी), संपूर्णदुग्ध पाउडर (डब्ल्यूएमपी), सफेद मक्खन और घी हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक अम्ब्रेला योजना **''अवसंरचना विकास निधि''** के एक हिस्से के रूप में **डेयरी क्रियाकलाप में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)** के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया।

वर्ष 2020–21 के लिए एनडीडीबी ने 55 दुग्ध संघों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 10588.64 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 151.02 करोड़ रुपये के ब्याज सबवेंशन की संस्वीकृति दी है और 156.57 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 78.84 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में 77.73 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।

वर्ष 2021–22 के लिए, एनडीडीबी ने 60 दुग्ध संघों के लिए 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 14117.85 करोड़ रुपये की राशि के कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए 210.08 करोड़ रुपये के ब्याज सबवेंशन की संस्वीकृति दी है और 179.41 करोड़ रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 97.90 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के रूप में 81.51 करोड़ रुपये) जारी किए हैं।

वर्ष 2022–23 के लिए, एनडीडीबी ने 29 दुग्ध संघों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 8551.66 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए 118.00 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की संस्वीकृति दी है। अभी तक कोई निधि जारी नहीं हुई है।

4.4.3 डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) को 11,184 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दूध प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रशीतन सुविधाओं के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है; राज्य सहकारी और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियों, बहु राज्य डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), एनडीडीबी की अनुषंगी कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए 8,004 करोड़ रुपये का ऋण घटक है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बाजार से धन जुटाता है, जिसे वह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को उधार देता है और बदले में एनडीडीबी/एनसीडीसी इसे पात्र अंतिम उधारकर्ताओं (ईईबी) को ऋण के रूप में देता है। भारत सरकार नाबार्ड को 2.5% ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। वित्त पोषण की अवधि मार्च, 2022–23 तक है, जबकि अदायगी की अवधि वित्त वर्ष 2031–32 की पहली तिमाही के स्पिल ओवर के साथ वर्ष 2030–31 तक है।

योजना के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं प्रशीतन सुविधाओं के सृजन/सुदृढ़ीकरण के

अतिरिक्त निम्नलिखित घटक शामिल थे

वित्त पोषण के लिए शामिल नए घटकः

- गोपशु चारा/चारा संपूरक संयंत्र
- दुग्ध ढुलाई प्रणाली (रेफ्रिजेरेटेड वैन/इन्सुलेटेड टैंकर आदि)
- मार्केटिंग अवसंरचना (ई–मार्केट सिस्टम, बल्क वेंडिंग सिस्टम, पार्लर, डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज आदि सहित)
- कमोडिटी और गोपशु चारा गो–डाउन
- आईसीटी (जैसे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, सर्वर, आईटी सॉल्यूशंस, नियर रियल–टाइम डिवाइस आदि)
- अनुसंधान एवं विकास (प्रयोगशाला और उपकरण, नई तकनीक, नवाचार, उत्पाद विकास आदि)
- अक्षय ऊर्जा अवसंरचना/संयंत्र, ट्राइजेन/ऊर्जा दक्षता अवसंरचना। तीनों मामलों में, उत्पन्न या बचाई गई ऊर्जा मौजूदा संयंत्र/बीएमसी इकाई/दूध संग्रहण इकाई आदि की लागत के लाभ के लिए होनी चाहिए।
- डेयरी उद्देश्यों के लिए पेट बोतल/पैकेजिंग सामग्री निर्माण इकाइयां आदि।
- प्रशिक्षण केंद्र (सिविल और अन्य आवश्यक अवसंरचना के साथ पूर्ण)

उपलब्धिः दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, वित्तीय और वास्तविक विवरण निम्नानुसार है:

I. वित्तीयः दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 3575.74 करोड़ रुपये के ऋण घटक के साथ 5544.53 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय एनडीडीबी और एनसीडीसी द्वारा संस्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, संस्वीकृत ऋण राशि में से 1419.55 करोड़ रुपये का ऋण संवितरित किया जा चुका है।

II. वास्तविकः दिनांक 31.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 63.70 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) दूध प्रसंस्करण क्षमता, 3.4 एलएलपीडी क्षमता के साथ 113 बीएमसी, 265 मीट्रिक टन प्रति दिन (एमटीपीडी) दूध सुखाने की क्षमता और 10.46 एलएलपीडी मूल्य वर्धित उत्पाद (वीएपी) निर्माण क्षमता स्थापित की गयी है।

III. डीआईडीएफ के तहत ब्याज सबवेंशन जारी करनाः डीएएचडी, भारत सरकार ने नाबार्ड को ब्याज सबवेंशन के रूप में 79.59 करोड़ रुपये जारी किए।

कार्य योजनाः डीएएचडी ने दिनांक 31.08.2022 को हितधारकों के साथ डीआईडीएफ के लिए एक समीक्षा बैठक की और निम्नलिखित निर्णय लिए गएः

I. डीआईडीएफ योजना सीसीईए अनुमोदन के अनुसार चल सकती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए और अधिक विस्तार की मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

II. डीआईडीएफ के तहत शामिल घटकों और पात्र लाभार्थियों को एएचआईडीएफ योजना में शामिल किया जाना जारी रखा जा सकता है।

III. एनडीडीबी और एनसीडीसी को एएचआईडीएफ में शामिल किया जा सकता है।

IV. एएचआईडीएफ के लिए सीसीईए नोट को डीआईडीएफ की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने की जरूरत है।

V. एनडीडीबी/एनसीडीसी को डीआईडीएफ के तहत ऋण के संवितरण में तेजी लानी होगी क्योंकि वित्त वर्ष 2022–23 डीआईडीएफ योजना के सीसीईए अनुमोदन के अनुसार वित्त पोषण के लिए अंतिम वर्ष है।

4.4.4 राष्ट्रीय डेयरी योजना–II स्कीम

बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से निधियन की मांग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा 17.09.2021 को आयोजित संवीक्षा समिति की 120 वीं बैठक सम्पन्न हुई तथा नीति आयोग, डीओई और अन्य विभागों की टिप्पणियों को शामिल करने की शर्त पर 77.81 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता के लिए विश्व बैंक (जो अस्थायी है और निधियन के समय अंतिम रूप देने के अधीन है) हेतु राष्ट्रीय डेयरी योजना, चरण– II नामक परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विश्व बैंक से 77.82 मिलियन अमरीकी डालर (630 करोड़ रुपये) की बाहरी सहायता की मांग करते हुए 176.45 मिलियन अमरीकी डालर (1429 करोड़ रुपये) की परियोजना लागत वाली ''राष्ट्रीय डेयरी योजना, चरण II (एनडीपी II)'' की डीपीआर एनडीडीबी और विश्व बैंक के परामर्श से तैयार की जा रही है।

4.5 दुग्ध गुणवत्ता पहल

4.5.1 गुणवत्तापूर्ण दुग्ध कार्यक्रम

डीएएचडी ने घरेलू उपभोग के लिए वैश्विक (कोडेक्स) मानकों को प्राप्त करने और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने तथा विश्व निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दिनांक 24.07.2019 को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध कार्यक्रम शुरू किया है। सभी सहकारी डेयरी संयंत्र और डेयरी सहकारी समितियां रासायनिक और माइक्रोबायोलोजी परीक्षण करेंगी। वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यक्रम के पहले चरण में, 233 डेयरी संयंत्रों को "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" योजना के तहत दूध में मिलावट (यूरिया, माल्ट्रोडेक्सट्रिन अमोनियम सल्फेट, डिटर्जेंट, शर्करा, न्यूट्रेलाईजर्स आदि) की जांच करने के लिए सुदृढ़ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। 30,000 लीटर और उससे अधिक की क्षमता के 143 डेयरी संयंत्रों के लिए एफटीआईआर प्रौद्योगिकी आधारित दुग्ध विश्लेषक (सटीक जांच और दुग्ध संरचना और मिलावट के अनुमान के लिए) और 30,000 लीटर से कम की क्षमता के 90 डेयरी संयंत्रों के लिए मिलावट परीक्षण उपकरणों के साथ इलेक्ट्रोनिक दुग्ध एनलाइजर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 18 राज्यों के लिए एक राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला अनुमोदित की गई है जिसके लिए 15 राज्य इसकी स्थापना हेतु सहमत हैं। उपभोक्ताओं तक दूध के पहुंचने से पहले दूध का तत्काल रासायनिक और माइक्रोबायोलॉजिकल गुणवत्ता परीक्षण किया जायेगा। परियोजना की कुल लागत 271.64 करोड़ रु. थी। दिनांक 31.12.2022 तक राज्यों को 222.45 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। कार्यक्रम के तहत 115 एफटीआईआर प्रौद्योगिकी आधारित दूध एनलाइजर और मिलावट परीक्षण उपकरणों के साथ 41 इलेक्ट्रॉनिक दूध एनलाइजर पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

4.5.2 एनपीडीडी योजना का पुनर्गठन

जुलाई 2021 में एनपीडीडी का पुनर्गठन/पुर्नसंरेखण किया गया है और यह वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक क्रियान्वित रहेगा। योजना का घटक 'क' मुख्य रूप से गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ–साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। योजना के तहत मिल्क एनलाइजर के साथ 42,737 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, 9978 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण मशीनें और 111.67 लाख लीटर की क्षमता वाले 5038 बल्क मिल्क कूलर लगाने को अनुमोदित किया गया है।

4.6 स्मार्ट इंडिया हैकथॉन वर्ष 2022 (एसआईएच 2022)

विभाग के डेयरी डिवीजन ने नवाचार प्रकोष्ठ, एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एसआईएच 2022 में भाग लिया था। विभाग के डेयरी डिवीजन में सात समस्या विवरण प्रस्तुत किए थे। ग्रैंड फिनाले 25 और 26 अगस्त, 2022 को विजयवाड़ा में सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए और 25 से 29 अगस्त, 2022 तक ओंगोल में हार्डवेयर संस्करण के लिए आयोजित किया गया था। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समस्या विवरण के लिए विजेता टीम के समाधान/प्रोटोटाइप/विचार को नवाचार प्रकोष्ठ, एआईसीटीई द्वारा समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए साझा किया गया था। क्षेत्र स्तर पर इसके वास्तविक अनुप्रयोग/व्यवहार्यता/कार्यान्वयन के लिए हितधारकों द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

4.7 दिल्ली दुग्ध योजना

दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। दिल्ली दुग्ध योजना वर्ष 1959 में स्थापित की गई थी।

उद्देश्य

1. दिल्ली और एनसीआर के उपभोक्ताओं को उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक दूध और दूध उत्पाद उपलब्ध कराना।

2. बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और अच्छी सेवा के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना।

3. दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना।

दिल्ली दुग्ध योजना दूध और दूध उत्पादों जैसे घी, टेबल बटर, दही, पनीर और छाछ का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री कर रही है। दिल्ली दुग्ध योजना की प्रारंभिक संस्थापित क्षमता 2.55 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के प्रसंस्करण/पैकिंग की थी। शहर में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, दिल्ली की बढ़ती आबादी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, क्षमता को चरणों में बढ़ाकर 5.00 लाख लीटर दूध प्रति दिन किया गया। हालांकि वर्तमान में डीएमएस के पास सहायक उपयोगी उपकरणों के अद्यतित न होने की कमी के चलते केवल 1.5 एलएलपीडी के प्रयोग की क्षमता है।

विजनः

डीएमएस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक गुणवत्ता–संचालित वाणिज्यिक संगठन के रूप में देखा जाएगा, जो हमारे ग्राहकों को त्वरित सेवा के साथ शुद्ध और सुरक्षित दूध से बने खाद्य पदार्थ देने के लिए प्रतिबद्ध है।

गुणवत्ता नीतिः

डीएमएस हमारे ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित दूध और दूध उत्पादों के साथ–साथ त्वरित और कुशल सेवा से संतुष्टि प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- डीएमएस वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करके इसे हासिल करेगा।
- गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों की स्थापना और समीक्षा करके।
- कर्मचारियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के कौशल में लगातार सुधार करके।
- आईएसओ 9001:2000, एचएसीसीपी सिद्धांतों का पालन करके गुणवत्ता और सुरक्षित दूध उत्पादों का उत्पादन होता है।

प्रमाणनः डीएमएस के पास खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणन 22000:2005

और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 है।

प्रबंधन समिति

प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में अपर सचिव (डेयरी विकास), निदेशक (वित्त), राज्य डेयरी संघों के दो प्रतिनिधि और महाप्रबंधक, डीएमएस इसके सदस्य होते हैं। प्रबंधन समिति को महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्रबंधकों और तकनीकी अधिकारियों की एक टीम द्वारा समर्थित किया जाता है।

दूध की खरीद

दिल्ली दुग्ध योजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार के राज्य डेयरी संघों से कच्चा/ताजा दूध खरीद रही है। वर्ष 2017–18 से डीएमएस द्वारा खरीदे गए दूध की कुल मात्रा नीचे दर्शाई गई है:

डीएमएस द्वारा खरीदा गया दूध

वर्ष	कुल खरीदे गए दूध की मात्रा	औसत/दिन
2017–18	805.08	2.21
2018–19	607.86	1.67
2019–20	486.67	1.33
2020–21	545.49	1.49
2021–22	485.08	1.32
2022–23 (दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक)	293.78	1.08

वर्तमान वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान (31 दिसंबर, 2022 तक) डीएमएस ने दूध और दूध उत्पादों की मांग के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2021–22 की तुलना में प्रतिदिन 1.08 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की। डीएमएस ने कच्चे दूध, स्किम्ड दुग्ध पाउडर, सफेद मक्खन की पूरी आवश्यकता राज्य डेयरी संघों/दुग्ध संघों अर्थात् पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, हरियाणा डेयरी डिवीजन सहकारी परिसंघ लिमिटेड, राजस्थान सहकारी डेयरी परिसंघ, सहकारी डेयरी परिसंघ लिमिटेड, (यूपी), हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी परिसंघ, कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ और गुजरात सहकारी दुग्ध मार्केटिंग परिसंघ लिमिटेड, मैसर्स हर्ष डेयरी आदि से प्राप्त की है। डीएमएस को अपने स्तर पर दूध खरीद दरों को तय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

दूध का उत्पादन और वितरण

दिल्ली दुग्ध योजना दूध (टोंड, डबल टोंड और फुल क्रीम) का प्रसंस्करण और अपने उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति कर रही है। डीएमएस, दिल्ली के उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए दही, घी, मक्खन, पनीर और छाछ का निर्माण और विपणन भी कर रहा है।

डीएमएस दिल्ली में अपने 564 बूथों और लगभग 143 संस्थाओं जैसे अस्पताल, संसद भवन, एनेक्सी, सरकारी कैंटीन, छात्रावास और रक्षा इकाइयों आदि के माध्यम से दूध की आपूर्ति कर रहा है। इसके अलावा, डीएमएस दूध वितरकों और निजी उद्यमियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति भी करता है। डीएमएस दिल्ली के एनसीटी के नए क्षेत्रों में वितरकों को शामिल करके दूध की बिक्री शुरू कर रहा है। डीएमएस दिल्ली के आपूर्ति क्षेत्र को 16 जोनों में विभाजित करके वितरकों की नियुक्ति के माध्यम से ट्रांसपोर्टर और वितरकों को विलय करके दूध और दूध उत्पादों की पूरी आपूर्ति को स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है।दूध बूथ पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, विधवाओं, बेरोजगार व्यक्तियों आदि को आवंटित और उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं।

निष्पादन/क्षमता उपयोग

वित्तीय वर्ष 2022–23 (31दिसंबर, 2022 तक) के दौरान डीएमएस की बिक्री 1.37 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) है। वर्ष 2017–18 के बाद से दूध की बिक्री के संदर्भ में क्षमता उपयोग नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

डीएमएस का निष्पादन

वर्ष	दूध की बिक्री की कुल मात्रा (लाख लीटर में)	दूध की औसत बिक्री (एलएलपीडी)*	5 एलएलपीडी की स्थापित क्षमता के संदर्भ में दूध की औसत बिक्री का प्रतिशत *
2017–18	954.21	2.61	52.2%
2018 –19	818.27	2.24	44.8%
2019–20	789.81	2.16	43.2%
2020–21	694.93	1.90	38%
2021– 22	578.15	1.58	31.6%
2022–23 (31 दिसंबर, 2022 तक)	371.36	1.37	27.5%

नोट 1. *एलएलपीडी (लाख लीटर प्रति दिन)। हालांकि वर्तमान में डीएमएस के पास सहायक उपयोगी अद्यतित उपकरणों की कमी के चलते केवल 1.5 एलएलपीडी के प्रयोग की क्षमता है।

2. दूध की बिक्री की मात्रा के अनुसार क्षमता उपयोग सीमित है।

वित्तीय परिव्ययः कच्चे दूध, एसएमपी, सफेद मक्खन आदि जैसे इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय सहित लेखा शीर्ष पर व्यय भारत सरकार की समेकित निधि से पशुपालन एवं डेयरी विभाग मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक बजटीय आवंटन के माध्यम से किया जाता है। दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री आय भारत सरकार के राजस्व खाते में जमा की जाती है।

वर्ष 2021–22 (आरई) और बी.ई./आर.ई. वर्ष 2022–23 (31 दिसंबर, 2022 तक) के लिए प्रदान की गई/ प्रस्तावित निधियों और व्यय और वर्ष–2023–24 के लिए बीई नीचे तालिका में दिए गए हैं।

डीएमएस का व्यय

(करोड़ रुपये में)

शीर्षक/योजना	2021.22		2022.23			2023.24
	(आर.ई.) (अनुमोदित)	व्यय	(बी.ई.) (अनुमोदित)	(आर.ई.) (अनुमोदित)	व्यय (31 दिसंबर 2022 तक)	(बी.ई.) (अनुमोदित)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर–योजना	330.00	299.84	370	335.80	275.42	360.00
II. योजना (सिविल और इलैक्ट्रिकल कार्यों सहित)	10.00	-	-	-	-	-
कुल	340.00	299.84	370	335.80	275.42	360.00

डीएमएस की स्टाफ संख्या

डीएमएस ने वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिनांक 31.12.2022 तक) के दौरान कुल कर्मचारियों की संख्या के वेतन पर 33,94,47,247/–रुपये का भुगतान किया है। कर्मचारियों की कुल संख्या 455 (01.04.2022 को) से घटकर 436 हो गयी है (दिनांक 31.12.2022 को)। इसके अलावा, डीएमएस ने वर्ष 2022–23 (31.

12.2022 तक) के दौरान 219 संविदा कर्मचारियों के लिए 4,26,22,778/– रुपये का भुगतान किया है।

डीएमएस संयंत्र का उन्नयन और आधुनिकीकरण

डीएमएस संयंत्र 1959 में चालू होने के बाद से पुराना हो गया है और इसके उन्नयन की आवश्यकता है। स्थापित क्षमता (दूध प्रसंस्करण क्षमता) प्रतिदिन 5.00 लाख लीटर दूध है। वर्तमान में डीएमएस वित्तीय वर्ष 2022–23 (31 दिसंबर, 2022 तक) के दौरान लगभग प्रतिदिन 1.37 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण कर रहा है।

डीएमएस वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान स्थापित क्षमता के लगभग 27.5 प्रतिशत का उपयोग कर रहा है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री बढ़ाकर इसकी क्षमता का उपयोग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नुकसान कम किया जा सके।

डीएमएस ने दिनांक 8.10.2022 को ईआरपी समाधान प्रणाली (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) लॉन्च की है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विपणित किए जा रहे/किए जाने वाले दूध और दुग्ध उत्पादों के वितरण नेटवर्क में इस सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग और संचालन के प्रबंधन के साथ मांग प्राप्त करने, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने, विभिन्न प्रोत्साहनों, छूट और दंड आदि के आधार पर अंतिम राशि की गणना और उसका भुगतान करने के लिए मोबाइल फोन अनुकूलता (कम्पेटेबिलिटी) है। इससे पारदर्शिता के साथ दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री में सुधार करने में मदद मिलती है।

***

अध्याय–5

पशुपालन

पशुपालन

5.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन

डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर में प्रजातियों और क्षेत्रों, सभी में प्राप्त सफलता का अनुकरण करके पशुधन क्षेत्र के सतत और निरंतर विकास के लिए, वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) शुरू किया गया था। यह मिशन पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था, जिसमें गुणवत्ता वाले आहार और चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के बेहतर प्रवाह और पशुधन किसानों/पालकों के संगठन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

हाल ही में, राष्ट्रीय पशुधन मिशन को संशोधित किया गया है और 2300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पांच वर्षों के लिए अर्थात वर्ष 2021–22 से पुनः संरेखित किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा 14.07.2021 को पुनः संरेखित योजना को मंजूरी दे दी गई है। योजना का ध्यान रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार एकछत्र योजना विकास कार्यक्रमों के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि को लक्षित करना है। अतिरिक्त उत्पादन से घरेलू मांगों को पूरा करने के बाद निर्यात आय में मदद मिलेगी। एनएलएम योजना की अवधारणा असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उत्पामदों के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सृजित करने के लिए और संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए उद्यमिता विकसित करना है।

यह योजना निम्नलिखित तीन उप–मिशनों के साथ कार्यान्वित की गई है:

I. पशुधन और कुक्कुट नस्ल विकास संबंधी उप–मिशन

II. आहार और चारा विकास संबंधी उप–मिशन

III. विस्तार और नवाचार संबंधी उप–मिशन

5.1.1 पशुधन और कुक्कुट नस्ल विकास संबंधी उप–मिशनः

यह उप–मिशन उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान सहकारिता संगठनों (एफसीओ), संयुक्त देयतासमूहों (जेएलजी), स्वव–सहायता समूहों (एसएचजी), धारा 8 कंपनियों जैसी पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन प्रदान करके कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार तथा नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों पर भी विशिष्ट ध्यान देने का प्रस्ताव करता है।

5.1.1.1 ग्रामीण कुक्कुटों की नस्ल के विकास हेतु उद्यमियों को स्थापित करना इस घटक के तहत, केंद्र सरकार न्यूनतम हैचरी और ब्रूडिंग इकाई के साथ 1000 मादा पक्षियों और 100 नर पक्षियों वालेग्रामीण पोल्ट्री पक्षियों के पैरेंट लेयर फार्म की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां आवेदन कर सकती हैं।

इस योजना में आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से www.nlm.udyamimitra.in नामक यूआरएल वाला एक समर्पित डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है। पोर्टल आवेदकों को संगत दस्तावेजों को अपलोड करने और उधार देने वाले

संस्थानों को चुनने सहित आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम बनाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ग्रामीण पोल्ट्री क्षेत्र में उद्यमिता के 24 प्रस्तावों को डीएएचडी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

5.1.1.2 जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़ एवं बकरी पालन) में नस्ल विकास हेतु उद्यमी की स्थापना

इस घटक के तहत, केंद्र सरकार न्यूनतम 100 मादा पशुओं और 5 नर पशुओं वाले भेड़ या बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। आवेदक 500 मादा पशुओं और 25 नर पशुओं की अधिकतम सीमा के साथ 1005 इकाई के गुणकों में आवेदन कर सकते हैं। पात्र सब्सिडी सीमा, योजना के आकार के अनुपात में 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक भिन्न होती है। इस योजनाकालाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भेड़/बकरी क्षेत्र के 181 उद्यमिता प्रस्तावों को डीएएचडी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

5.1.1.3 भेड़ और बकरी की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

उद्देश्यः कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बेहतर नर जर्मप्लाज्म के प्रसार द्वारा चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से भेड़/बकरियों की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

भेड़ और बकरी की नस्लों के आनुवंशिक सुधार के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप आते हैं:–

5.1.1.4 भेड़ एवं बकरियों के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला एवं वीर्य बैंक की स्थापनाः

इस घटक के तहत केंद्र सरकार बकरी के लिए हिमित वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और उक्त क्षेत्र में आसपास के राज्यों में विशिष्ट पशुओं के सीमन की आपूर्ति के लिए रणनीतिक स्थान पर क्षेत्रीय स्तर पर भेड़ के लिए तरल वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में आंध्र प्रदेश और पष्चिम बंगाल राज्य सरकार को क्रमशः दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय बकरी वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 101.10 लाख रुपये और 75 लाख रुपये जारी किए गए थे। एफएसबीएसबनवासी, कुरनूल और एफएसबीएस, विशाखापत्तनम में 2 भेड़ वीर्य उत्पादन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश को 25.50 लाख रुपये जारी किए गए।

5.1.1.5 राज्य वीर्य बैंक की स्थापना

इस घटक के तहत, राज्य को मौजूदा गोपशु और भैंस वीर्य बैंक को सुदृढ़ करने के लिए बकरी के हिमित वीर्य को स्टोर करने और वितरित करने हेतु 10.00 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, एक राज्य वीर्य बैंक की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को 10.00 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी।

5.1.1.6 मौजूदा गोपशु और भैंस एआई केंद्रों के माध्यम से भेड़ और बकरी में एआई का प्रचार

इस घटक के तहत, गोपशु और भैंस एआई केंद्रों को आवश्यक उपकरणों (बकरी एआई ट्रैविस, एआई गन, योनि स्पेकुलम, हेड लाइट) की आपूर्ति करके बकरी और भेड़ एआई करने के लिए सुदृढ़ किया जाता है और गोपशु एआई कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, 600 एआई केंद्रों के उन्नयन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 25.20 लाख रुपये की

केंद्रीय सहायता जारी की गई और 50 एआई केंद्रों के उन्नयन हेतु अरुणाचल प्रदेश राज्य को 3.50 लाख रुपये जारी किए गए।

5.1.1.7 विदेशी भेड़ और बकरियों के जर्मप्लाज्म का आयात

इस घटक के तहत, राज्य को जीवित पशुओं के रूप में भेड़ और बकरी के जर्मप्लाज्म के आयात के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान, संघ राज्य 5 क्षेत्र लद्दाख को 120 मेरिनो भेड़ के आयात के लिए 253.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई।

5.1.1.8 सुअर पालने वाले उद्यमी को बढ़ावा देना

इस घटक के तहत केंद्र सरकार 5 नर पशुओं के साथ 50 मादा पशुओं या 10 नर पशुओं के साथ 100 मादा पशुओं के सुअर प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। पात्र सब्सिडी सीमा योजना के आकार के अनुपात में 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक की होसकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ,जेएलजी, एसएचजी और धारा 8 कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सुअर पालन क्षेत्र में उद्यमिता के 34 प्रस्तावों को डीएएचडी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

5.1.1.9 सुअर की नस्लों का आनुवंशिक सुधार

सुअर वीर्य संग्रह एवं प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना: इस घटक के तहत, केंद्र सरकार कृत्रिम गर्भाधान के लिए सूअर के उच्च गुणवत्ता वाले तरल वीर्य का उत्पादन करने के लिए सरकारी सुअर फार्म में सुअर वीर्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सुअर वीर्य संग्रह और प्रसंस्करण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सिक्किम राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 62.95 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

5.1.2 आहार और चारा विकास संबंधी उप–मिशन

इस उप–मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार के लिए चारा बीज श्रृंखला को सुदृढ़ करना और प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक/हे बेलिंग/सिलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

आहार और चारा विकास उप–मिशन में निम्नलिखित क्रियाकलाप चल रहे हैं:

क्रियाकलाप (i): गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता

हरे चारे के उत्पादन का पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने से सीधा सह–संबंध है। हरे चारे के उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा बीज बुनियादी निवेश है। अतः पुर्नसंरेखित एनएलएम के तहत गुणवत्तापूर्ण चारा बीज के उत्पादन और चारा बीज श्रृंखला यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीज को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं।

क्रियाकलाप (ii): आहार और चारे में उद्यमिताकार्यकलाप

इसके तहत लाभार्थी को परियोजना लागत के रूप में 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर चारे के मूल्यवर्धन जैसे हे/सिलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक और चारे के भंडारण के प्रयास किए गए हैं।

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2022–23 के दौरान 36400 मीट्रिक टन गुणवत्ता वाले चारा बीज उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन हेतु सहायता घटक के तहत विभाग ने 60.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

5.1.3 नवाचार और विस्तार संबंधी उप–मिशनः

इस उप–मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सुअर और आहार तथा चारा क्षेत्र, विस्तार क्रियाकलाप, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है।

इस उप–मिशन में निम्नलिखित क्रियाकलाप हैं:

(i) क्रियाकलाप I: अनुसंधान और विकास तथा नवाचारः भेड़, बकरी, कुक्कुर पालन, सुअर और आहार और चारा क्षेत्र में अनुसंधान में लगे आईसीएआर, केंद्रीय संस्थानों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के फार्मों और अन्य विश्वसनीय संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भी नवीन क्रियाकलापों के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। भेड़, बकरी, कुक्कुट पालन, सुअर, आहार और चारे में समस्या समाधान के लिए स्टार्ट–vi को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्ष 2022–23 (जनवरी, 2023 तक) के दौरान अनुसंधान और नवाचार के लिए संस्थानों को 216.2 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ii) क्रियाकलाप II: विस्तार क्रियाकलापः इस क्रियाकलाप के तहत राज्य, केंद्र और क्षेत्रीय स्त)र पर आईईसी क्रियाकलाप जैसे संगोष्ठी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पशुधन किसान समूह/ब्रीडर संघ, पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रचार क्रियाकलापों के आयोजन, योजना प्रचार आदि किसान फील्ड स्कूलों को संचालन, पशुधन विस्तार सुविधाकर्ताओं (एलईएफ) के लिए एक्सपोजर विजिट, किसान का एक्सपोजर विजिट, पशुधन विस्तार के कर्मचारी घटक, प्रदर्शन क्रियाकलापों, सोशल मीडिया और ऑडियो विजुअल समर्थन, विस्तार शिक्षा और पशुधन विस्तार आदि पर साहित्य सृजन के माध्यम से जागरूकता पैदा करनेके लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2022–23 (जनवरी, 2023 तक) के दौरान विस्तार कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 994.39 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(iii) क्रियाकलाप III: पशुधन बीमाः जोखिम प्रबंधन और बीमा देश के सभी जिलों में लागू किया जाना है। देशी/क्रॉसब्रेड दुधारू पशु, झुंड वाले पशु (घोड़े, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू और गोपशु/भैंस नर), और अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन आदि) इस घटक के दायरे में आते हैं।

सभी पशुओं के लिए सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 पशुओं तक सीमित है, सिवाय भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश को छोड़कर जहां यह लाभ 5 गोपशु इकाइयों (1 गोपशु इकाई = 10 भेड़/बकरी/सुअर/खरगोश) तक सीमित होगा। इसलिए भेड़, बकरी, सुअर और खरगोश को सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 गोपशु इकाई तक सीमित किया जाना है। हालांकि, 5 से कम पशु/ 1 गोपशु इकाई वाले लाभार्थी भी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

योजनान्तर्गत निधियों का उपयोग प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान, पशु चिकित्सकों को मानदेय और प्रचार के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 के दौरान जनवरी 2023 तक पशुधन बीमा के लिए राज्यों/संघ राज्यर क्षेत्रों को 500.30 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

5.2 लघु पशुधन संस्थान

5.2.1 केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठनः चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और बंगलूरू क्षेत्रों में स्थित चार केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, कुक्कुट के संबंध में सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों का उत्तरदायित्व घरेलू कुक्कुट पालन के लिए पक्षियों की उन्नत किस्मों, जो किसानों के घर पर जिंदा रह सकें,

पर ध्यान केंद्रित करना, घरेलू कुक्कुट किसानों को मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करना तथा आहार विश्लेशण आयोजित करना है।

कलिंगा ब्राऊन, कावेरी, छाबरो तथा छान, इन सीपीडीओ द्वारा विकसित लो इनपुट प्रौद्योगिकी पक्षियों (चूजों) की किस्में/स्ट्रेन हैं। मांग के आधार पर वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा व्यक्तिगत किसानों को इन किस्मों् के हैचिंग वाले अंडों, मूल स्टॉक के वाणिज्यिकों के एक दिन के चूजों की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा वे नस्ल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कड़कनाथ, असील इत्यादि जैसी देसी नस्लों का भी रखरखाव करते हैं।

सीपीडीओ, कुक्कुटों के अलावा अन्य प्रजातियों जैसे बतखों, जापानी क्वेाल, टर्की तथा गिनी फाऊल के साथ विविधिकरण को भी बढ़ावा देते हैं। सीपीडीओ, बंगलुरू व्हाखइट पेकिन (मीट वाली) तथा खाकी कैम्पकवैल (अंडे वाली) जैसी बतख प्रजातियों का रखरखाव करता है ताकि मांग के आधार पर वो विभिन्नी राज्यों को इनकी आपूर्ति कर सके। सीपीडीओ सभी पशु आहार के लिएआहार विश्लेषण भी कर रहे हैं। भुवनेश्वनर, मुम्बई तथा हैसरघट्टा स्थित तीन सीपीडीओ के पास आहार नमूनों के विश्लेलषण के लिए नियर इंफ्रारेड (एनआईआर) स्पेडक्ट्रो फोटोमीटर है। पक्षियों को खिलाने और पिलाने के लिए एक स्वचालित तंत्र हैसरघट्टा, चंडीगढ़ तथा भुवनेश्वर में स्थापित किया जा चुका है।

इन सीपीडीओ में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कुक्कुेट किसानों/उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है जिसका इन सीपीडीओ में अनुपालन किया जा रहा है। कुक्कुकट उत्पादन कोर्स के पाठ्यक्रम में ब्रूडिंग व्यवस्थाओं, फीडिंग, वाटरिंग, टीकाकरण, तापमान प्रबंधन,दवाई देना इत्यादि सहित कुक्कुट पालन के प्रैक्टीफकल सत्र और प्रदर्शन तथा आहार मिल प्रबंधन तथा हैचरी प्रबंधन संबंधी टिप्स के अलावा प्रबंधन पहलू शामिल है। कुक्कुट पालन संबंधी मूल अर्थव्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से निधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता (बैंक ऋण) प्राप्ति करने पर बल दिया जाता है। विभिन्न् क्षेत्रों में विविध मॉडल सहित वाणिज्यिक कुक्कुट पालन के व्यवहार्य परियोजनाओं के बारे में भी किसानों को बताया जाता है।

सीपीडीओ और प्रशिक्षण संस्थान (सीपीडीओ और टीआई), हैसरघट्टा देश के तथा साथ ही साथ विदेश के सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षकों संबंधी प्रशिक्षण भी दे रहा है। इस संस्थान में नियमित कुक्कुट प्रबंधन कोर्स तथा विशेष रूप से तैयार किए गए विशेष, उन्नत तथा प्रयोगशाला कोर्स भी उपलब्ध हैं। सीपीडीओ और टीआई ने विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए एक कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है।

यह संगठन (सीपीडीओ और टीआई) वर्ष 2005 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001:2008 से प्रत्यापित है। 4 सीपीडीओ राष्ट्रीय कौशल विकास रूपरेखा के तहत प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में संबंद्ध हैं।

गुड़गांव में स्थित केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र (सीपीपीटीसी)को लेअर तथा ब्रायलर किस्मोंथ के परीक्षण का उत्तरदायित्व दिया गया है। यह केंद्र देश भर में उपलब्ध विभिन्न आनुवंशिक स्टॉक संबंधी मूल्यावान सूचना देता है। वर्ष में सामान्यतः एक लेअर तथा दो ब्रॉयलर परीक्षण किए जाते हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, दिसम्बर, 2022 तक लगभग क्रमशः 0.38 लाख और 7.92 लाख मूल स्टॉरक वाले चूजे तथा वाणिज्यिक चूजे सीपीडीओ द्वारा विभिन्न राज्यों/एजेंसियों/व्यक्तियों को आपूर्ति किए गए हैं। इसी प्रकार, इस वर्ष 2022–23 में 0.37 लाख और 4.37लाख मूल स्टॉक चूजे तथा वाणिज्यिक चूजे क्रमशः सीपीडीओ द्वारा आपूर्ति किए गए हैं। लगभग

462 किसान और प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं तथा लगभग 1117 आहार नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

दिनांक अप्रैल 22 से दिसंबर 22 तक सीपीडीओ के संबंध में सूचना (संख्या में)						
सीपीडीओ	बेचे गए मूल चूजे	बेचे गए वाणिज्यिक चूजे	बेचे गए मूल एचई	बेचे गए वाणिज्यिक एचई	प्रशिक्षित किसान	विश्लेषित आहार नमूने
पश्चिमी क्षेत्र	1800	96415	6510	19953	112	0
पूर्वी क्षेत्र	29036	607892	24150	217238	130	522
उत्तरी क्षेत्र	7521	24559	6005	120266	130	0
सीपीडीओ और टीआई	0	63031	0	79827	90	655
कुल	**38357**	**791897**	**36665**	**437284**	**462**	**1177**

5.2.2 केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)

केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म सन 1969–70 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोलम्बो योजना के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य भेड़ फार्मों को वितरण हेतु अनुकूलित विदेशी रैम उत्पादित करना और भेड़ प्रबंधन तथा यंत्रीकृत भेड़ कर्तन में कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में, फार्म में नली रामबोयिल्ट तथा सोनादी x कोरिडाले वर्णसंकरण तथा शुद्ध नस्ल की बीतल बकरियां रखी जा रही हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, फार्म ने विभिन्न राज्य एजेंसियों तथा किसानों को 208 रैम, 23 बक की आपूर्ति की। फार्म ने 5406 अंड़ों और 28 खरगोशों की भी बिक्री की। इसके अलावा, 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल 70 किसान मशीन शिअरिंग तकनीक में प्रशिक्षित किए गए,1113 किसानों को छह दिवसीय भेड़ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया और 111 किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। फार्म ने आईआईवीईआर, रोहतक के 49 बीवीएससीऔर एएचछात्रों और फैकल्टी को भी प्रशिक्षण दिया है।

5.2.3 क्षेत्रीय चारा स्टेशन

इसके अतिरिक्त, विभाग केंद्रीय सेक्टर योजना अर्थात केंद्रीय चारा विकास संगठन भी लागू कर रहा है जिसके तहत देश के विभिन्न कृषि–जलवायु मंडलों में आठ (8) क्षेत्रीय चारा स्टेशन स्थित हैं जो गुणवत्तान पूर्ण चारा बीजों के उत्पारदन, प्रशिक्षण और देश में चारा विकास से संबंधित अन्य विस्तार क्रियाकलाप में संलग्न हैं।

ये आठ क्षेत्रीय चारा स्टेशन हैस्सकरघट्टा, बंगलुरू(कर्नाटक), रविराला, हैदराबाद (तेलंगाना), धामरोड,सूरत (गुजरात), हिसार (हरियाणा), सूरतगढ़ (राजस्थान), सुहामा (जम्मू और कश्मीर), अलामदि (तमिलनाडु) और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

इन स्ट्रेशनों ने वित्तीय वर्ष के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक 216 मीट्रिक टन चारा बीजों का उत्पादन किया, 6079 प्रदर्शन आयोजित किये और 118 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 75 किसान मेले/फील्ड दिवस आयोजित किये।

5.3 पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

अनुसूचित बैंकों द्वारा पशुपालन क्षेत्र में प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन हेतु उनके निवेश के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, निजी कंपनियों, एमएसएमई और धारा 8 कंपनियों द्वारा स्थापित पात्र परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु पशुपालन अवसंरचना विकास निधि क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत, निम्नलिखित की स्थापना के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं:

(क) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना,

(ख) मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना,

(ग) पशु आहार विनिर्माण संयंत्र और

(घ) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म

(ङ) पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)

(च) पशु चिकित्सा टीका और दवा उत्पादन सुविधाएं

योजना के उद्देश्य:

दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करने के लिए संगठित दूध और मांस बाजार में असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों के लिए अधिक पहुंच प्रदान करना

(क) उत्पादक के लिए बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराने के लिए

(ख) घरेलू उपभोक्ता के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना

(ग) देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन समृद्ध गुणवत्तापूर्ण खाद्य आवश्यकता के उद्देश्य को पूरा करना और दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों में से एक में कुपोषण को रोकना

(घ) उद्यमशीलता का विकास करना और रोजगार पैदा करना

(ङ) दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात योगदान बढ़ाने के लिए।

(च) उचित मूल्य पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गोपशुओं, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और कुक्कुट को सोद्रित पशु आहार उपलब्ध कराना।

योजना के तहत, केंद्र सरकार 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान कर रही है। लाभार्थियों को ब्याज सबवेंशन 8 वर्ष की अवधि में अधिकतम 10 वर्ष की अदायगी अवधि तक प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि लाभार्थी डिफॉल्टर और एनपीए न हों। केंद्र सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा के तहत आने वाली उन परियोजनाओं को उधारी के 25% की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए एनएबी संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्रेडिट गारंटी फंड भी स्थापित किया है। साथ ही, एमएसएमई इकाइयां क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठा सकती हैं। इकाइयां किसी भी अनुसूचित बैंक से सावधि ऋण के रूप में परियोजना लागत का 90% तक का लाभ उठा सकती हैं। योजना के तहत पात्र सावधि ऋण की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सिडबी द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल "ahidf.udyamimitra-in" विकसित किया गया है।

एएचआईडीएफ की अब तक की प्रगति

आज तक की स्थिति के अनुसार, विभाग द्वारा 7052.57 करोड़ रुपये की कुल 415 परियोजनाओं को पात्रता के लिए चिह्नित किया गया है और 5634.75 करोड़ रुपये की कुल 204 परियोजनाओं को उधार देने वाले बैंकों द्वारा संस्वीकृत किया गया है। योजना के शुभारंभ के प्रथम वर्ष में 674 आवेदन प्राप्त हुए थे जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 2030 और 2022–23 में 2045 हो गए जो यह दर्शाता है कि योजना की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ी है। विभाग ने इस योजना के तहत सभी संभावित कार्यकलापों को शामिल किया है चाहे यह डेयरी प्रसंस्करण, मांस

प्रसंस्करण, चारा निर्माण, पशु चिकित्सा टीका और दवा निर्माण या फिर पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन हो। समय बीतने के साथ, योजना के तहत प्रत्येक कार्यकलाप ने गति पकड़ी है और विभाग को अब दूरस्थ जिलों से परियोजनाएँ प्राप्त हो रही हैं जहाँ पहले बहुत कम परियोजनाएं दिख रही थीं।

अब तक की स्थिति के अनुसार, 91 परियोजनाओं के लिए 40.80 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता जारी की जा चुकी है।

एएचआईडीएफ के तहत अब तक बैंकों द्वारा अनुमोदित 204 परियोजनाओं के तहत, डेयरी प्रसंस्करण के तहत बनाई गईअवसंरचना की क्षमता 55.33 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) है, जो कि 76 परियोजनाओं के लिए है। मांस प्रसंस्करण में, 14 परियोजनाओं के लिए अब तक सृजित क्षमता 9.38 लाख मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। पशु आहार निर्माण के तहत 87 परियोजनाओं के लिए लगभग 59.12 लाख एमटीपीए क्षमता सृजित की गई है।

योजना शुरू होने के एक वर्ष के बाद, नस्ल सुधार और नस्ल वृद्धि की नई श्रेणी/क्षेत्र जोड़ा गया। इस श्रेणी के तहत डेढ़ साल की अवधि में 26 प्रौधोगिकी रूप से समर्थित लेयर और पोल्ट्री फार्म परियोजनाओं के माध्यम से प्रति वर्ष 12.33 लाख पक्षियों की क्षमता और लगभग 288 मिलियन अंडे उत्पादन क्षमता को शामिल गया है। अप्रैल 2022 में शामिल गए पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (एग्री–वेस्ट मैनेजमेंट) की श्रेणी में सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तहत कंप्रेस्ड गैस की 4315 एमटीपीए और उर्वरक (स्लरी) की 6022 एमटीपीए की क्षमता शामिल की गई है।

204 परियोजनाओं के तहत कुल 23,150 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। हालांकि, अब तक 80,000 से अधिक किसान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

5.4 पशुपालन सांख्यिकी

5.4.1 विकास कार्यक्रम श्रेणी के तहत 'पशुधन से गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिनके तहत दो घटक (i) पशुधन गणना (एलसी) और (ii) एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (आईएसएस) हैं।

एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

दूध, अंडा, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) के अनुमानों को तैयार करने के लिए यह योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के तहत वार्षिक रूप से अनुमानों को तैयार किया जाना है जिसका उपयोग नीति और नियोजन उद्देश्यों के लिए किया जाता हैं। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसमें पात्र पदों के लिए वेतन संबंधी व्यय के लिए राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य 5 क्षेत्रों को क्रमशः 50%, 90% और 100% केंद्रीय सहायता योजना दी जा रही है। (i) निर्धारित दर पर सर्वेक्षण के संचालन के लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षक को टीए/डीए और (ii) आईएसएस कार्यप्रणाली पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण (iii) और आईटी समाधान के लिए के लिए 100% केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है, नमूना सर्वेक्षण मार्च से फरवरी तक, मौसमी आधार पर सर्वेक्षण वर्ष को 3 मौसमों गर्मी, बरसात और सर्दी में विभाजित करके किया जाता है। विभाग द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के मौसमी अनुमानों का संकलन किया गया और वर्ष 2020–21 के वार्षिक अनुमान प्रकाशित किए गए। तदनुसार विभाग के वार्षिक प्रकाशन–मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस)–2021 में प्रकाशित किया गया है, और 2021–22 की अवधि के लिए मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस)–2022 को तैयार कर लिया गया है प्रकाशन प्रगति पर है।

पशुधन संगणना

पशुधन संगणना देश भर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में पंचवर्षीय रूप से आयोजित की जाती है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी परिवारों/गैर–पारिवारिक उद्यमों और संस्थानों को शामिल किया जाता है। यह एकमात्र स्रोत है, जो पशुओं और कुक्कुट पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में अलग–अलग जानकारी देता है। हाल ही में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभाग की भागीदारी से वर्ष 2019 में 20वीं पशुधन संगणना पूरी की गई है। पशुधन गणना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में घरेलू स्तर तक पशुधन की आबादी, प्रजाति–वार और नस्ल–वार के साथ–साथ उम्र, लिंग–संरचना आदि की जानकारी प्रदान करना है। पशुधन की प्रजाति–वार और राज्य–वार आबादी वाली अखिल भारतीय रिपोर्ट **'20वीं पशुधन संगणना – 2019'** प्रकाशित की गई है और पशुधन और कुक्कुट (20वीं पशुधन संगणना के आधार पर) की नस्ल–वार रिपोर्ट का प्रकाशन कार्य प्रगति पर है।

***

अध्याय–6

पशुधन स्वास्थ्य

पशुधन स्वास्थ्य

6.1.1सिंहावलोकन

6.1.1 वर्ण–संकरण संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार होने से इन पशुओं की विदेशी बीमारियों सहित विभिन्न बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। रुग्णता दर तथा मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों सहित पॉलीक्लिनिक/पशु चिकित्सा अस्पतालों, डिस्पेंसरियों तथा प्राथमिक सहायता केन्दों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पशुचिकित्सा संस्थानों की राज्य वार सूची **अनुबंध–IX** में दी गई है। रेफरल सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में विद्यमान रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा एक केन्द्रीय तथा पांच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जो अब पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, प्रमुख पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रोफाईलैक्टिक टीकाकरण द्वारा नियंत्रण हेतु टीकों की अपेक्षित मात्रा देश में उत्पादित की जा रही है।

6.1.2 हालांकि देश में पशुधन का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए, देश के बाहर से बीमारियों को आने से रोकने के लिए और पशु चिकित्सा संबंधी औषधियों और संरुपणों (फॉर्म्यूलेशन) के मानक बनाए रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में, भारतीय औषण नियंत्रण महानिदेशक इस विभाग के साथ परामर्श करके पशु चिकित्सा औषधियों और जैविकियों की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है।

6.2 पशु स्वास्थ्य संस्थान

6.2.1 पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा (एक्यूसीएस)

संगरोध केन्द्रों को स्थापित करने का उद्देश्य आयातित पशुधन तथा पशुधन उत्पादों के माध्यम से देश में खतरनाक विदेशी रोगों को आने से रोकना है। बढ़े हुए और तेज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा यात्रा ने आज प्रत्येक देश को ज्ञात और अज्ञात संक्रामक रोगों, जिनमें तेजी से फैलने की क्षमता है, के घुस आने के खतरे के प्रति संवदेनशील बना दिया है तथा इसके प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक और मानव/पशु स्वास्थ्य संबंधी परिणाम भी हैं। देश को विदेशी रोगों से मुक्त रखने के लिए संगरोध सेवाएं आवश्यक हैं।

पशुधन के कई संक्रामक रोग हैं जो अन्य देशों में भी फैले हुए हैं परंतु भारत इन रोगों से मुक्त हैं। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे विदेशी रोग सीमापार से पशुधन तथा पशुधन उत्पादों की आवाजाही के माध्यम से देश में प्रवेश न कर पाएं। पशुधन रोगों पर नजर रखने की पूरी प्रक्रिया विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ऑफिस डेस इंटरनेशनल एपिजूटिस (ओआईई) के कार्यालय का उत्तरदायित्व है, जो अपने स्थलीय और जलीय पशु स्वास्थ्य कोड के माध्यम से ऐसा करता है। ओआईए के पास प्रचलित रोगो (जलीय और स्थलीय) की एक सूची है। जूनोसिस एक्यूसीएस का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें एक्यूसीएस विनियमन के कड़े अनुपालन से मानव स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडो/बंदरगाहों और भूमि मार्गों पर जांच के लिए एक कुशल संगरोध संगठन आवश्यक है क्योंकि पशुधन, नैदानिक रोग के लक्षण दिखाए बिना अंदर ही अंदर रोग जनकों को ले जा सकते

हैं, इसलिए देश में उनके प्रवेश से पहले उनकी रोगजनक मुक्त स्थिति को देखने और उसके परीक्षण हेतु उन्हें संगरोध में रखा जाना चाहिए। कुल 6 पशु संगरोध केन्द्र दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलुरू और हैदराबाद में स्थित हैं। एक्यूएसीएस से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट www.aqcsindia.gov.in पर उपलब्ध है। पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात/निर्यात विवरण **अनुबंध–X** में दिए गए हैं।

6.2.2 चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत

भारत में मानक, प्रभावी तथा सुरक्षित पशुचिकित्सा जैविकीयों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा आश्वासन के लिए और मानक, प्रभावी तथा सुरक्षित जैवकीय प्रयोग करके भारतीय उप–महाद्वीप में स्वस्थ और उत्पादक पशुधन को बढ़ावा देने के विजन से देश में पशुचिकित्सा टीकों की लाइसेंसिंग की सिफारिश करने के लिए एक नोडल संस्थान की तरह कार्य करने के लिए बागपत, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान नामक एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान स्थापित किया गया है। सीसीएसएनआईएएच, बागपत को एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए एनएडीसीपी के तहत खुरपका और मुंहपका रोग के टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थान को गजट अधिसूचना सं. जी.एस.आर.213(अ) दिनांक 11 मार्च, 2019 के तहत दो रोगों नामतः हेमोरैजिक–सेप्टिसीमिया और रानीखेत रोगों के पशुचिकित्सा जैविकी का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रारंभ करने के लिए स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय ड्रग्स प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। संस्थान ने एफएमडी, ब्रूसेला, सीएसएफ और पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए वैक्सीन परीक्षण एसओपी तैयार करने और संकलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष के दौरान, संस्थान ने एफएमडी एंटीबॉडीज के लिए सीरो–नेगेटिविटी हेतु विभिन्न राज्य और केंद्रीय फार्मों से 323 पशुओं की जांच की है और सभी मापदंडों के लिए एफएमडी टीकों के 06 बैचों का परीक्षण पूरा किया है। इसी तरह, विभाग के नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्रूसेला टीकों के 232 बैचों का सुरक्षा परीक्षण पूरा कर लिया गया है। वर्ष के दौरान फाउल हैजा टीकों के 02 बैचों के मानकीकरण के साथ–साथ आरडी टीकों के 03 बैचों का नियामक परीक्षण भी पूरा किया गया।

संस्थान को पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के तहत दो और टीकों अर्थात पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) वैक्सीन के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण का काम सौंपा गया है। कार्यक्रम के तहत संस्थान ने पीपीआर टीकों के 02 बैचों का पूर्ण परीक्षण हासिल कर लिया है। संस्थान के पास फाउल पॉक्स, फाउल हैजा, शीप पॉक्स, आईबीडी, बकरी पॉक्स आदि जैसे पशु चिकित्सा टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिए तकनीकी तैयारी है।

संस्थान के दृष्टिकोण और अधिदेश के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास करने के लिए, आईसीएआर–निवेदी, बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। एफएमडी वैक्सीन परीक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर विश्व संदर्भ प्रयोगशाला (डब्लूआरएल)–भारत सहयोग परियोजना के तहत, संस्थान ने कई शोध कार्यकलाप किए हैं और एफएमडी, यूके, प्रवीणता परीक्षण योजना अभ्यास चरण XXXIV पर विश्व संदर्भ प्रयोगशाला के लिए भी भाग ले रहा है।

सरकारी पत्र–व्यवहार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने चार एक दिवसीय 'हिंदी कार्यशाला' का आयोजन किया। संस्थान ने स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत परिसर के भीतर और बाहर कई सफाई कार्यकलापों का आयोजन किया।

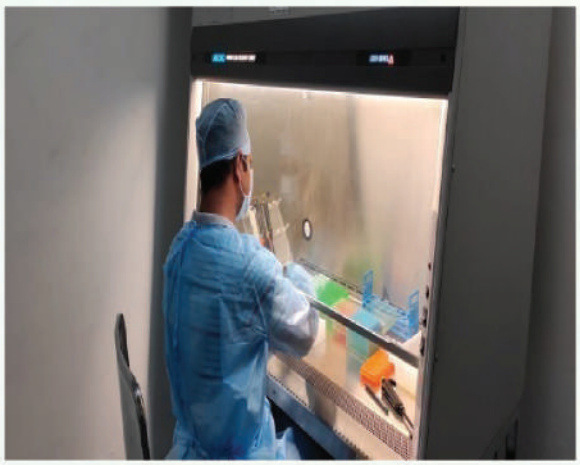

सीसीएसएनआईएएच, बागपत से संबंधित जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट: www.ccsniah@gov.in पर उपलब्ध है।

6.2.3 केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं

राज्यों में 250 मौजूदा रोग निदान प्रयोगशालाओं के अलावा रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करके एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का पशुरोग अनुसंधान और निदान केन्द्र (सीएडीआरएडी) केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला (सीडीडीएल) के रूप में कार्य कर रहा है। रोग विष्लेशण प्रयोगशाला, (पुणे), पशु स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, (कोलकाता), पशु स्वास्थ्य और जैविक संस्थान(बंगलौर), पशु स्वास्थ्य संस्थान (जालंधर), और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, खानपाड़ा, (गुवाहाटी) क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। एनआरडीडीएल (जालंधर), एसआरडीडीएल (बंगलौर), ईआरडीडीएल (कोलकाता) और सीडीडीएल (इज्जतनगर) स्थित प्रयोगशालाओं को पूर्वनिर्मित बीएसएल–3 प्रयोगशालाओं से सुदृढ़ किया गया है जबकि मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला एनईआरडीडीएल, गुवाहाटी को दी गई है। ये क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं (आरडीडीएल) एवियन इन्फ्लुएंजा और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (बीएसई) सहित विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों की निगरानी और निदान में बहुत सहायक रही हैं।

- एनईआरडीडीएल मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला से लैस है जो आशंकायुक्त अफ्रीकी स्वाइन फीवर और एवियन इन्फ्लुएंजा की आशंका वाले संकलित नमूनों के प्रसंस्करण के लिए समर्पित है।
- एनआरडीडीएल, जालंधर ने आईसीएमआर के अनुमोदन के अनुसार कोविड–19 वायरल परीक्षण (आरटी–पीसीआर परीक्षण) प्रयोगशाला स्थापित की है।
- एनआरडीडीएल, जालंधर सूअरों के सामान्य रोगों के संबंध में पशु चिकित्सा अंतिम वर्ष के छात्रों सहित प्रयोगशाला/क्षेत्र पशु चिकित्सकों के तकनीकी ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है
- एनआरडीडीएल, जालंधर ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)–एफएमडी के तहत नेटवर्क इकाई की स्थापना की है:

i) खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) की निगरानी और सीरोमोनिटरिंग।

ii) वायरस के प्रचलित प्रकारों के लिए एक उपयुक्त टीका विकसित करने हेतु पंजाब राज्य से एकत्रित/प्राप्त विभिन्न नमूनों का परीक्षण।

iii) संदिग्ध एफएमडी नमूनों का परीक्षण।

- एफएमडी प्रयोगशाला जालंधर ने वर्ष 2022 के दौरान सीरोमोनिटरिंग के लिए कुल 2196 एफएमडी टीकाकरण–पूर्व और 2118 टीकाकरण–पश्चात सीरम नमूनों का परीक्षण किया और सीरो निगरानी के तहत 3723 डीआइवीए नमूनों का परीक्षण किया।

- एसआरडीडीएल, बेंगलुरु नियमित रूप से ओआईडी दिशानिर्देषों के अनुसार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारियों के निदान पर प्रयोगशाला अधिकारियों के लिए 'हैंड्स ऑन' प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- डब्ल्यूआरडीडीएल, पुणे ने अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (एच 5 और एच 7) के निदान के लिए सेमी –क्वांएटिटेटिव पोलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) और रियल टाइम पीसीआर (आरटी–पीसीआर) का मानकीकरण किया।
- विभाग ने विभिन्न प्रयोगशाला जांचों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और सभी आरडीडीएल को प्रयोगशाला में सामग्री के नमूना संग्रह, संरक्षण और प्रेषण के लिए एसओपी जारी किए। सीडीडीएल, आईवीआरआई, बरेली के परामर्श से एसओपी तैयार किए गए थे।
- सभी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं (आरडीडीएल) और केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (सीडीडीएल) की समीक्षा बैठक 6 और 7 जून, 2022 को पशुपालन आयुक्तालय, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी।

6.3 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम

पशुधन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए, विभाग "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" (एलएच और डीसी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। एलएचडीसीपी दो पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) और पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचडीसी) को समाहित करता है। इसका उद्देश्य पशुओं के रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं का क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करके पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करना है। समर्थित प्रमुख कार्यकलाप हैं, खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रूसेलोसिस, पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) के लिए टीकाकरण; पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों–मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी–एमवीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण; अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों (एएससीएडी)

के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता। एलएच एंड डीसी कार्यक्रम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में क्रियान्वित किया गया है। एफएमडी, ब्रूसेलोसिस, सीएसएफ और पीपीआर के टीकाकरण के लिए निधियन पैटर्न 100% केंद्रीय सहायता है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य के बीच 60:40 पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के निधियन पैटर्न के साथ एएससीएडी के तहत, एलएसडी सहित राज्य–प्राथमिकता वाले विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए निधियां प्रदान कराई जाती हैं।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी को नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2022–23 के लिए 2000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 1400 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले जनवरी 2023 तक 630.70 करोड़ रुपये की निधियां जारी की जा चुकी हैं।

कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं:

खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी): एफएमडी को आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हानिकारक बीमारी माना जाता है जो हर साल भारी नुकसान का कारण बनती है और भारत के बाहर भारतीय पशु उत्पादों की स्वीकार्यता को प्रभावित करता है। इस रोग को विश्व स्तर पर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) द्वारा नियंत्रण और उन्मूलन के लिए प्राथमिकता प्राप्त रोग के रूप में जाना जाता है।

ब्रूसेलोसिस गोपशुओं और भैंसों का एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजनन रोग है जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह जूनोटिक (मनुष्यों के लिए संक्रामक) है। यह एक गंभीर व्यावसायिक खतरा भी है। बोवाइन ब्रूसेलोसिस भारत में स्थानिक है और हाल के दिनों में, शायद बढ़ते व्यापार और पशुओं की तेजी से आवाजाही के कारण, इसमें वृद्धि दिखाई पड रही है।

पीपीआर–ईपी: यह घटक सभी पात्र भेड़ और बकरी की आबादी के 100% प्रभावी कवरेज हेतु पीपीआर के लिए कार्पेट टीकाकरण के तहत देश में समग्र भेड़ और बकरी की आबादी को कवर करता है। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत प्रवासियों के झुंड/पशु भी शामिल किये गये हैं। **निधियन पैटर्न:** वैक्सीन, टीकाकरण के लिए सहायक उपकरण, टीकाकरण करने वालों के लिए पारिश्रमिक, निगरानी और मॉनीटरिंग और आईईसी / जागरूकता अभियान के लिए राज्यों को 100% केंद्रीय सहायता।

सीएसएफ–सीपी: क्लासिकल स्वाइन ज्वर के नियंत्रण के लिए नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार किया गया है ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तावित 100% केंद्रीय सहायता के साथ–साथ संपूर्ण सुअर आबादी के 100% प्रभावी कवरेज को शामिल किया जा सके। **निधियन पैटर्न:** वैक्सीन, टीकाकरण के लिए सहायक उपकरण, टीकाकरण करने वालों के लिए पारिश्रमिक, निगरानी और मॉनीटरिंग और आईईसी / जागरूकता अभियान के लिए राज्यों को 100% केंद्रीय सहायता।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों को पशु चिकित्सा टीकों, ईयर टैग और टैग लगाने वालों उपकरणों आदि की खरीद और आपूर्ति के लिए एक कार्यक्रम लॉजिस्टिक एजेंसी तैनात की गयी है।

एफएमडी वैक्सीन के मानक और गुणवत्ता के परीक्षण के लिए डीएएचडी द्वारा तीन प्रयोगशालाओं नामतः आईसीएआर – भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बेंगलुरु (कर्नाटक), आईसीएआर – एफएमडी निदेशालय, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एफएमडी (आईसीएफएमडी), भुवनेश्वर (ओडिशा) और सीसीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ (सीसीएसएनआईएएच, डीएएचडी), बागपत (यूपी) को नामित किया गया था। टीके

का परीक्षण मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा, जीवाणुरहितता, प्रभावकारिता और शुद्धता के लिए किया जाता है।

आईसीएआर के परामर्श से तैयार की गई विस्तृत नमूना योजना और एनएडीसीपी के तहत सीरो निगरानी और सीरो मॉनीटरिंग करने हेतु एसओपी को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचार और जागरूकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एनएससी द्वारा अनुमोदन के बाद संचार आउटरीच कार्यक्रम के लिए प्रसार भारती (दूरदर्शन और आकाशवाणी) को निधियां जारी की गई थीं। साथ ही, ब्लॉक स्तर पर एफएमडी और ब्रूसेला टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गई।

वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बीमारी के प्रकोप के प्रबंधन पर सलाह और दिशानिर्देश भेजे गए थे। देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गुणवत्ता वाले टीकों का उपयोग करके एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए पशुओं का टीकाकरण किया गया है।

ईएसवीएचडी–एमवीयू: इसमें एलएच और डीसी योजना के मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों (ईएसवीएचडी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के घटक के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना संबंधी व्यवस्था है। एमवीयू किसानों/पशु मालिकों को उनके द्वार पर निदान उपचार, टीकाकरण, लघु शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, दृश्य–श्रव्य सहायता और विस्तार सेवाएं प्रदान करेंगे। देश में प्रति 1 लाख पशुधन आबादी पर एक एमवीयू को समर्थित करने की परिकल्पना की गई है।

निधियन पैटर्न: इस घटक के तहत, विस्तार कार्यकलापों के लिए निदान, उपचार, नमूना संग्रह, लघु शल्य चिकित्सा और दृश्य–श्रव्य सहायता आदि के लिए पूरी तरह से सुसज्जित अनुकूलित मोबाइल वैन / वाहन पर अनावर्ती व्यय के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि मोबाइल वैन/वाहन, कॉल सेंटर और आउटसोर्स की गई जनशक्ति सेवाओं को चलाने पर होने वाले आवर्ती व्यय में केंद्र–राज्य निधि साझाकरण पैटर्न 60–40/ पर्वतीय और उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए 90–10 / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% का होगा। अब तक 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4332 एमवीयू मंजूर किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार स्वीकृत एमवीयू की सूची **अनुबंध–XI** में दी गई है।

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी): यह घटक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को पशुओं की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए टीकाकरण हेतु सहायता करने पर केंद्रित है, जिसे राज्यों द्वारा, प्रचलित बीमारी (बीमारियों) और किसानों को होने वाली हानि के अनुसार प्राथमिकता दी गई है। एएससीएडी के तहत जूनोटिक पशु रोगों जैसे एंथ्रेक्स, रेबीज, आदि के लिए टीकाकरण पर भी जोर दिया जाता है। रोग निदान किट/टीकों के उत्पादन को संपूरित तथा रोग निदान के लिए राज्य जैविकीय उत्पादन इकाइयों और रोग निदान प्रयोगशालाओं को एएससीएडी के तहत भी सुदृढ़कृत और समर्थित किया गया हैं। एक अन्य कार्यकलाप जिसे इस घटक के तहत प्राथमिकता दी गई है, वह है 'आकस्मिक और विदेशी रोगों का नियंत्रण'। इसमें विदेशी बीमारियों और आकस्मिक/पुनः उभरने वाले पशु रोगों के प्रवेश की जांच करने के लिए निगरानी और संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। किसानों को पक्षियों की 'कलिंग' के लिए, संक्रमित पशुओं को हटाने के लिए, चारे/अंडे को नष्ट करने के लिए परिचालन लागत सहित मुआवजे के भुगतान के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती

है। **निधियन पैटर्न:** एएससीएडी में 'अनुसंधान और नवाचार, प्रचार और जागरूकता प्रशिक्षण और संबद्ध कार्यकलापों, के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों को छोड़कर केंद्र–राज्य निधि साझाकरण पैटर्न 60–40/ पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90–10/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% का है।

मुख्य उपलब्धियां

खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी): पूरे देश में कुल 24.94 करोड़ गोपशुओं और भैंसों का ईयर टैग किया गया है। एफएमडी टीकाकरण जनवरी 2020 में शुरू हुआ और कुल 16.91 करोड़ गोपशुओं और भैंसों को पहले दौर में टीका लगाया गया। एफएमडी टीकाकरण का दूसरा दौर जून 2021 में आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ और अन्य राज्यों ने आपूर्ति किए गए टीके के अनुसार एफएमडी टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू किया। दूसरे चरण के दौरान 25.81 करोड़ गोपशुओं और भैंसों को कवर करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 25.81 करोड़ खुराकों की आपूर्ति की गई। इस चरण के दौरान टीकाकरण किए गए पशुओं की कुल संख्या 20.77 करोड़ (जनवरी, 2023 तक) है जो कुल लक्षित आबादी का 80.4% है। 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही टीकाकरण का दूसरा चरण पूरा कर लिया है। एफएमडी टीकाकरण का तीसरा दौर भी तीन राज्यों यानी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में शुरू हो गया है।

ब्रूसेलोसिस: 3.39 करोड़ 4–8 महीने की मादा बोवाइन बछड़ों को कवर करने के उद्देश्य से सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में ब्रूसेलोसिस टीकाकरण किया जाता है, जिसमें से 26 जनवरी 2023 तक 1.62 करोड़ लक्षित पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए टीकाकरण किए गए पशुओं के राज्य–वार प्रतिशत का विवरण **अनुबंध–XII** में दिया गया है।

पीपीआर: सात राज्यों में पीपीआर वैक्सीन की आपूर्ति की गई है, जिनमें से 3 राज्यों–आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ ने पीपीआर के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। कुल 1.05 करोड़ टीके की आपूर्ति के मुकाबले अब तक 42 लाख को टीका लगाया जा चुका है।

सीएसएफ: सीएसएफ वैक्सीन की आपूर्ति सात राज्यों में की जा चुकी है और इसके फरवरी 2023 में शुरू होने की संभावना है।

लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी): वर्ष 2022 में, देश ने गुजरात में अप्रैल के महीने में पहले मामले के साथ लम्पी त्वचा रोग का प्रकोप देखा। विभाग ने एलएसडी को नियंत्रित करने के लिए बकरी पॉक्स वैक्सीन की यूनिफॉर्म रेट डिस्कवरी में सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, मांग के अनुसार एएससीएडी के तहत प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और टीकाकरण के लिए प्रभावित राज्यों को निधियां उपलब्ध करायी गयी थीं। विभाग ने लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और अब तक 8.0 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी रेट 91% प्रतिशत है।

एमवीयू: 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 1528 एमवीयू का उद्घाटन किया गया है, जिनमें से जनवरी 2023 तक 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 446 एमवीयू काम कर रहे हैं।

6.4 'वन हेल्थ' और जूनोसिस

यह अच्छी तरह से विदित है कि मानव का स्वास्थ्य और पशु का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर है और उस परिस्थिति के स्वास्थ्य से बंधा हुआ होता है, जिसमें वे रहते हैं। इस अवधारणा में मानव और पशु स्वास्थ्य (घरेलू पशुओं और वन्यर जीव दोनों सहित)

तथा समग्र रूप से पर्यावरणीय खतरों को समझने की परिकल्पना भी की गई है।

पशु जनित रोग जो मनुष्यों में संक्रमित हो सकते हैं (जूनोटिक रोग) जैसे एवियन इन्फ्लूएंजा, रैबिज बुसेलोसिस, ग्लैण्डर्स, निपाह आदि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विश्वव्यापी खतरा उत्पन्न करते हैं। ये खतरे वैष्वीकरण, जलवायु परिवर्तन और मानव व्यावहार में परिवर्तनों के साथ बढ़ते हैं जिसके कारण रोग जनकों को नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं और ये नए रूप में विकसित होते हैं। ओआईई के अनुसार (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार मौजूदा 60 प्रतिशत मानव संक्रमित रोग जूनोटिक हैं और मनुष्य में होने वाले कम से कम 75 प्रतिशत संक्रमित रोग पशु जनित हैं। जूनोटिक रोगजनकों को उनके पशु स्रोत पर नियंत्रित करना, लोगों की सुरक्षा करने का प्रभावी और किफायती तरीका है।

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिनांक 22 सितंबर, 2021 को एक बहु–वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो देश की भोजन और पोषण सुरक्षा में सहयोग करने हेतु भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने के लिए मिलकर काम करेगा तथा छोटे पैमाने के पशुधन उत्पादकों की आर्थिक भलाई की रक्षा करेगा। यह कार्यक्रम कृषि भवन नई दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के चल रहे समारोहों के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के विभिन्न हितधारकों, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, ओआईई और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ–साथ शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, राज्य पशुपालन अधिकारियों, स्वास्थ्य और वन्यजीव विभागों के प्रमुख कर्मियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने भारत में वन हेल्थ पहल को क्रियान्वित करने हेतु सहयोगी कार्यकलापों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया।

इस सहयोग के तहत, रोग की रोकथाम, निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) में वन हेल्थ सहायता इकाई (ओएचएसयू) की स्थापना की गई है। वन हेल्थ सहायता इकाई (ओएचएसयू) की स्थापना डीएएचडी (पशुपालन और डेयरी विभाग) द्वारा सीआईआई के साथ कार्यान्वयन एजेंसी और बीएमजीएफसे निधियन सहायता के रूप में की गई थी। प्रस्तावित हस्तक्षेपों संबंधी प्रयोग करने के लिए, दो राज्यों (उत्तराखंड और कर्नाटक) को परिचालन और गैर–परिचालन मापदंडों सहित विभिन्न रैंकिंग सूचकांकों का उपयोग करके चुना गया था।

'नेशनल वन हेल्थ प्लेटफॉर्म' विकसित करने की दृष्टि से, इस प्रयोग को क्रमशः 6 अप्रैल, 2022 और 28 जून, 2022 को उत्तराखंड और कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु वन हेल्थ पायलट के लिए निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय जैसे उच्च स्तरीय वन हेल्थ संचालन समिति (एचएलओएचएससी), राज्य स्तरीय वन हेल्थ समिति (एसएलओएचसी), और उत्तराखंड में वन हेल्थ समन्वय टीम (ओएचसीटी) और कर्नाटक में एचएलओएचएससी और ओएचसीटी का गठन किया गया है। राज्यों में पायलट लॉन्च के बाद उत्तराखंड (देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले) के वन गुर्जर समुदाय के सदस्यों का वन हेल्थ उन्मुखीकरण, जैव सुरक्षा और आधारभूत मूल्यांकन किया गया। समुदाय के मुख्य मुद्दों का आकलन करते हुए 27–28 जुलाई, 2022 को 'हरिद्वार और देहरादून के वन गुर्जर समुदाय के सदस्यों के लिए टीकाकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमः और अगस्त 30–31, 2022 'उधम सिंह नगर और नैनीताल के वन गुर्जर समुदाय के सदस्यों के लिए टीकाकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम' जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्नाटक में, ओएचएसयू टीम ने 27 और

28 जुलाई 2022 को शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली और सागर तालुका का सर्वेक्षण किया, ताकि स्थानीय आबादी से केसानूर वन रोग (केएफडी) के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त की जा सके, जो कि प्रभावित क्षेत्र के लिए प्रभावी जागरूकता और रोकथाम योजना को आकार देने में मदद करेगा।

आईएसओ/आईईसी 17025:2017 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षक प्रशिक्षण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद, देहरादून के प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 13–15 दिसंबर, 2022 को आयोजित किया गया, जिसमें पशुपालन विभाग, उत्तराखंड एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, महाविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीबीपीयूएटी) के 18 पशु चिकित्सकों ने भाग लिया।

वन हेल्थ के संदेश को प्रसारित करने के लिए सभी हितधारकों के लिए संचार रणनीति कार्यकलापों के एक भाग के रूप में, पांच प्रकाशन नामतः राज्य चयन के लिए आकलन, रोग प्राथमिकता, क्षमता निर्माण योजना, वन–स्वास्थ्य के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में वृद्धि और वन हेल्थ पर वैष्विक लर्निंग्स (सीख) विकसित किए गए थे।

डीएएचडीने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और सचिव (एएचडी) के मार्गदर्शन में देश में पशुपालन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पहलुओं में नीतिगत इनपुट के लिए 'पशु स्वास्थ्य' के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच) का गठन किया है। समिति सभी सबूतों और डेटा का आकलन करने और विश्लेशण–आधारित सिफारिशें प्रदान करने के लिए विभाग के लिए एक 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करती है।

विभाग ने 02 जून 2022 को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जूनोटिक रोगों, क्षमता निर्माण, वन हेल्थ कार्यक्रम और एएमआर से संबंधित 'एकीकृत सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम' के लिए हितधारक (सार्वजनिक / निजी) के साथ प्रारंभिक बैठक में प्रतिनिधित्व किया।

विभाग ने इंडियन चैंबर ऑफ फूड एग्रीकल्चर (आईसीएफए) द्वारा 6 जुलाई से 7 जुलाई, 2022 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 'एनिमल हेल्थ एशिया समिट–2022' के लिए अधिकारियों को नामित किया। विभाग ने पशु स्वास्थ्य के संबंध में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शिखर सम्मेलन को लोगो और तकनीकी सहायता प्रदान की।

पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच)

विभाग ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और सचिव (एएचडी) के मार्गदर्शन में देश में पशुपालन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पहलुओं में नीतिगत इनपुट के लिए 'पशु स्वास्थ्य के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएएच)' का गठन किया है। समिति सभी सबूतों और डेटा का आकलन करने और विश्लेषण–आधारित सिफारिशें प्रदान करने के लिए विभाग के लिए एक 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करती है। यह समिति अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करने के लिए विभिन्न पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक साथ लाती है। समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई), के विशेषज्ञ और उल्लेखनीय पशु चिकित्सा संस्थानों और उद्योग के प्रमुख शिक्षाविद और शोधकर्ता शामिल हैं।

ईसीएएच के तहत प्रमुख उपसमितियों का गठन –

1. पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग की अध्यक्षता में नीतिगत इनपुट के लिए पशु चिकित्सा टीकों/बायोलॉजिकल/दवाओं के सबमिशन के संबंध में मूल्यांकन और सिफारिशें प्रदान करने के लिए उपसमिति

उपसमिति पशु चिकित्सा उत्पादों के आयात और निर्माण के लिए विभाग में प्राप्त प्रस्तावों का आकलन करती है और उनके लिए सिफारिश तथा नीतिगत इनपुट प्रदान करती है। अक्टूबर, 2021 से अब तक कुल 14 बैठकें हो चुकी हैं।

2. पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग की अध्यक्षता में पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए नैदानिक परीक्षण / क्षेत्र परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश विकसित करने के लिए उपसमिति

उपसमिति पशु फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स के नैदानिक परीक्षणों/क्षेत्र परीक्षणों संबंधी दिशानिर्देश और नीतियां बनाने में ईसीएएच की सहायता कर रही है। उपसमिति वर्तमान में दो चरणों में दिशानिर्देश बनाने पर काम कर रही है – चरण 1: खंड 1: टीके चरण 2: खंड 2: मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बायोसिमिलर, पैरेंटेरल उपयोग के लिए पॉलीक्लोनल सेरा और फार्मा मॉलिक्यूल्स। उपसमिति की अब तक 9 बैठकें हो चुकी हैं और दिशानिर्देश के खंड 1 के पहले मसौदे को समीक्षा के लिए हितधारकों के साथ साझा किया गया था।

प्रमुख निर्णय/पहल

- विदेशी रोगजनक/टीका स्ट्रेन के आयात की अनुमति देने के संबंध में ईसीएएच विनियामक उपसमिति की सिफारिश को प्रत्येक मामले में जोखिम के सही मूल्यांकन, एक अच्छी रोकथाम प्रणाली और प्रभावी नियामक निरीक्षण की पूर्व–आयात शर्तों की पूर्ति के अधीन अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, आयात से पहले विभाग में प्रत्येक मामले की नियत प्रक्रिया के साथ जांच की जाएगी।
- विभिन्न पहलों का समर्थन करने के लिए शीघ्रता से प्रतिभाओं को लाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया/एजीएनआई के समर्थन से ईसीएएच सचिवालय तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- एफएमडी टीके की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों और उनसे निपटने के तरीकों संबंधी रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया था और टीके के परीक्षण को सुव्यवस्थित करने एक साथ परीक्षण तंत्र, एफएमडी वैक्सीन उत्पादन को प्रोत्साहित करने आदि जैसी प्रमुख सिफारिशों को लिए गया था।
- पशु चिकित्सा टीकों/बायोलॉजिकल्स/दवाओं के आयात और निर्माण के लिए विभाग में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन और उनसे संबंधित सिफारिशें तथा नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए डीएएचडी ऑनलाइन पोर्टल का विकास।
- राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन का समर्थन
- पशु जानपदिक महामारी रोगों के लिए तैयारी करने हेतु पशु महामारी तैयारी पहल (एपीपीआई) संबंधी मिशन का समर्थन।

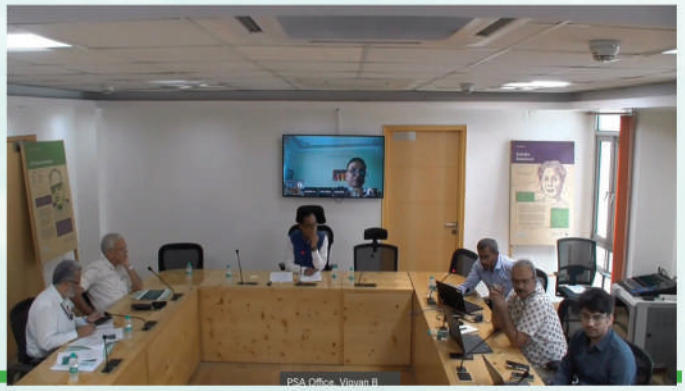

6.4.1 एवियन इंफ्लूएंजाः तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम

वर्ष 2006 से देश में एच5एन1 एवियन इंफ्लूएंजा वायरस की सूचना मिल रही है। सरकार ने तत्काल नियंत्रण तथा रोकथाम उपाय किए और रोग को रोका। प्राणी उद्यानों के लिए दिशानिर्देशों को फिर से संशोधित किया गया और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें जारी किया गया।

विभाग ने एवियन इंफ्लूएंजा (एआई) जिसे बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है के निवारण, नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए कार्य योजना तैयार की है। राज्यि/संघ राज्य क्षेत्रों को एएससीएडी के तहत नियंत्रण तथा रोकथाम कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

तालिकाः वर्ष के दौरान एवियन इन्फलूएंजा के प्रकोपों का ब्यौरा (31 दिसंबर, 2022 तक):

एपिसोड	अवधि	प्रभावित राज्य	परिकेंद्रों की संख्या	मारे गए पक्षियों की संख्या (लाख में)
1	जनवरी2022 और अप्रैल 2022	बिहार	2	0.03
2	फरवरी 2022	महाराष्ट्र	3	0.27
3	अक्टूबर 2022 15 जनवरी 2023 तक	केरल	19	0.79

भारत सरकार ने एवियन इंफ्लूएंजा के वर्तमान प्रकोप के नियंत्रण और रोकथाम के लिए तथा देश में इसके प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

i) 'देश में एवियन इंफ्लूएंजा के संबंध में निगरानी योजना तैयार की गई है और यह कार्य योजना का भाग है।

ii) ''एवियन इंफ्लूएंजा संबंधी तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम'' पर मौजूदा कार्य योजना को कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों को परिचालित किया गया। प्राणी उद्यान के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए गए।

iii) प्रभावित क्षेत्रों में 0–1 कि.मी. की परिधि में सभी कुक्कुटों को मारा जा रहा है।

iv) भविष्य में किसी भी घटना का सामना करने के लिए तैयारियों के निरंतर सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयोगशालाओं का उन्नयन, मानवशक्ति का प्रशिक्षण, सामग्रियों का स्टॉक बनाना और नियंत्रण और रोकथाम आदि।

v) एवियन इन्फ्लूएंजा के निदान को सुदृढ़ करने के लिए जालंधर, कोलकाता बंगलौर और बरेली में चार बायो–सुरक्षा लेवल–3(बीएसएल–III) प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। एनईआरडडीडीएल गुवाहाटी को भी एक मोबाइल बीएसएल–III प्रयोगशाला मुहैया कराई गई है। यह प्रयोगशालाएं पहले से ही कार्य कर रही है।

vi) सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) अभियानों के माध्यम से एवियन इंफ्लूएंजा के संबंध में आम लोगों को संवेदनशील बनाना।

vii) रिपोर्टिंग संबंधी पारदर्शी दृष्टिकोण में न केवल प्रकोपों बल्कि कुक्कुट में असामान्य बीमारी/मृत्यु की सूचना और प्रयोगशाला निदान के परिणाम भी शामिल है।

viii) सभी राज्य सरकारों को रोग के प्रकोप, के प्रति सतर्क रहने के लिए समय–समय पर सावधान किया जाता है।

ix) एचपीएआई पॉजिटिव देशों से कुक्कुकटों तथा कुक्कुट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध

x) रोग नियंत्रण, निगरानी और जैव सुरक्षा के महत्व

के विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर कुक्कुट किसानों के मार्गदर्शन के लिए राज्यों को परामर्शिया जारी की जाती है।

xi) एवियन इन्फ्लूएंजा के सभी प्रकोपों का समय रहते नियंत्रण और उनकी रोकथाम कर ली गई।

6.4.2 इक्वाइन में ग्लैंडर्स के नियंत्रण और समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

ग्लैंडर्स, इक्वाइन अर्थात घोड़ों, गधों और खच्चरों का एक संक्रामक और घातक रोग है, जो बैक्टीररियम बुरखोलदेरिया मालेई (बी.मालेई) संक्रमण द्वारा होता है। ग्लैंडर्स के नियंत्रण के लिए संदिग्ध क्लिनिकल मामलों का परीक्षण, ऊपर से सामान्य दिखने वाले ईक्विडस की स्क्रीनिंग और रिएक्टरों को दूर करने की आवश्यकता होती है। बी.मालेई से जूनोटिक की संभावना होती है और इसे संभावित जैविक युद्ध अथवा जैव आतंकवाद एजेंट के रूप में माना गया है क्योंकि यह मनुष्यों में बहुत ही घातक रोग उत्पन्न कर सकता है।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत में इक्वाइन में ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य भारत के इक्वाइनों में ग्लैंडर्स की निगरानी, नियंत्रण और उसका उन्मूलन करना है।

- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में ग्लैंडर्स की घटनाएं देखी गई हैं और तदनुसार, विभाग, द्वारा इसका नियंत्रण करने और जैव–सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए परामर्शियां जारी की गई थीं जिसमें सघन जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल है।
- अवसंरचना और जैव सुरक्षा व्यवस्थाओं के अपेक्षित मूल्यांकन के पश्चात, विभाग ने रक्षा सेवाओं/निजी स्थापनाओं की 16 इक्वाइन होल्डिंग सुविधाओं को एक अलग ग्लेंडर्स मुक्त कंपाटमेंट के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- विभाग ने घोड़ों में ग्लैंडर्स संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार निगरानी कार्यक्रम

आयोजित करने के लिए राज्यों को परामर्शी जारी की। गैर–प्रभावित राज्यों को भी सलाह दी जाती है कि वे संवेदनशील राज्यों से ग्लैंडर्स के प्रवेश को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।

वर्ष 2022 के दौरान कुल मामलों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामले
1	उत्तराखंड	3
2	उत्तर प्रदेश	28
3	हरियाणा	12
4	हिमाचल प्रदेश	1
5	गुजरात	1
6	महाराष्ट्र	1
7	मध्य प्रदेश	1
8	जम्मू और कश्मीर	1
9	पंजाब	1
10	तेलंगाना	1
11	राजस्थान	2
कुल		52

6.4.3 सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन ज्वर (एएसएफ) के नियंत्रण और निवारण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:

अफ्रीकन स्वाइन ज्वर (एएसएफ) सुअरों और जंगली सुअरों/फेरल सुअरों तथा सभी नस्लों और आयु की अन्य सुअर प्रजातियों का एक अत्यधिक संक्रामक और संसर्गजन्य हैमरेजिक वायरल रोग है। मृत्यु दर 100 प्रतिशत तक है। एएसएफ मानव या अन्य पशुधन प्रजातियों को संक्रमित नहीं करता है। यह असफरिविरिडे परिवार के जीनस असफिवायरस के डीएनए वायरस के कारण होता है। इंक्यूबेशन अवधि 4 से 19 दिनों तक की होती है।

भारत में, अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) की पुष्टि एनआईएचएसएडी, भोपाल द्वारा शुरू में जून, 2020 के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में की गई और फिर देश के अन्य 21 राज्यों में इनके मामले सामने आए।

विभाग ने भारत में अफ्रीकन स्वाचइन ज्वर (एएसएफ) के नियंत्रण, निवारण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और सभी हितधारकों को परिचालित की है। राज्योंर/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्य योजना में निहित सुझावों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया ताकि अफ्रीकन स्वोइन ज्वेर को देश से एक निश्चित समय सीमा में नियंत्रित, निवारित और उन्मूलित किया जा सके।

- विभाग ने शीघ्र निदान और तदनुसार नियंत्रण के उपाय के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (एसआरडीडीएल) बैंगलोर और गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जीएडीवीएएसयू) लुधियाना को अधिकृत करके आईसीएआर–एनआईएचएसएडी द्वारा पुष्टि किए गए क्षेत्रों में पीसीआर के माध्यम से अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) परीक्षण/स्क्रीनिंग का विकेंद्रीकरण किया है।
- विभाग ने 8 जुलाई 2022 को असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, खानापारा, गुवाहाटी में एएसएफ प्रबंधन योजना पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया, जिसका आयोजन पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग, असम सरकार, असम में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एपीएआरटीपरियोजना, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) और अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (आईएलआरआई) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

6.4.4 लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) संबंधी दिशानिर्देश और परामर्शी

लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) गोपशु और भैंस का एक

संक्रामक वायरल रोग है जो कैप्रिपॉक्स वायरस के कारण होता है। यह मच्छरों, काटने वाली मक्खियों और टिक जैसे अर्थोपोड वाहकों द्वारा संचरित होता है। रोग के लक्षणों में 2–3 दिनों तक हल्का बुखार और उसके बाद कठोर, गोलाकार क्यूटेनियस ग्रंथि (2–5 से.मी. आकार का) का विकास होना है। पशु प्रायरू 2–3 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। इसकी रूग्ण्ता दर लगभग 10–20 प्रतिशत और मृत्यु दर लगभग 1–5 प्रतिशत है।

भारत में, लंपी त्वचा रोग की पुष्टि एनआईएचएसएडी, भोपाल द्वारा सितंबर, 2019 के दौरान सबसे पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में की गई थी। बाद में अन्य 22 राज्यों में भी रोग की पुष्टि हुई थी। आईसीएआर संस्थानों (आईसीएआर–आईवीआरआई और आईसीएआर–एनआईएचएसएडी) के साथ परामर्श से विभाग द्वारा विकसित नियंत्रण टीकाकरण और उपचार परामर्शियों को रोग के प्रभावी नियंत्रण और निवारण के लिए किसानों समेत सभी हितधारकों के लिए आवश्यरक परामर्श और जागरूकता के साथ–साथ बकरी चेचक के टीके(उत्तराखंड स्ट्रेन) का प्रयोग करते हुए वैक्सीआनेशन और क्लीनिकल निगरानी समेत जैव–सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए सभी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया। विभाग सभी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है और विवरण निम्नानुसार हैं:

i) रोग की रोकथाम और संक्रमित पशुओं को अलग रखने, टीकाकरण प्रोटोकॉल और उपचार दिशानिर्देशों सहित स्वच्छता प्रोटोकॉल के लिए दिशा–निर्देश और एसओपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिए गए हैं। राज्यों को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध बकरी के चेचक के टीके (उत्तरकाशी स्ट्रेन) के साथ गोपशुओं में कारपेट और नियंत्रित टीकाकरण रणनीति अपनाने को कहा गया है। विभाग ने दिशा–निर्देशों के अनुसार निश्चित समय–सीमा में एलएसडी के नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंध में जांच एवं सुझाव हेतु राज्य के पशुपालन विभाग के साथ समन्वय में प्रभावित राज्यों में विभागीय पशु चिकित्सकों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (आईसीएआर–एनआईएचएसएडी) के वैज्ञानिकों से युक्त केंद्रीय दलों को लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) के प्रकोप का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए नियुक्त किया है। अप्रभावित राज्यों को भी जागरूकता और अग्रिम तैयारियों के लिए सलाह जारी की गई। विभाग ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और हर समय जागरूकता सहित पशु मालिकों के मुद्दों के समाधान के लिए राज्यों को नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की सलाह भी दी है।

ii) विभाग ने राज्यों को संवेदनशील बनाने और स्थिति की अद्यतन जानकारी लेने के लिए नियमित रूप से राज्यों के साथ वास्तविक और वर्चुअल बैठकें आयोजित कीं। विभाग रोजाना अपडेट के साथ प्रभावित राज्यों से आंकड़े जुटा रहा है। विभाग व्हाटसएप ग्रुप और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी फॉलोअप ले रहा है। राज्यों को उचित जैव सुरक्षा उपायों और पशु चिकित्सा देखभाल के साथ आवारा और अन्य प्रभावित पशुओं के लिए अलगाव केंद्र स्थापित करने की सलाह दी जाती है।

iii) विभाग ने राज्यों को सलाह दी कि वे पशु मालिकों और अन्य हितधारकों को प्रारंभिक अवस्था

में जैसे कि चारा ना खाना, सुस्ती, बुखार जैसे प्रारंभिक लक्षण देखकर संदिग्ध पशुओं की पहचान करने के लिए जागरूकता पैदा करें, और संदिग्ध पशु के तत्काल अलगाव और उपचार तथा रोग के गंभीर होने से पहले प्रारंभिक अवस्था में संक्रमण नियंत्रण के लिए स्थानीय पशुचिकित्सक को सूचित करें। विभाग ने राज्यों को तत्काल प्रतिक्रिया और जागरूकता के लिए आरआरटी और प्रशिक्षकों के गठन और स्थानीय पशु मालिकों, पंचायत सदस्यों, प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय युवाओं को जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल करने की संभावना तलाशने की सलाह दी।

iv) जिलों में लम्पी त्वचा रोग के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्यों को जिला अधिकारियों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय निगरानी और समन्वय समिति गठित करने की सलाह दी गई। राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे रोग के लिए गांववार घरेलू सर्वेक्षण करें और रोगवाहकों को नियंत्रित करने के लिए शेड/पशुओं के चरने वाले क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव करें।

v) राज्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे शीघ्र निदान और नियंत्रण उपायों के लिए एलएसडी की पीसीआर जांच के लिए स्थानीय प्रयोगशालाओं की पहचान करें ताकि विभाग की आगे की मंजूरी मिल सके। भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर नमूनों का परीक्षण करने के लिए मौजूदा नैदानिक सुविधाओं को सक्रिय और विकेन्द्रीकृत किया है। प्रभावित राज्यों में महामारी की जांच करने के लिए आईसीएआर–एनआईएचएसएडी, भोपाल को सक्रिय कर दिया गया है। विभाग ने रोग के शीघ्र निदान और तदनुसार नियंत्रण उपायों के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (एसआरडीडीएल) बैंगलोर, पश्चिमी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (डब्ल्यूआरडीडीएल), पुणे, उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी (एनईआरडीडीएल), गुवाहाटी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (एलयूवीएएस), हिसार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ–अनुसंधान संस्थान (डीयूवीएएसयू), मथुरा और गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जीएडीवीएएसयू) लुधियाना और अन्य 25 प्रयोगशालाओं को अधिकृत करके आईसीएआर–एनआईएचएसएडी द्वारा पुष्टि किए गए क्षेत्रों में पीसीआर के माध्यम से लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) परीक्षण/स्क्रीनिंग का विकेंद्रीकरण किया।

vi) विभाग ने वैक्सीन निर्माताओं को टीकों की उत्पादन क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 100 लाख (मैसर्स आईआईएल के मामले में) और 150 लाख से 300 लाख (मैसर्स हेस्टर के मामले में) प्रति माह करने को कहा है। विभाग टीके के उत्पादन/भंडार/वितरण की स्थिति की निगरानी कर रहा है। विभाग ने केंद्रीय सहायता के तहत बकरी चेचक के टीके की खरीद के लिए केंद्रीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों को गोट पॉक्स वैक्सीन की एक समान दर (5.25/–रु.प्रति खुराक, 100 खुराक पैक के लिए जीएसटी सहित) की सूचना दी। विभाग ने एक ही गोपशु को एक साथ एफएमडी और बकरी पॉक्स के टीके के सुरक्षित प्रशासन के संबंध में सलाह भी दी।

vii) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और टीकाकरण के लिए प्रभावित राज्यों को मांग के अनुसार निधियां प्रदान की गई है। राज्यों को नियंत्रण कार्यों के लिए राज्य/जिले की आपातकालीन निधियों का उपयोग करने की संभावना की भी सलाह दी जाती है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत एलएसडी के नियंत्रण के लिए टीकों और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

viii) विभाग ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से राज्यों को सहायता के संबंध में गृह मंत्रालय को पशु मृत्यु दर पर मुआवजे की पात्रता के संबंध में मदों और मानदंडों के तहत पशु प्रमाणीकरण और पहचान के दिशा–निर्देशों के बारे में भी सूचित किया।

6.4.5 कैनाइन रेबीज का उन्मूलन

- वर्ष 2030 तक कुत्ते के माध्यम से होने वाले रेबीज को खत्म करने के वैश्विक प्रयास के हिस्से के रूप में, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), ने अन्य हितधारकों के परामर्श से वर्ष 2030 तक भारत से कुत्ते के माध्यम से होने वाले रेबीज उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीआरई) को सहयोगात्मक रूप से तैयार किया है।
- एनएपीआरई रोग प्रसार, जनसंख्या जनसांख्यिकी और संसाधन उपलब्धता के आधार पर राज्यों को अपने राज्यों के लिए उपयुक्त राज्य कार्य योजनाओं का मसौदा तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। इस दस्तावेज ने चरणबद्ध दृष्टिकोण के तहत देश में कुत्ते के माध्यम से होने वाले रेबीज को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए रणनीतियों की पहचान की है। यह दस्तावेज स्पष्ट रूप से रेबीज मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए कदमों और कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करता है। इसका उद्देश्य निरंतर कुत्तों के सामूहिक टीकाकरण, पूर्व और बाद के एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से रेबीज के जोखिम को कम करना है।
- विभाग ने गोवा में ओरल बेट वैक्सीन (ओबीवी) की निगरानी और मूल्यांकन के लिए समिति का गठन किया, कैनाइन रेबीज नियंत्रण के लिए कार्य योजना जिसमें मानव का जोखिम विश्लेषण भी शामिल है।
- विभाग ने 28 फरवरी, 2022 को ओरल रेबीज वैक्सीन (ओआरवी) पर ओआईई वर्चुअल वर्कशॉप के लिए अधिकारियों को नामित किया, ताकि वर्ष 2030 तक कुत्ते से होने वाले मानव रेबीज के उन्मूलन के वैष्विक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

6.4.6 एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर):

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और आयुश मंत्रालय, भारत सरकार के बीच दिनांक 7 अप्रैल, 2021 को औषधीय जड़ी बूटियों के माध्यम से पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए गुणवत्ता वाली दवाओं में नए फॉर्मूलेशन पर अनुसंधान सहित अनुसंधान और विकास में उनके प्रचार द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और उससे संबद्ध विषयों की अवधारणा को पेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य, पशुपालकों के समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करना है। यह दवाओं, विशेष रूप से प्रतिरोधकों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने में मदद करेगा और इस तरह माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) के उद्भव को रोकेगा।

इस संबंध में विभाग में, विषय की बुनियादी समझ के लिए आयुर्वेदिक पशु चिकित्सा मेडिसिन (एवीएम) और अन्य पारंपरिक रूपों हेतु पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए शिक्षा पर एक उत्तरदायी समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य पशु चिकित्सा

आयुर्वेद से युक्त शिक्षण सामग्री तैयार करना और ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जिसमें पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा के सिद्धांत भाग के साथ–साथ व्यावहारिक प्रयोज्यता दोनों का समावेश होता है।

एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) और अन्य कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण/कार्यशालाः

- एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध (एनएपी 2.0) संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए 23–25 मार्च 2022 को देश के सभी हितधारकों और सलाहकार विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल करते हुए तीन दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था।
- एनएपी के पशु स्वास्थ्य (पशुधन और मत्स्यपालन) घटक से संबंधित एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एनएपी 2.0) संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा अप्रैल 2019 में विभिन्न विशेषज्ञों के साथ एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसके बाद एएमआर पर एनएपी पर 23 नवंबर 2021 को एक राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला तथा 23–25 मार्च 2022 तक देश के सभी हितधारकों और सलाहकार विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल करते हुए तीन दिवसीय बैठक आयोजित की गई विभाग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पशु स्वास्थ्य से संबंधित एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एनएपी 2.0) पर राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा प्रस्तुत किया है।
- विभाग ने 10 दिसंबर 2022 को गोवा में आयोजित पशु आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया।
- विभाग ने एफएओ और आईसीएआर द्वारा हैदराबाद में 25–26 अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित फार्म स्तर पर एंटीमाइक्रोबियल उपयोग (एएमयू) के आकलन के लिए मान्य प्रोटोकॉल के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अधिकारियों को नामित किया।
- विभाग ने सीएसई द्वारा नीमली, राजस्थान में 19–21 अप्रैल, 2022 को सतत खाद्य प्रणालियों संबंधी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए अधिकारियों को नामित किया।
- विभाग ने संक्रमण को रोकने और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) को कम करने के लिए 16–17 अगस्त, 2022 के दौरान आयोजित वाश और अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी क्षेत्रीय प्रशिक्षण में भाग लिया।
- विभाग ने एफएओ द्वारा 2–3 अगस्त, 2022 को आयोजित 2 दिवसीय बैठक में पशुओं में एएमआर पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के संबंध में भाग लिया।
- विभाग ने 24–25 मई 2022 को आयोजित यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोशित 'एक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य से एशिया में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देनाः अनुसंधान और नवाचार' के संबंध में ऑनलाइन आभासी कार्यशाला (चीन) के लिए अधिकारी को नामित किया।
- एफएओ के सहयोग से विभाग ने वर्ष 2022–2025 के लिए एनएपी को संशोधित करने हेतु मार्च 2022 को एएमआर राष्ट्रीय कार्य योजना पर राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पशुपालन क्षेत्र के माध्यम से लागू होने वाले एएमआर कार्यकलापों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- विभाग ने कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूलन संचार (एडप्टेशन कंम्यूनिकेशन) के पहले मसौदे पर टिप्पणियां प्रदान कीं, जिसमें

एक स्वास्थ्य अवधारणा संबंधी सर्वोत्तम पद्धति, वैकल्पिक चिकित्सा पर ध्यान देते हुए पशुओं में एंटीबायोटिक के उपयोग के संबंध में जागरूकता और योजना संबंधी पहल खाद्य सुरक्षा और पौषणिक योगदान, जलवायु अनुकूल पशुपालन नवाचारों को शामिल करना और रिसाईकलिंग और मृदा प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ जमीनी स्तर पर पर्यावरण अनुकूल पशु अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है।

6.4.7 एनडीएमए के सहयोग से आपदा/संकट प्रबंधन में भूमिका:

विभाग आपदा/संकट से निपटने और पशुधन क्षेत्र के संबंध में दिशानिर्देश और परामर्शी तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीट वेव और कोल्ड वेव मौसम के संबंध में दिशानिर्देश/परामर्शियां तैयार की गई हैं और गर्म तथा शीत मौसम के दौरान प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्रिम प्रारंभिक कार्रवाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्यत क्षेत्रों को परिचालित की गई हैं।

- विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय द्वारा 27–28 जून, 2022 के दौरान एनआईडीएम, दिल्ली में फेस–टू–फेस आयोजित दो दिवसीय 'भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला' के लिए अधिकारियों को नामित किया।
- विभाग ने पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन (पीपीएफ) द्वारा' पशु संरक्षण पर दिशानिर्देश' जारी करने सहित 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पशु मुद्दों को मुख्यधारा में लाने' (हाइब्रिड मोड) के संबंध में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 22.6.2022 को आधे दिन की कार्यशाला में भाग लिया।
- विभाग ने पशुपालन क्षेत्र के संबंध में शीत लहर मौसम 2022 के लिए प्रारंभिक कार्रवाई करने हेतु राज्यों को परामर्शी भेजी।

6.4.8. देश की रोग से मुक्ति की स्थिति:

वर्ष 2020 के दौरान निम्नलिखित बीमारियों से देश की मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए ओआईई को डोजियर प्रस्तुत किया गया, जिसे ओआईई द्वारा मान्य किया गया था।

क. बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (बीएसई) की नगण्य जोखिम स्थिति

ख. संक्रामक बोवाइनप्यूपैथरो निमोनिया (सीबीपीपी) से मुक्ति

ग. अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस (एएसएच) से मुक्ति की स्थिति

6.4.9. रोग प्रकोप: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र करके मुख्यालयों में रोग की घटनाओं संबंधी जानकारी संकलित की जाती है। वर्ष 2021 (जनवरी–दिसंबर, 2021) के दौरान भारत में पशुधन रोगों की प्रजाति–वार घटनाएं **अनुबंध–XIII** में हैं।

***

अध्याय–7

व्यापारिक मामले

व्यापारिक मामले

7.1 प्रस्तावना

7.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों से मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यू आर) हटाए जाने के बाद इस विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया है ताकि पशुधन उत्पादों की आयात प्रक्रिया को विनियंत्रित करने के लिए सभी पशुधन उत्पादों को उसके कार्य क्षेत्र में लाया जा सके। तदनुसार, पशुधन उत्पाद के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655(ई), मात्स्यिकी उत्पादों के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 1043(ई) और कुक्कुट के मूल जनक स्टॉक के लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2001 की संख्या 1175(ई) जारी की गई थी जिसमें पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट को अनिवार्य बना दिया गया था। दिनांक 28.03.2008 को अधिसूचना संख्या 794(ई) के जरिए, विभाग ने दिनांक 07.07.2001 की अधिसूचना संख्या 655(ई) में और आगे संशोधन किया जिसमें इसने पशुधन उत्पादों को स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) की आवश्यकता वाले, पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर छोड़े जा सकने वाले और ऐसे उत्पाद जिनके लिए स्वच्छता आयात परमिट या अनापत्ति दोनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, के रूप में वर्गीकृत किया है।

7.1.2 वर्ष 2014 में दिनांक 07.07.2001 की प्रधान अधिसूचना का.आ. 655(ई)के अधिक्रमण में धारा 2(घ) के तहत पशुधन उत्पादों को सूचीबद्ध करते हुए और पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3(क) के तहत पशुधन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया के लिए एक समेकित अधिसूचना का.आ. 2666(ई) दिनांक 17.10.2014 जारी की गयी थी। निर्यातक देश में रोग की स्थिति के साथ–साथ इस देश में रोग की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद ही स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट जारी किया जाता है।

7.1.3 इसके अलावा, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत का.आ. 1495(ई) और1496(ई) दिनांक 11 जून, 2014 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें विभाग ने धारा 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात और संगरोध के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है और पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2(घ) के अनुसार पशुओं की संख्या के लिए "पशुधन" की व्याख्या को आगे विस्तृत किया गया है।

7.1.4 आयात प्रक्रियाः विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट (एसआईपी) जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में एक जोखिम विश्लेकषण समिति गठित की गई है जिसमें सभी संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में शामिल हैं। दिनांक 17.10.2014 एस.ओ. आ.2666(ई) की अधिसूचना में आवश्यन संशोधन के बाद, एसआईपी आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और पशुधन उत्पादों के आयात के विभिन्न क्रियाकलापों में लगी हुई विभिन्न फर्मों/संगठनों को स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट जारी करने के लिए विभाग ने बेवपोर्टल https://sip.nic.in प्रारंभ किया है। स्वच्छता आवश्यकताओं के संबंध में संगत सूचना सहित ऑनलाइन एसआईपी आवेदन करने की प्रकिया विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर भी उपलब्ध है। प्राप्त एसआईपी आवेदनों की जांच–पड़ताल की जाती है और विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य और ओ.आई.ई.विनियमों

के आधार पर जोखिम विश्लेषण किया जाता है। जोखिम विश्लेषण समिति आवेदन को नामंजूर करने अथवा जारी करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार करती है। इस समिति की दिसंबर, 2022 तक 34 बैठकें आयोजित की गई हैं। विभाग के व्यापार यूनिट ने विभिन्न फर्मों/संगठनों को 31 दिसंबर, 2022 तक 3646 स्वच्छता आयात परमिट जारी किए हैं ताकि वे मात्स्यिकी उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों का आयात करने में सक्षम हो सकें।

7.1.5 विभाग पशुधन तथा पशुधन उत्पादों से संबद्ध पण्यों तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से प्राप्त प्रतिबंधित श्रेणी के पशुधन एवं पशुधन उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करता है। इन प्रस्तावों पर विभाग के विचार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को सूचित किए जाते हैं जिससे व्यापार एवं निवेश मामलों से संबधित समिति द्वारा इस पर विचार किए जाने के बाद संबंधित राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों के पक्ष में आवश्यक आयात लाइसेंस जारी किए जा सकें। व्यापार एवं निवेश मामलों से संबंधित समिति की संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में बैठक होती है जिसमें सभी संयुक्त सचिव अथवा प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में मौजूद रहते हैं।31 दिसंबर, 2022 तक, उक्त समिति की 33 बैठकें आयोजित हुई थीं तथा विभिन्न राज्य सरकारों के अलावा विभिन्न फर्मों/संगठनों के पक्ष में 780 सिफारिशें जारी की गईं।

7.1.6 वर्ष के दौरान, 'व्यापार करने में आसानी' के लिए तेजी से आगे बढ़ने हेतु निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत पहलें की गई हैं;

1) पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा, बैंगलुरु में पशु संगरोध सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

2) आयातित कंसाइनमेंट (Consignments) की पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं संबंधी निकासी (Clearance) के लिए जोखिम–आधारित चयन को सीमा शुल्क के जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप लागू किया गया है।

***

अध्याय–8

अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

8.1 विभाग विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जिनका मुख्य उद्देश्य पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए राज्य सरकारों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। अधिकांश योजनाएं प्रत्यक्ष तौर पर लाभार्थी उन्मुख नहीं हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्गों तथा महिलाओं सहित देश की बड़ी आबादी पशुधन क्षेत्रों के कार्यकलापों से जुड़ी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, इस विभाग धारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं समाज के इन वर्गों को लाभान्वित करती हैं। तथापि, विभाग अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति से संबन्धित लाभार्थियों तथा महिलाओं का रिकार्ड नहीं रख रहा है। योजनाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें/क्रियान्वयन एजेंसियां भी इस तरह का रिकार्ड नहीं रखती हैं।

8.2 अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के तहत 16.6% निधियों के निर्धारण के संबंध में योजना आयोग के दिनांक 15.12.2010 के अ.शा. पत्र सं. एन 11016/12(1)/2009–पीसी के द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार इस विभाग ने एससीएसपी घटक के तहत वर्ष 2021–22 में संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 408.57 करोड़ रूपए निर्धारित किए। इसकी तुलना में, वर्ष 2021–22 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 406.53 करोड़ रुपए का व्यय किए गए थे। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, इस विभाग ने संशोधित अनुमान स्तर पर 453.51 करोड़ रूपए निर्धारित किए थे, जिसमें से एससीएसपी घटक के अंतर्गत (31.12.2022 तक) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 94.97 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

8.3 इस विभाग को वर्ष 2017–18 तक जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के अंतर्गत निधियों के निर्धारण करने की छूट थी। वर्ष 2018–19 से, टीएसपी के तहत 8.60% निर्धारित किया गया है। एसटीएसपी घटक के अधीन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत विभाग ने वर्ष 2021–22 में संशोधित अनुमान स्तर पर 225.37 करोड़ रूपए निर्धारित किए हैं। इसकी तुलना में, वर्ष 2021–22 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 222.81 करोड़ रूपए व्यय किए गए। मौजूदा वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, विभाग ने संशोधित अनुमान स्तर पर 244.40 करोड़ रूपए निर्धारित किए हैं, जिसमें से 31.12.2022 तक 60.73 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं।

***

अध्याय–9

महिलाओं का सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण

9.1 पशुपालन और डेयरी सेक्टर में महिलाएं

9.1.1 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभाग की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विभाग हमेशा पशुपालन और डेयरी में लगी महिलाओं को लाभ देने पर जोर देता रहा है।

9.1.2 पशुपालन क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर काम करते हैं। पशुओं को चारा देने, दूध दुहने इत्यादि जैसे काम अधिकतर महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तथापि, पशुपालन के क्षेत्र में पुरूष तथा महिलाओं की भूमिका एक दूसरे की पूरक है और इनके कार्य को विनिर्दिष्ट रूप से श्रेणीबद्ध कर अलग – अलग करना संभव नहीं है।

9.1.3 महिलाएं डेयरी सहकारिता आंदोलन में अग्रणी रही हैं जिसे प्रारंभ में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम तथा बाद में सरकार द्वारा क्रियान्वित एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से चलाया गया था।

9.1.4 कुक्कुट क्षेत्र में, ग्रामीण घरेलू कुक्कुट पालन एक आय प्रतिपूरक योजना है और इसे अधिकांशतः महिलाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जहां महिलाओं को प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाती है।

9.1.5 इसी प्रकार, नस्लों के संरक्षण से संबंधित योजना में भेड़, बकरी तथा जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के संरक्षण की योजनाओं को इस तरह संचालित किया गया है जिनमें ऐसी योजनाओं को आरंभ करने के लिए महिलाओं की पहचान की जा रही है।

9.1.6 विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं/कार्यक्रम महिलाओं के लिए लाभकारी रहे हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संदर्भ में रिकार्ड रखने के लिए कहा गया है।

9.1.7 इस विभाग में एक लैंगिक बजट प्रकोष्ठ गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों में परिवर्तन को इस प्रकार प्रभावित करना है जिससे लैंगिक असंतुलन से निपटने के अलावा लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और महिलाओं का विकास किया जा सके। इस प्रकोष्ठ की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (पीसी) द्वारा की जाती है जिसमें छह सदस्य हैं।

9.1.8 विभाग पशुधन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, रोगों से सुरक्षा और पशुधन के आनुवंशिक सुधार के लिए, देशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए, पशुधन अवसंरचना और रोजगार सृजन आदि के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र, देश में महिलाओं को लगभग 50% प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है जो कि अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे अधिक है। हालांकि, विभाग महिला घटक के लिए कोई विशिष्ट निधि निर्धारित करने में सक्षम नहीं है, तथापि राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विद्यमान केंद्रीय प्रायोजित/केंद्रीय सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का लगभग 30% महिला लाभार्थियों के लिए उपयोग करने की सलाह दी गई है।

***

अध्याय–10

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

10.1 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता

पशुपालन और डेयरी विभाग, पशु स्वास्थ्य और डेयरी से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक नियमित सदस्य (वार्षिक सदस्यता के अंशदान का भुगतान करता है) है।

(क) ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटिस (ओ.आई.ई) पेरिस, फ्रांस

(ख) अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ (आईडीएफ), बेल्जियम

(ग) एनिमल प्रोडक्शन एंड हैल्थ कमीशन फार द एशिया एंड द पैसिफिक (एपीएचसीए) बैंकाक, थाइलैंड, एफएओ के तहत एक संगठन।

10.2 विदशों के साथ हस्ताक्षरित दस्तावेज

1) डेनमार्क की तकनीकी सहायता से भारत में डेयरी संबंधी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए दिनांक 02–05–2022 को डीएएचडी और डेनमार्क के बीच आशय के संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।

10.3 अधिकारियों द्वारा विदेश में प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण में भाग लेना

कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान, डीएएचडी/अधीनस्थ कार्यालयों के पांच (5) अधिकारियों को विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त किया गया था। माननीय एफएएच एंड डी मंत्री और डीएएचडी के वरिष्ठ अधिकारियों की यूके, कांगो, नीदरलैंड, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्राजील, रूस, कनाडा आदि देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ जनवरी, 2022 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान कुल 31 बैठकें (आभासी/वास्तविक दोनों) हुई थीं।

***

अध्याय–11

जीव–जंतु कल्याण

जीव–जंतु कल्याण

11.1 जीव–जन्तु कल्याण विषय को कार्य आबंटन नियमों में संशोधन के पश्चात् अधिसूचना सं. का. आ.1531 (अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया है। तदनुसार, जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड, पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) और राष्ट्रीय जीव–जंतु कल्याण संस्थान (एनआईएडब्लू) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इन संगठनों के क्रियाकलाप इस प्रकार हैं–

11.2 भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड

भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड (एडब्लूबीआई) की स्थापना 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा–4 के अनुसरण में की गयी थी। सुप्रसिद्ध मानवतावादी श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल बोर्ड की संस्थापक सदस्य थीं।

बोर्ड में 28 सदस्य हैं, जिसमें 6 संसद सदस्य (लोकसभा से 4 और राज्य सभा से 2 –वर्तमान बोर्ड में अभी नामांकित किया जाना है) और अन्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, इन सभी को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तीन साल में एक बार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्तमान बोर्ड को 01.03.2017 से प्रभावी तीन वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया था जिसमें 18 सदस्य थे और 4 सदस्यों को 08.12.2017 को नामित किया गया था जिसे आगे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा नए बोर्ड के गठन तक बढ़ा दिया गया।

भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड का उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत और एडब्ल्यूबीआई के कार्य पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 9 के तहत परिभाषित किए गए हैं। संक्षेप में, एडब्लूबीआई का अधिदेश भारत में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के कानूनों का निरंतर अध्ययन करना और अधिनियम के तहत नियम बनाने, पशुओं के अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा को रोकने के लिए आवश्यक संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को सलाह देना है।

11.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अब तक किये गये क्रियाकलाप

(i) मान्यता:

बोर्ड जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान करता है। बोर्ड ने वर्ष 2021–22 के दौरान, 3678 जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2022–23 तक, बोर्ड ने 31.01.2023 तक, 47 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा 31.01.2023 तक कुल 3725 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की गई है।

(ii) अनुदान:

(क) नियमित अनुदान: भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड मान्यता प्राप्त जीव–जंतु कल्याण संगठनों को पशु शेल्टरों के रख–रखाव, पशुओं की दवाईयों, चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा पशु चिकित्सा कैंप आयोजित करने इत्यादि के लिए नियमित अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है

तथा अवैध ढुलाई/बूचड़खानों से छुडाए गये पशुओं के रख–रखाव के लिए गोपशु बचाव रख–रखाव अनुदान प्रदान करता है। जीव–जंतु कल्याण संगठन को नियमित अनुदान, आश्रय में रखे गए/उपचार किए गए/बचाए गए पशुओं की संख्या के आधार पर दी जाती है जो पशुपालन विभाग द्वारा यथोचित रूप से सत्यापित होती है। वर्ष 2022–23 के दौरान, एडब्लूबीआई ने 31.01.2023 तक 232 एडब्लूओ को 336.16 लाख रु. की अनुदान राशि जारी की है।

(ख) पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय आवास योजनाः इस योजना का उद्देश्य देश में सकंटग्रस्त पशुओं के लिए आश्रय आवासों की स्थापना और उनका रख–रखाव करना है। मुख्यतः गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए) को चार दीवारी, आश्रय, पानी के टैंक, नाले, इनहाऊस डिस्पेंसरी बनाने के लिए, चिकित्सा उपकरण, आकस्मिक व्यय इत्यादि के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) के 10 प्रतिशत योगदान को छोड़कर अधिकतम 22.50 लाख रू. तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, 5 आश्रय गृहों के लिए 54.99 लाख रु. जारी किये गए।

(ग) पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) और आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने संबंधी योजनाः यह योजना बंध्याकरण द्वारा आवारा कुत्तों (आश्रयहीन/बेसहारा) की आबादी को नियंत्रित करने और टीकाकरण द्वारा रेबीज की घटनाओं में कमी लाने के लिए है। इस अनुदान के लिए गैर–सरकारी संगठन, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण हेतु सोसाइटी तथा स्थानीय निकाय अनुदान के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, दवाईयों तथा एंटी–रेबीज टीके (एआरवी) सहित ऑपरेषन से पहले और पश्चात् की देखभाल के लिए 370/– रूपए प्रति कुत्ते की दर से तथा कुत्ते को पकड़ने और किसी और जगह छोड़ने के लिए 75/– रूपए प्रति कुत्ते की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) संकटग्रस्त पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी योजनाः इस योजना के अंतर्गत, जीव–जंतु कल्याण संगठनों को ढुलाई, बचाव तथा संकटग्रस्त पशुओं को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त वाहन खरीदने के लिए भी अनुदान दिया जाता है। गैर–सरकारी संगठनों को उपयुक्त वाहन और उपकरण और उसकी फिटिंग की लागत के 90 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाती हैं। सहायता अनुदान की अधिकतम राशि वाहन खरीदने के लिए 3.50 लाख रू. तक और उपकरण तथा उसकी फिटिंग के लिए 1.00 लाख रू. तक सीमित है। वर्ष 2022–23 के दौरान, एंबुलेंस के लिए 9 संगठनों को 40.05 लाख रु. जारी किए गए।

(ड.) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को सहायता देने संबंधी योजनाः प्रत्येक वर्ष बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि के रूप में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित पशुओं के लिए चारे, पर्याप्त आवास, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता होती है। ऐसे पशुओं को राहत देने के लिए जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्ल्यूओ) के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान, राष्ट्रीय आपदा योजना के तहत एक संगठन को 5.00 लाख रु. जारी किए गए।

(iii) करतब दिखाने वाले पशुओं का पंजीकरण

करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के नियम 3 के अंतर्गत, बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी है। वर्ष 2022–23 (31.01.2023 तक) के दौरान, 924 फिल्मों/विज्ञापनों को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विचार किया गया और 534 फिल्मों/विज्ञापनों को अपनी

फिल्मों/विज्ञापनों में पशुओं का इस्तेमाल करने के लिए प्री–शूट अनुमति देने के लिए विचार किया गया।

(iv) सर्कसों का पंजीकरण

बोर्ड ने करतब दिखाने वाले पशु (पंजीकरण) नियम, 2001 के तहत सर्कसों का पंजीकरण किया है जो प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए करतब दिखाने वाले पशुओं का उपयोग कर रहे हैं।

(v) टर्फ क्लबों में उपयोग होने वाले घोड़ों का पंजीकरण

बोर्ड रेस हॉर्स क्लबों में उपयोग होने वाले घोड़ों का भी पंजीकरण करता है। बोर्ड ने विभिन्न रेस हॉर्स क्लबों की दौड़ के लिए 6082 घोडों का पंजीकरण किया।

(vi) कॉलोनी पशु देखभालकर्ता (सीएसीटी) को प्राधिकार पत्र जारी करना

देश के अधिकांश दयालु नागरिक अपने संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में आवारा पशुओं को खिलाकर पशु कल्याण में सहायता करते हैं। बोर्ड इन नागरिकों को आवारा पशुओं को खिलाने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करता है। बोर्ड ने लगभग 8300 आवेदकों को सीएसीटी प्राधिकार पत्र जारी किये थे। वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने 213 कॉलोनी पशु देखभालकर्ता (सीएसीटी) प्राधिकार जारी किये हैं।

(vii) मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि का नामांकन

बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण संबंधित मामलों पर अपने राज्य/जिले में प्रशासन/कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय करके सभी मामलों को देखने के लिए मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधियों (चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण देने के बाद) को भी नामित करता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने 31.01.2023 तक (13–14 जून, 2022 और 16–17 अगस्त, 2022, 18–19 अक्टूबर, 2022 और 20–21 दिसंबर, 2022 को) चार मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे जिसमें 114 आवेदकों को अर्हक अंक प्राप्त करने के पश्चात मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया।

(viii) क्रूरता संबंधी मामले और शिकायतों पर की गई कार्रवाई

बोर्ड को देश के विभिन्न भागों से पशुओं के साथ क्रूरता के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं और उक्त की जांच करने और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों/जिलाधीशों/न्यायाधीशों/जिला पुलिस अधीक्षक को अग्रेशित कर दिया गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने संबंधित कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 970 पत्र जारी किए।

(ix) मुफ्त मोबाइल पशु क्लीनिकः

बोर्ड, चेन्नई के अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संचालित अपने मोबाइल पशु क्लीनिक (एमएसी) कार्यक्रम के माध्यम से गरीब लोगों के बीमार और घायल पशुओं को उसी स्थान पर मुफ्त पशुचिकित्सा उपचार प्रदान करता है। बोर्ड का पशुचिकित्सक सर्जन शहर में पूर्व–निर्धारित स्थानों का दौरा करता है जहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर के दौरान पशुओं का मुफ्त में उपचार करने के लिए पशुओं की आबादी इकट्ठी होती है। वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने उक्त कार्यक्रम के तहत 716 पशुओं का उपचार किया है।

11.4 उपलब्धियां (वास्तविक/वित्तीय)

भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड ने जीव–जंतु कल्याण के संवर्द्धन और उनके प्रति क्रूरता की

रोकथाम में 60 वर्ष की समर्पित सेवा पूरी कर ली है। बोर्ड के कार्यकलाप जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और यहां तक कि देश के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में जारी रहे। वर्ष के दौरान बोर्ड की उपलब्धियां इस प्रकार है:

- बोर्ड ने वर्ष 2021–22 तक 3678 जीव–जंतु कल्याण संगठनों (एडब्लूओ) को मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने 31.01.2023 तक, 47 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा 31.01.2023 तक कुल 3725 एडब्लूओ को मान्यता प्रदान की गई है।
- बोर्ड ने एडब्लूबीआई की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान 31.01.2023 तक 247 एडब्ल्यूओ को 436.14 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी है।
- वर्ष 2022–23 (31.01.2023 तक) के दौरान, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 924 फिल्मों/विज्ञापनों पर विचार किया गया और अपनी फिल्मों/विज्ञापनों में पशुओं का उपयोग करने के लिए प्री–शूट अनुमति प्राप्त करने के लिए 534 फिल्मों/विज्ञापनों पर विचार किया गया।
- वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने 213 कॉलोनी पशु देखभालकर्ता (सीएसीटी) प्राधिकार पत्र जारी किए।
- वर्ष 2022–23 के दौरान, 30.01.2023 तक बोर्ड ने 4 मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और अर्हक अंक प्राप्त करने के बाद 114 आवेदकों को मानद जीव–जंतु कल्याण प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया।
- वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों से प्राप्त 970 क्रूरता संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई की/आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किया है।
- वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने अपने मोबाइल पशु क्लीनिक (एमएसी) कार्यक्रम के माध्यम से 716 पशुओं का उपचार किया है।
- बोर्ड ने जल्लीकट्टू आयोजन की निगरानी के लिए जल्लीकट्टू समिति का पुनर्गठन किया है ताकि तमिलनाडु राज्य में भाग लेने वाले बैलों के साथ कोई क्रूरता न की जाये।
- बोर्ड ने पीसीए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जिसमें बड़ी संख्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने भाग लिया।
- बोर्ड ने पशु कल्याण संगठनों/गौशालाओं को मान्यता देने, विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के लिए, मानद जीव जन्तु कल्याण प्रतिनिधि नामित करने, कॉलोनी पशु देखभालकर्ता (सीएसीटी) के प्राधिकार, करतब दिखाने वाले पशुओं के पंजीकरण, प्री–शूट अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, रेस हॉर्स क्लब में प्रदर्शन करने वाले घोड़ों का पंजीकरण करने और क्रूरता/शिकायत आदि के मामलों को दर्ज करने के लिए आवेदन के ऑनलाइन प्रसंस्करण हेतु स्वयं का ऑनलाइन पोर्टल (www.awbi.gov.in) विकसित किया है।

11.5 बोर्ड ने पशुओं के अनावश्यक दर्द और पीड़ा को रोकने के लिए रिपोर्ट अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित परामर्शी जारी की है:

- जीव जंतु कल्याण संबंधी जांच अधिकारी कानून प्रवर्तन हैंडबुक
- क्रूर/आक्रामक कुत्तों और कुत्तों के काटने के मामलों की शिकायतों से मानवीय तरीके से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 29.11.2022।
- कुत्तों की सामूहिक हत्या और आवारा कुत्तों का खतरा दिनांक 10.10.2022।
- विश्व रेबीज दिवस दिनांक 05.09.2022।
- पर्वतीय/पहाड़ी इलाकों में घोड़ों को भारवाही पशुओं के रूप में उपयोग करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 29.08.2022।
- कुत्तों पर थूथन के उपयोग और सामुदायिक कुत्तों की देखभाल के लिए दिशानिर्देश दिनांक 17.08.2022।
- देश में मनाए जा रहे प्रदूषण दसलसखान पर्व के शुभ अवसर पर बूचड़खानों को बंद करने का अनुरोध दिनांक 17.08.2022।
- गोपशु/बोवाइन में लंपी (त्वचा) रोग के संबंध में सामान्य जागरूकता दिनांक 05.08.2022।
- पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके से शवों का निपटान करने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में पशु शमशान और भस्मक (इंसिरेटर) बनाने का अनुरोध दिनांक 02.08.2022।
- पशु गृहों के लिए पशु चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में दिशा–निर्देश दिनांक 09.06.2022।
- बकरीद के अवसर पर गायों/बछड़ों एवं अन्य पशुओं की अवैध हत्या/बलि पर रोक तथा पशुओं की ढुलाई संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना दिनांक 07.06.2022।
- बूचड़खानों और मांस की दुकानों के लिए नियामक अनुपालन को लागू करने और प्रसारित करने का अनुरोध दिनांक 30.05.2022।
- सामुदायिक पशुओं को गोद लेने के लिए मानक प्रोटोकॉल को ठीक से लागू करने और प्रसारित करने का अनुरोध दिनांक 17.05.2022।
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2001 एडब्ल्यूबीआई एबीसी मॉड्यूल के अनुसार कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए संषोधित दर दिनांक 05.04.2022।

11.6 पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए)

11.6.1 पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 15 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक समिति है। सीसीएसईए में 19 सदस्य हैं और संयुक्त सचिव (जीव–जंतु कल्याण) सीसीएसईए के अध्यक्ष और संयुक्त आयुक्त (जीव–जंतु कल्याण) सीसीएसईए के सदस्य सचिव हैं। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का है जो 01.11.2024 तक मान्य है।

11.6.2 सीसीएसईए ऐसे सभी उपाय करने के लिए बाध्य है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं कि पशुओं पर प्रयोगों के प्रदर्शन से पहले, दौरान अथवा बाद में उन्हें अनावश्यक दर्द अथवा पीड़ा के अधीन नहीं किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए, समिति ने पशुओं पर प्रयोगों को विनियमित करने के लिए "पशुओं के अभिजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998" (2001 और 2006 में संशोधित) तैयार किए हैं। उपरोक्त नियमों के उपबंधों के अंतर्गत, जैव चिकित्सा अनुसंधान में लगे स्थापनाओं को स्वयं

सीपीसीएसईए के पास पंजीकृत होना आवश्यक है, संस्थागत पशु आचार (एथिक्स) समिति (आईएईसी) का गठन करना है, अपने पशु सदन सुविधाओं का निरीक्षण करना है और साथ ही पशुओं पर अनुसंधान करने से पहले सीसीएसईए द्वारा मंजूरी दिये गये अनुसंधान के लिए विशिष्ट परियोजनाएं प्राप्त करना है। इसके अलावा, इस प्रकार के प्रयोगों के लिए पशुओं के प्रजनन और व्यापार को भी इन नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। दिनांक 31.01.2023 तक, सीपीसीएसईए के पास 1556 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं।

उद्देश्यः

- पशुओं पर प्रयोगों को विनियमित करने के लिए अप्रयुक्त शैक्षणिक और जैव–चिकित्सा अनुसंधान संगठनों का पंजीकरण करते हुए उनको बनाये गये नियमों के दायरे में लाना।
- पशुओं पर प्रयोग करते समय प्रायोजित करके और सम्मेलनों का आयोजन करते हुए नैतिकता के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- सीपीसीएसईए के नामितों के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

कार्यः

- प्रयोगशाला पशुओं के जैव–चिकित्सा अनुसंधान, प्रजनन और व्यापार में शामिल प्रतिष्ठानों का पंजीकरण।
- सीपीसीएसईए के पास पंजीकृत प्रतिष्ठानों में संस्थागत पशु आचार समिति (आईएईसी) का गठन।
- छोटे और बड़े पशुओं के लिए पशु आवास सुविधाओं का अनुमोदन।
- बड़े पशुओं पर प्रयोग करने के लिए अनुमति।
- सीपीसीएसईए के नामितों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- पशु आचार पर कांफ्रेंस/कार्यशाला आयोजित करना/समर्थन करना।

11.6.3 उपलब्धियां (01.04.2022 से 31.01.2023 तक):

i. आईएईसी का पंजीकरण और गठनः 54

ii. पंजीकरण में संशोधनः 42

iii. आईएईसी का नवीनीकरण और पुनर्गठनः 315

iv. आईएईसी का संशोधनः 210

v. सीपीसीएसईए की बैठकें: 11

vi. बड़े पशुओं के अनुमोदित अनुसंधान प्रोटोकॉलः 431

vii. सीपीसीएसईए के नामितों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

क्र. सं.	स्थान/प्रशिक्षण का माध्यम	तिथि	भागीदार
1.	जे.एस.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटाकामंड, तमिलनाडु	29 और 30 जून, 2022	54
2.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	1 और 2 सितंबर, 2022	82
3.	पशु संसाधन प्रबंधन अकादमी (एएआरएम), नादिया, पश्चिम बंगाल	17 और 18 नवंबर, 2022	23
4.	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (गीतम), डीम्ड यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	19 और 20 जनवरी, 2023	48

11.7 राष्ट्रीय जीव–जंतु कल्याण संस्थान

11.7.1 राष्ट्रीय जीव–जंतु कल्याण संस्थान (एनआईएडब्लू) भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है जो बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में 8 एकड़ भूमि पर एक विशाल परिसर में स्थित है।

11.7.2 संस्थान के अधिदेश में अनुसंधान, प्रयोग में लगे व्यक्तियों, संगठनों और औद्योगिक घरानों को पशु कल्याण संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम प्रदान करना शामिल है। इसका उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना है।

11.7.3. वित्तीय वर्श 2021–22 के दौरान अब तक किये गये कार्यकलाप

मंत्रालय के दिनांक 17 जून, 2021 के पत्र संख्या अ–11011(11)/6/2019–एएनएलएम–डीएडीएफ के द्वारा भविष्य में एनआईएडब्लू के संचालन के लिए इसका समग्र प्रबंधन भारतीय जीव–जंतु कल्याण बोर्ड को सौंप दिया गया है।

***

अध्याय–12

क्रेडिट, विस्तार और प्रचार

क्रेडिट, विस्तार और प्रचार

12.1 एकल मंच पर विभाग के प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों के केंद्रित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग ने एक ''क्रेडिट, विस्तार और प्रचार'' प्रभाग सृजित किया है।

12.2 आजादी का अमृत महोत्सव

12.2.1 आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है, जो प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों के जश्न और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, विभाग ने कोविड–19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र संबंधी हितधारकों के साथ कई वेबिनार और कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

12.2.2 ''किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान'' जागरूकता सप्ताह (25 अप्रैल से 28 अप्रैल 2022)

आजादी के अमृत महोत्सव और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के भाग के रूप में, विभाग ने 25 अप्रैल से 28 अप्रैल 2022 तक कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से देश भर में 8000 ग्राम–स्तरीय शिविरों का आयोजन करके उद्यमिता योजनाओं और विभाग के अन्य लाभार्थी उन्मुख प्रमुख कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित किया।

12.2.3 1 जून, 2022 को उन्नत पशुधन सशक्त किसान सम्मेलन

आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, विभाग ने 1 जून, 2022 को उन्नत पशुधन सशक्त किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर डेयरी, पोल्ट्री और अन्य पशुपालकों, नवोन्मेषी उद्यमियों, स्टार्ट–अप और उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया। सम्मेलन में लगभग 1200 किसानों ने वास्तविक रूप से भाग लिया और देश भर के कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से 50,000 किसानों ने आभासी (Virtual) रूप से इस

कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान निम्नलि. खित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(i) 75 देसी पशुधन नस्लों की डिजिटल प्रदर्शनी।
(ii) पशुधन क्षेत्र में 75 सफल उद्यमियों की डिजिटल प्रदर्शनी।
(iii) 75 पशुधन नस्लों और 75 उद्यमियों पर दो डिजिटल कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन।
(iv) स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट (ए–हेल्प) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।
(v) पशुपालन क्षेत्र के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन।
(vi) पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चौलेंज 2.0 के विजेताओं की घोषणा।
(vi) (1) उत्पादकता बढ़ाना और पशु स्वास्थ्य में सुधार, 2) मूल्य संवर्धन और बाजार लिंकेज और 3) नवाचार और प्रौद्योगिकी पर तीन तकनीकी विषयगत सत्र।

12.2.4 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) –2022 के लिए काउंटडाउन कार्यक्रम

पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ (जीसीएमएमएफ) के सहयोग से 17 जून, 2022 को प्रतिष्ठित सोमनाथ, गुजरात में आईडीवाई–2022 योगोत्सव के काउंटडाउन का आयोजन किया। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने ''योगोत्सव'' में भाग लिया और अंतर्राट्रीय योग दिवस 2022 संबंधी काउंटडाउन समारोह को संबोधित किया। योगोत्सव का मुख्य विषय सही जीवन और पौष्टिक भोजन के साथ योग था। केंद्रीय मंत्री ने अरब सागर में सूर्यास्त की पृष्ठभूमि में सोमनाथ मंदिर परिसर में जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ और राजकोट के हजार से अधिक डेयरी किसानों के साथ योग सत्र में भाग लिया। देश भर की विभिन्न सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के 7 लाख से अधिक डेयरी किसानों ने योगोत्सव में आभासी (Virtually) रूप से जुड़ कर योगाभ्यास किया।

डॉ. संजीव कुमार बालियान, माननीय राज्य मंत्री, एफएएचडी ने ''योगोत्सव'' में भाग लिया और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 संबंधी काउंटडाउन समारोह को संबोधित किया।

डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री, एफएएचडी ने ''योगोत्सव'' में भाग लिया और कन्याकुमारी में अंतराष्ट्रीय योग दिवस 2022 संबंधी काउंटडाउन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में, योगाभ्यास में 500 से अधिक दुग्ध कृषकों, विद्यार्थियों एवं मत्स्यपालकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम विवेकानंद केंद्र में विवेकानंद चट्टान की पृष्ठभूमि और तीन समुद्रों के संगम पर आयोजित किया गया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है।

भारत सरकार ने 21 जून, 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाया। चूंकि 8वां आईडीवाई आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ रहा था, इसलिए माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने 75वें वर्ष में 'गार्जियन रिंग' अवधारणा के साथ विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों द्वारा दुनिया भर में 75 स्थानों के अलावा देश भर में प्रतिष्ठित स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से 21 जून, 2022 को प्रतिष्ठित स्थान मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात में आईडीवाई–2022 मनाया। केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने पांच हजार से अधिक डेयरी किसानों के साथ–साथ स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, छात्रों आदि के साथ सामान्य योग प्रोटोकॉल (CYP) में भाग लिया। मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के सदस्य डेयरी किसानों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

डॉ. संजीव कुमार बालियान, माननीय राज्य मंत्री, एफएएचडी ने उत्तराखंड के रुद्रपयाग में केदारनाथ धाम में आईडीवाई 2022 समारोह में भाग लिया। डॉ. बालियान ने लोगों से अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने का आग्रह किया।

डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री, एफएएचडी और सूचना एवं प्रसारण ने गांधी थिडल, पुडुचेरी में आईडीवाई 2022 समारोह में भाग लिया। डॉ. मुरुगन ने दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने में योग के महत्व पर प्रकाश डाला।

12.2.5 एएचआईडीएफ परियोजनाओं का शुभारंभ और एएचआईडीएफ के तहत उद्यमियों का अभिनंदन

आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह के भाग के रूप में, विभाग ने 14 जुलाई 2022 को भीम हॉल, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में एएचआईडीएफ सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के तहत, श्री परशोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) परियोजनाओं का शुभारंभ किया और 75 उद्यमियों को सम्मानित किया।

12.2.6 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' और 'राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022'

पशुपालन और डेयरी विभाग ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में दिनांक 26 नवंबर, 2022 को बेंगलुरु में 'भारत में श्वेत क्रांति के जनक' डॉ वर्गीज कुरियन, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, की 101 वीं जयंती मनाते हुये 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' मनाया। इस आयोजन के दौरान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए गए।

समारोह के दौरान, मुख्य अतिथि डॉ. संजीव कुमार बालियान, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, भारत सरकार ने देसी गोपशु/भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और देश में सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति (डीसीएस) / दुग्ध उत्पादक कंपनी / डेयरी किसान उत्पादक संगठन के विजेताओं को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए।

आयोजन के दौरान, डॉ संजीव कुमार बालियान, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने कर्नाटक के हेस्सरघट्टा में आभासी (virtually) रूप से केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान में उन्नत प्रशिक्षण सुविधा की आधारशिला रखी। उन्होंने केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हेस्सरघट्टा, बंगलुरु में बोवाइन आईवीएफ – (इनविट्रो–फर्टिलाइजेशन) कार्यकलापों का भी शुभारंभ किया।

समारोह के दौरान, डॉ. वर्गीज कुरियन के जीवन पर एक पुस्तक और दूध में मिलावट पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के विभिन्न दुग्ध संघों के 1500 से अधिक किसानों ने भाग लिया। सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से आयोजित 1000 ग्राम स्तरीय शिविरों के माध्यम से 50000 किसान भी इस आयोजन में शामिल हुए। इस आयोजन में पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों और विभिन्न डेयरी सहकारी समितियों के डेयरी किसानों ने भी आभासी (virtually) रूप से भाग लिया।

12.2.7 ग्रेटर नोएडा, यूपी में विश्व डेयरी सम्मेलन आईडीएफ का आयोजन

विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन (आईडीएफ डब्ल्यूडीएस), 2022 में भाग लिया, जो 12 सितंबर, 2022 को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ विश्व डेयरी सम्मेलन (आईडीएफ डब्ल्यूडीएस)–2022" कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिनांक 12 से 15 सितंबर, 2022 तक चार दिवसीय आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 'पोशण और आजीविका के लिए डेयरी' विषय पर केंद्रित एक सम्मेलन था जिसमें शीर्श उद्यमियों, विशेषज्ञों, किसानों और नीति नियोजकों सहित वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों ने भाग लिया। विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का पूर्ण विवरण हितधारकों और उद्यमियों के बीच परिचालित किया गया। आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2022 में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस तरह का आखिरी शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था।

12.2.8 बेंगलुरु में विश्व रेबीज दिवस समारोह

विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2022 को केवीसी सभागार, हेब्बल, बेंगलुरु में मनाया गया। यह संयुक्त रूप से डीएएचडी, एएचवीएस कर्नाटक, केवीएएफएसयू और केवीसी द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का विषय वन हेल्थ एंड जीरो डेथ्स (One health and zero deaths) था।

12.2.9 तिरुवनंतपुरम में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने केरल में पशुपालकों के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में तिरुवनंतपुरम में 05.01.2023 को 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया।

12.3 प्रचार और जागरूकता निर्माण

देश भर में ग्रामीण स्तर के शिविरों में कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से पुनः संरेखित उद्यमिता योजनाओं/अवसंरचना विकास और विभाग की अन्य फ्लैगशिप योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही, विभाग ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो (बीओसी) और उनकी एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न आईईसी सामग्री तैयार की है। इन ब्रोशरों, लघु फिल्मों आदि को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, माननीय संसद सदस्यों को परिचालित किया गया है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इन्हें प्रसारित किया जाता है।

12.4 स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट (ए–हेल्प) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

ए–हेल्प के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 23 जुलाई, 2022 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसके बाद सचिव डीएएचडी और सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की सह–अध्यक्षता में पायलट आधार पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और झारखंड राज्य में ए–हेल्प के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (जेएनएलएससी) की बैठक हुई।

कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों के लिए व्यापक समर्थन और प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियों पर ए–हेल्प का लोगो और बुकलेट का भी शुभारंभ किया गया।

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला और जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल ने 11 अक्टूबर, 2022 को जम्मू – कश्मीर में ''ए–हेल्प'' कार्यक्रम और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया। ए–हेल्प संयुक्त कार्यान्वयन दिशानिर्देशों सहित प्रकाशन और

जूनोटिक रोग (स्वस्थ पशु, स्वस्थ लोग) पर पुस्तिका जारी की गई।

12.5.1 पशुपालन किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी): पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान पशुपालन और डेयरी किसानों को केसीसी का लाभ दिया है। आत्मनिर्भर पैकेज के भाग के रूप में, विभाग ने दिनांक 01.06.2020 से 31.12.2020 तक दूध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस कदम से भूमिहीन पशुपालन किसानों को कम ब्याज पर ऋण सुनिश्चित हुआ।

इसके अलावा, सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ मिलकर 15 नवंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक 'राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान' शुरू किया। इस अभियान को आगे 31.07.2022 तक और फिर 15.03.2023 तक बढ़ाया गया। इस अभियान के दौरान, प्राप्त हुए आवेदनों की मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) द्वारा जांच के लिए समन्वित केसीसी समन्वय समिति द्वारा हर सप्ताह जिला स्तरीय केसीसी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत 30.12.2022 तक कुल 21,51,563 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 20,78,140 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए और देश में 10,67,779 केसीसी संस्वीकृत किए गए।

दिनांक 30.12.2022 तक, देश में एएचडी किसानों के लिए 25.30 लाख नए केसीसी संस्वीकृत किए गए। विवरण नीचे दिए गए हैं।

क्र. सं.	प्रकार	संस्वीकृत नए केसीसी अखिल भारत
1	डेयरी के साथ फसल ऋण	4,86,144
2.	अन्य सहायक कार्यकलापों के साथ फसल ऋण	1,03,043
3.	डेयरी	17,00,370
4.	कुक्कुट	42,827
5.	अन्य	1,97,796
	कुल	**25,30,180**

स्रोतः वित्तीय सेवाएं विभाग

12.6.2 ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीएलसी): विभाग के सतत प्रयासों से, पहली बार वर्ष 2022–23 के दौरान सावधि ऋण लक्ष्य के साथ पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसके परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में बैंकों द्वारा केसीसी की संस्वीकृति दर में वृद्धि होगी। कृषि के लिए जमीनी स्तर का लक्ष्य वर्ष 2021–22 में 16.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 18.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

पशुपालन और मत्स्यपालन क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, लक्ष्य को पिछले वर्ष के 61,650 करोड़ रुपये (2021–22) के लक्ष्य की तुलना में दोगुना यानी 1,26,000 करोड़ रुपये कर

दिया गया। वर्ष 2022–23 के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन संबंधी– ब्रेकअप निम्नानुसार दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	कार्यकलाप	कार्यषील पूंजी	सावधि ऋण	कुल
1	डेयरी	21,546	50,274	71,820
2	कुक्कुट	5,670	13,230	18,900
3	भेड़, बकरी, सूअर और पशुपालन–अन्य	4,158	9,702	13,860
4	मत्स्यपालन	6,426	14,994	21,420
कुल		**37,800**	**88,200**	**1,26,000**

***

अध्याय–13

विभागीय लेखा संगठन

विभागीय लेखा संगठन

13.1 अवलोकन

पशुपालन और डेयरी विभाग में मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में सचिव, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते है।

13.1.1 जीएफआर 2017 के नियम 70 के अनुसार, विभाग के सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में:–

(i) मंत्रालय/विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और जवाब देह होंगे;

(ii) सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय/विभाग को विनियोजित सार्वजनिक निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए वे दी गयी थीं;

(iii) प्रदर्शन मानकों का पालन करते हुए उस मंत्रालय या विभाग के निर्दिष्ट परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय/विभाग के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, मितव्ययी और पारदर्शी उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे;

(iv) लोक लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे;

(v) यह निर्धारित करने के लिए क्याा निर्दिश्टक उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं, विभाग को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करेंगे;

(vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों या निर्देशों द्वारा अपेक्षित मंत्रालय/विभाग से संबंधित व्यय और अन्य विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे;

(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय/विभाग, वित्तीय लेनदेन का पूर्ण और उचित रिकॉर्ड रखता है और उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपनाता है जो हर समय आंतरिक नियंत्रण को वहन करती हैं;

(viii) सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय/विभाग कार्यों के निष्पादन के साथ–साथ सेवाओं और आपूर्ति की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करता है, और इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी तरीके से लागू करता है;

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उचित कदम उठाएंगे कि मंत्रालय/विभाग:–

(a) सरकार को देय सभी धनराशि एकत्र करता है और

(b) अनधिकृत, अनियमित और फिजूलखर्ची से बचता है।

13.1.2 सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.3 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: –

(क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, केवल उन्हें छोड़कर जहां आहरण और संवितरण अधिकारी कुछ प्रकार के भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना; अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोग लेखों को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा परीक्षा कराना और उन्हें मुख्य

लेखा प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करा कर सीजीए को प्रस्तुत करना।

(ग) विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा तैयार किये गए भुगतान एवं लेखा अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेन–देन से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

13.1.3 मुख्य लेखा नियंत्रक, पशुपालन और डेयरी विभाग, दो लेखा नियंत्रक और एक सहायक लेखा नियंत्रक, मुख्यालय के तीन प्रधान लेखा अधिकारियों और 10 वेतन और लेखा कार्यालयों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। पांच वेतन और लेखा कार्यालय दिल्ली/एनसीआर में स्थित हैं, तथा एक–एक चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, मुंबई और नागपुर में है। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान संबंधित पीएओ से जुड़े पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। डीडीओ अपने दावे/बिल नामित पीएओ/सीडीडीओ को प्रस्तुत करते हैं, जो समय–समय पर सरकार द्वारा जारी सिविल लेखा नियमावली, रसीद और भुगतान नियमों और अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवष्यक जांच करने के बाद चेक जारी करते हैं ई–भुगतान हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग का लेखा संगठन चार्ट **अनुबंध–XIV** में दिया गया है।

13.1.4 सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, मुख्यालय में प्रधान लेखा कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

(क) सीजीए द्वारा निर्धारित तरीके से मंत्रालय/विभाग के लेखों का समेकन;

(ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदान मांगों के वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, केंद्रीय लेनदेन का विवरण और संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए सामग्री को महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदान का भुगतान और जहां भी इस कार्यालय का आहरण खाता है, वहां से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान;

(घ) प्रबंधन लेखा प्रणाली, यदि कोई हो तो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और वेतन तथा लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए, सीजीए कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखने और लेखा मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण के लिए मैनुअल तैयार करना;

(ड़) मंत्रालय/विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों के तहत व्यय की प्रगति को देखने के लिए समग्र रूप से मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा परीक्षा रजिस्टर को तैयार करना;

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय संबंधी कार्य भी करता है तथा विभाग के साथ–साथ स्थानीय वेतन और लेखा कार्यालयों और आउट स्टेशन वेतन और लेखा कार्यालयों को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा सलाह प्रदान करता है।

13.1.5 सिविल लेखा मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित भुगतान करते हैं और कुछ मामलों में भुगतान, निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा किया जाएगा, जो मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतानों का रखरखाव करने वाले मान्यता प्राप्त बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से आहरित चेकों के माध्यम से किया जाएगा। इन भुगतानों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा

कार्यालयों को प्रदान किए जाने वाले अलग–अलग स्क्रॉल में शामिल किया जाएगा। चेक/ई–भुगतान द्वारा भुगतान करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय या आहरण और संवितरण अधिकारी, केवल मान्यता प्राप्त बैंक की उस विशेष शाखा/शाखाओं पर आहरण करेंगे, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय या आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, का खाता रखा गया हो। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों को भी वेतन एवं लेखा कार्यालय की बहियों में अंतिम रूप से शामिल किया जाए। वेतन और लेखा कार्यालय, विभागीय लेखा संगठन की मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य में शामिल हैं:–

(क) गैर–चेक आहरण करने वाले डीडीओ द्वारा जमा किए गए सभी बिलों की पूर्व–जांच और भुगतान, जिसमें ऋण और सहायता अनुदान वाले बिल भी शामिल हैं।

(ख) निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सटीक और समय पर भुगतान।

(ग) प्राप्तियों की समय पर वसूली।

(घ) चेक आहरण करने वाले डीडीओ को त्रैमासिक साख पत्र जारी करना और बाद में उनके वाउचर/बिलों की जांच।

(ड़) उनके द्वारा की गई प्राप्तियों और व्यय के मासिक खातों का संकलन, चेक आहरण करने वाले डीडीओ के खातों के साथ शामिल करना।

(च) 'मर्ज' किए गए डीडीओ के अलावा अन्य जीपीएफ खातों का रखरखाव तथा सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।

(छ) सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।

(ज) ई–भुगतान के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।

(झ) निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन।

(ञ) समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग।

13.1.6 पशुपालन और डेयरी विभाग के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं: –

(क) मंत्रालय के मासिक लेखों का समेकन और इसे सीजीए को प्रस्तुत करना।

(ख) वार्षिक विनियोग लेखा।

(ग) केंद्रीय लेनदेन का विवरण।

(घ) ''अकाउंट एट ए ग्लांस'' तैयार करना।

(ड़) केंद्रीय वित्त लेखे जो सीजीए, वित्त मंत्रालय और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

(च) अनुदानग्राही संस्थाओं/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।

(छ) यदि आवश्यक हो तो अन्य संगठनों जैसे डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और सीजीए आदि के परामर्श से सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना।

(ज) प्राप्ति बजट तैयार करना।

(झ) पेंशन बजट तैयार करना।

(ञ) पीएओ/चेक आहरण करने वाले डीडीओ के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और आपूर्ति करना।

(ट) लेखा महानियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और मान्यता प्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावित करना।

(ठ) मान्यता प्राप्त बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन और मिलान करना।

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।

(ढ) शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।

(ण) पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।

(त) मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों और उसके अनुदान प्राप्त संस्थानों, स्वायत्त निकायों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।

(थ) सभी संबंधित प्राधिकारियों/प्रभागों को लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना।

(द) पशुपालन एवं डेयरी विभाग का बजट समन्वय कार्य ।

(ध) नई पेंशन योजना की निगरानी और समय–समय पर पेंशन मामलों में संशोधन।

(न) खातों का कम्प्यूटरीकरण और ई–भुगतान।

(प) लेखा संगठन का प्रशासनिक और समन्वय कार्य।

(फ) कार्यान्वयन एजेंसियों/अनुदान संस्थाओं/स्वायत्त निकायों में अन्य केंद्रीय व्यय और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत पीएफएमएस लागू करना।

(ब) पशुपालन और डेयरी विभाग में गैर–कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी)।

13.1.7 प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण को सुकर बनाने के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकारी को लेखांकन जानकारी और डेटा भी प्रदान किया जाता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अनुदान के विभिन्न उप–शीर्षों/वस्तु–शीर्षों के अंतर्गत मासिक एवं प्रगामी व्यय के आंकड़े वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभाग के बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से अनुदान को नियंत्रित करने वाले विभाग के सचिव और अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के साथ–साथ प्रभाग प्रमुखों को बजट प्रावधानों के मुकाबले होने वाले व्यय की प्रगति भी साप्ताहिक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

13.1.8 लेखा संगठन, मंत्रालय के कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम और जीपीएफ खातों जैसे दीर्घकालिक अग्रिमों के खातों का रखरखाव भी करता है।

13.1.9 वेतन और लेखा कार्यालय, कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत सेवा विवरण और पेंशन कागजातों के आधार पर अधिकारियों और स्टॉफ के सदस्यों की पेंशन संबंधी पात्रता को सत्यापित और प्राधिकृत करते हैं। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे ग्रेच्युटी, छुट्टी वेतन के बराबर नकद और साथ ही केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत भुगतान; सामान्य भविष्य निधि आदि वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा, डीडीओ से प्रासंगिक सूचना/बिल प्राप्त होने पर जारी किए जाते हैं।

13.2 आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, विभाग के विभिन्न कार्यालयों के खातों की लेखापरीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षण एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श कार्यकलाप है जिसे मूल्यवर्धन और संगठन के संचालन में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इसका उद्देश्य मूल रूप से जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और उसमें सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण को शामिल करके संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है। यह वस्तुनिष्ठ आश्वासन और सलाह प्रदान करने के लिए भी एक प्रभावी उपकरण है जो महत्व को बढ़ाता है, ऐसे परिवर्तन को प्रभावित करता है जो शासन में सुधार करता है, जोखिम प्रबंधन में सहायता करता है, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और परिणामों के लिए जवाबदेही में

सुधार करता है। यह प्रक्रियात्मक गलतियों/कमियों को सुधारने के लिए बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करता है और इस प्रकार, प्रबंधन के लिए सहायता के रूप में कार्य करता है। किसी इकाई की लेखापरीक्षा की आवधिकता उसकी प्रकृति, कार्य की मात्रा और निधियों की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है।

(ख) मुख्य लेखा प्राधिकारी और वित्तीय सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन में काम कर रहे आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने एक कुशल और प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके से शासन संरचनाओं को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

(ग) लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 15.05.17 के कार्यालय ज्ञापन सं. जी.25014/33/2015–16/एमएफ.सीजीए/आईएडी/306–53 और सीजीए कार्यालय द्वारा जारी सामान्य आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल (संस्करण 1.0) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, इस विभाग में सचिव (डीएएचडी) की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समि. ति का गठन किया गया है और आंतरिक लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों को दिनांक 15.09.2020 के सीसीए कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या कृषि/आईएडब्ल्यू/लेखापरीक्षा समिति/डीएएचडी/2020–21/229–250 में परिभाषित किया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, लेखापरीक्षा का ध्यान, वेतन निर्धारण में हुई त्रुटियों, अधिक और कम भुगतान का पता लगाने पर था।

दिनांक 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग में लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति नीचे दी गई है:–

विभाग	दिनांक 31.03.2022 तक लंबित पैरा	दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2022 तक उठाए गए पैरा	दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2022 तक छोड़े गए पैरा	दिनांक 30.06.2022 तक कुल लंबित पैरा
एएचडी	301	30	25	306
कुल	**301**	**30**	**25**	**306**

विभाग	दिनांक 30.06.2022 तक लंबित पैरा	दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक उठाए गए पैरा	दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक छोड़े गए पैरा	दिनांक 30.09.2022 तक कुल लंबित पैरा
एएचडी	306	52	14	344
कुल	**306**	**52**	**14**	**344**

13.3 बैंकिंग व्यवस्था

भारतीय स्टेट बैंक पशुपालन और डेयरी विभाग में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित ई–भुगतान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किये जाते हैं। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक को भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की नामित शाखा को उपलब्ध कराया जाता है। रसीदें, गैर–कर–रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों को भी प्रेषित की जाती हैं। मान्यता प्राप्त बैंक में होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग,

वित्त मंत्रालय के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में 10 (दस) वेतन और लेखा कार्यालय हैं। पांच पीएओ दिल्ली/एनसीआर में, तथा एक–एक चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, मुंबई और नागपुर में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से जुड़े सभी भुगतान संबंधित पीएओ से जुड़े पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी नामित पीएओ/सीडीडीओ को अपने दावे/बिल प्रस्तुत करते हैं, जो सिविल लेखा मैनुअल, प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली तथा समय–समय पर सरकार द्वारा जारी अन्य आर्दशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद ई–भुगतान जारी करते हैं।

13.4 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरू में वर्ष 2008–09 में पूर्व के योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक एक योजना स्कीम के रूप में चार प्रमुख योजनाओं नामतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), एनआरएचएम, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और पीएमजीएसवाई के लिए चार राज्यों, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में प्रायोगिक रूप में शुरू हुई थी। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद केंद्र, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) को राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को पूर्व के योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना की पहलों में शामिल किया गया था। वर्तमान में पीएफएमएस, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की योजना है और पूरे देश में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

13.4.1 सामान्य वित्तीय नियम–2017 के नियम 86 के अनुसारः

(1) लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली,सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को, मंजूरी तैयार करने, बिल प्रसंस्करण, भुगतान, रसीद प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, निधि प्रवाह प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।

(2) सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाले सभी मंत्रालय निधि प्रवाह और अव्ययित शेष राशि को ट्रैक करने के लिए पीएफएमएस पर कार्यान्वयन के अंतिम स्तर तक सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को पंजीकृत करेंगे।

(3) जहां तक संभव हो, सभी भुगतान, मंत्रालयों द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से 'जस्ट–इन–टाइम' जारी किए जाएंगे।

(4) अनुदान की विस्तृत मांग (डीडीजी), यथा अनुमोदित, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पीएफएमएस पर अपलोड की जानी चाहिए।

(5) सभी पुनर्विनियोजन आदेश, अभ्यर्पण आदेश पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से सृजित किए जाएंगे।

(6) सभी अनुदानग्राही संस्थान पीएफएमएस पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करेंगे।

वर्तमान में, पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी दस (10) वेतन और लेखा कार्यालय, जिनमें से पांच (5) पीएओ दिल्ली/एनसीआर में स्थित हैं, तथा एक–एक चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, मुंबई और नागपुर में स्थित है, पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं और ई–भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।

I. **पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूलः** यह मॉड्यूल पशुपालन और डेयरी विभाग के सभी आहरण और संवितरण कार्यालयों में क्रियान्वित किया गया है।

II. **पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूलः** पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सभी चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में पीएफएमएस का सीडीडीओ मॉड्यूल शुरू कर दिया गया है।

III. **विभाग में गैर–कर राजस्व संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोश):**

क. गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य भारत सरकार (जीओआई) को देय गैर–कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों/व्यवसायियों/अन्य उपयोगकर्ताओं को वन–स्टॉप विंडो प्रदान करना है।

ख. भारत सरकार के गैर–कर राजस्व में अलग – अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्रित बहुत सारी प्राप्तियां शामिल हैं। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां लाभांश, ब्याज प्राप्तियों, आरटीआई आवेदन शुल्क और नागरिकों/कॉर्पोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐसे कई अन्य भुगतानों से आती हैं।

ग. पूरी तरह से सुरक्षित आईटी वातावरण में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक जाने और फिर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उसे जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की परेशानी से बचाने में मदद करता है। यह इन लिखतों को सरकारी खाते में प्रेशित करने में होने वाले परिहार्य विलंब से बचने में भी मदद करता है और उसके साथ–साथ बैंक खातों में इन लिखतों के विलंब से जमा करने की अवांछनीय प्रथाओं को भी समाप्त करता है।

घ. एनटीआरपी, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसी ऑनलाइन भुगतान तकनीकों का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

ड़. एनटीआर पोर्टल, नए बनाए गए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग में वित्त वर्ष 2019–20 में अपनी स्थापना के समय से कार्य कर रहा है।

च. वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 30.09.2022 तक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के गैर कर राजस्व का संग्रह **180.93 करोड़** रुपये है, और इसमें से **39.79 करोड़** रुपये एनटीआर ई–पोर्टल पर भारत कोष के माध्यम से एकत्र किए गए हैं।

13.5 (क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रियाः

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए और फ्लोट को कम करने के लिए, व्यय विभाग ने सीएसएस के तहत निधियां जारी करने की प्रक्रिया में संषोधन किया है और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी।

एसएनए मॉडल के लिए प्रक्रिया प्रवाह संबंधी संक्षिप्त सारः

- प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए एक अनुसूचित वाणिज्यिक

बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा।

- योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद और आईए के शून्य शेष सहायक खाता खोलने या उन्हें एसएनए के खाते से अधिकार प्राप्त करने के लिए सौंपने से पहले, आईए अपने खातों में पड़ी सभी अव्ययित राशि को सभी स्तरों पर एसएनए के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगे।
- एसएनए यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के संदर्भ में यथानुपात आधार पर संबंधित समेकित निधि में अनिवार्य रूप से विप्रेशित किया जाना चाहिए।
- एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध निधियां वर्ष 2022–23 के लिए एक राज्य को सीएसएस के तहत जारी की जाने वाली राशि (राज्य के हिस्से सहित) के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एसएनए और आईए अनिवार्य रूप से पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करेंगे या पीएफएमएस के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक आईए द्वारा पीएफएमएस पर जानकारी हर दिन कम से कम एक बार अपडेट की जाती है।
- सीएसएस के मामले में जहां राज्य का कोई हिस्सा नहीं है और जहां योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सीधे जिलों/ ब्लॉकों/ ग्राम पंचायतों / कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं, राज्य स्तर पर एकल नोडल एजेंसी को अधिसूचित करने और एकल नोडल खाते को खोलने की आवश्यकता को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा वित्तीय सलाहकार के परामर्ष से माफ किया जा सकता है।

13.5 (ख) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रिया:

पिछले सभी जारी आदेशों के अधिक्रमण में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियां जारी करने के संबंध में केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) नामित करके केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों के प्रवाह के लिए दिशानिर्देशों/प्रक्रिया का उल्लेख करते हुये दिनांक 09 मार्च 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं. 1(18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 जारी किया है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी प्रक्रिया को दो मॉडलों में विभाजित किया गया है:–

- **ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल I के माध्यम से कार्यान्वयन**– यह मॉडल 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में लागू होगा और राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना कार्यान्वित किया गया। ऐसी योजनाओं को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से लागू करना अनिवार्य होगा।
- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मॉडल II के माध्यम से कार्यान्वयन**– यह मॉडल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के निम्न मामले में लागू होगा (क) 500 करोड़ रुपये से कम वार्षिक परिव्यय या (ख) योजनाएं राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से या केंद्रीय एजेंसियों के अतिरिक्त लागू की जा रही हों अथवा (ग) मॉडल –1 में कवर नहीं की गईं अन्य योजनाएं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रक्रिया प्रवाह संबंधी संक्षिप्त सार:

- मॉडल–I या मॉडल–II के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की पहचान।
- केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में एबी/सीपीएसई/कार्यान्वयन एजेंसियों की अधिसूचना।
- मॉडल–I के तहत प्रत्येक योजना के लिए आरबीआई (ई–कुबेर) के साथ असाइनमेंट खाता खोलना।
- मॉडल–II के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में प्रत्येक योजना के लिए खाता खोलना।
- सीएनए और एसए के मौजूदा बैंक खातों को सूचीबद्ध करना और बंद करना।
- खाते में शेष राशि को मॉडल–I के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआई) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और सभी उप एजेंसियों (एसए) द्वारा योजना की अव्ययित राशि मॉडल–II के तहत सीएनए खाते में लौटा दी जाती है।
- निधियों से अर्जित ब्याज को मॉडल–II के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआई) में विप्रेशित किया जाता है।
- पीएफएमएस के आरईएटी मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से उपयोग या पीएफएमएस के साथ उनके सिस्टम का एकीकरण।

13.6 लेखा संगठन में नई प्रगति

I. पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देश:

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक का कार्यालय ने दिनांक 30.09.2022 के का.ज्ञा. संख्या 1–17016/1/2022–आईटीडी–सीजीए/10985/229 के द्वारा पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देश जारी किए हैं:

क. एक्सेस प्रबंधन:

i. पीएफएमएस के पीएओ और डीडीओ मॉड्यूल पर काम करने वाले नए उपयोगकर्ता पंजीकरण **(New User Registration)** अधिकारियों के लिए, केवल एनआईसी/जीओवी डोमेन वाली ईमेल आईडी की अनुमति होगी। विभिन्न फील्ड कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कई कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक ही ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही पीएओ कोड के भीतर अधिकतम चार उपयोगकर्ता आईडी और अन्य (एक्रॉस) पीएओ कोड के लिए अतिरिक्त तीन उपयोगकर्ता आईडी के लिए किया जा सकता है।

ii. सिस्टम में उपयोगकर्ता के निर्माण के लिए दो स्तरों के अनुमोदन की प्रणाली और अनुमोदनकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ताओं के निर्माण पर ई–मेल/एसएमएस अलर्ट बनाया गया है।

iii. पीएफएमएस में 45 दिनों से अधिक तक निष्क्रिय उपयोगकर्ता आईडी को अक्षम **(disabled)** के रूप में चिन्हित करना लागू किया जा रहा है।

iv. किसी भी समूह क और समूह ख के अधिकारी को कार्यभार मुक्त करते समय, जो पीएफएमएस में एक उपयोगकर्ता है अर्थात सीसीए स्तर का उपयोगकर्ता, पीएओ प्रकार का उपयोगकर्ता, उनके डिजिटल हस्ताक्षर और उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए।

v. उपयोगकर्ता द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जा रहे सिस्टम के अलावा सिस्टम में

उपयोगकर्ता लॉगिन के मामले में परिवर्तन के लिए उपयोगकर्ता को सचेत करने की सूचना दी जाती है।

ख. पीएफएमएस में पासवर्ड नीतिः

i. पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए।

ii. पासवर्ड में अनिवार्य रूप से विशेष अक्षरों के साथ ही अल्फा न्यूमेरिक वर्ण दोनों शामिल होने चाहिए।

iii. पासवर्ड की उपयोगकर्ता नाम या उपयोगकर्ता नाम के भाग के साथ समानता नहीं होनी चाहिए।

ग. भुगतान की प्रक्रियाः

i. प्रधान लेखा अधिकारी की I कुंजी/डीएससी को अनिवार्य रूप से सीसीए स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा जबकि पीएओ की I कुंजी/डीएससी को प्रधान लेखा अधिकारी स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा और पीएओ स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा सीडीडीओ के उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। पीएफएमएस में हर सत्र के लिए I कुंजी/डीएससी डालने की टाइमआउट प्रक्रिया तय की गई है।

ii. पीएओ को सख्ती से सलाह दी जाए कि वे अपने कार्यालय के बाहर स्थापित कंप्यूटरों पर पीएओ/डीडीओ मॉड्यूल का उपयोग न करें और भुगतान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग न करें।

iii. भुगतान करने के लिए निर्धारित सभी दिशा–निर्देषों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोगकर्ता के लिए स्पष्ट निर्देशों द्वारा निर्धारित किए जाने तक सभी स्तरों पर भौतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

iv. भुगतान करने के लिए प्राधिकृत सभी भुगतान एवं लेखा अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करने से पहले बैच की प्रत्येक भुगतान फाइल को संबंधित वास्तविक बिल/ई–बिल के साथ अनिवार्य रूप से सत्यापित करेंगे।

घ. नेटवर्क सुरक्षा

i. हमेशा वास्तविक सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए नवीनतम अपडेट/पैच इंस्टॉल करें।

ii. फायरवॉल सक्षम करें, कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता विशेषधिकार सीमित करें, फाइल संलग्नक खोलने से पहले ईमेल प्रेषक आईडी और वेब लिंक जांचें और सत्यापित करें।

iii. मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, सोशल इंजीनियरिंग के हमलों से बचाव करें।

iv. केवल आधिकारिक आपूर्ति किए गए यूएसबी स्टोरेज मीडिया का ही उपयोग करें।

v. उपयोगकर्ताओं को समय–समय पर साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

vi. पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से बचें।

vii. इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग संवेदनशील आधिकारिक दस्तावेजों/पत्राचारों के प्रारूपण/भंडारण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

II. ई–बिल रोलआउटः माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस के अवसर पर, केंद्रीय बजट 2022–23 में घोशित, इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई–बिल)

प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया। यह व्यापक पारदर्षिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और डिजिटल इंडिया इको–सिस्टम' का भाग है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देकर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस–पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ाएगा, जिसका वास्तविक समय (Real Time) के आधार पर पता लगाया जा सकेगा।

लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 16.09.2021 के का.ज्ञा. सं.–एमएफ–I–17008/4/2020–सीजीए/153 के द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वयन के लिए विकास के तहत बिल प्रसंस्करण के एंड टू एंड डिजिटलीकरण के लिए एक मॉड्यूल (ई–बिल) को शुरू करना प्रारम्भ किया है। नई प्रणाली को एचओडी प्राधिकृत उपयोगकर्ता से पीएओ उपयोगकर्ताओं तक के बिलों/दावों के डिजिटल रूप के प्रसंस्करण के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा, लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 01.02.2022 के का.ज्ञा. सं. टीए–2–1 7002/(01)/17/2020–टीए–II/(ई–4426)/39 के द्वारा ई–बिल रोलआउट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी परिचालित की है। साथ ही, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधीन पीएओ को इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत पीएओ को ई–बिल रोलआउट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्य से तीसरे चरण में शामिल किया गया है। वर्तमान में, पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत पीएओ ने चरण–V तक ई–बिल रोलआउट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया है।

***

अनुबंध

अनुबंध–I

20वीं पशुधन संगणना–2019 के दौरान राज्यवार पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरी	सुअर	घोड़ा+ टट्टू	खच्चर	गधे	ऊंट	याक	मिथुन	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36438	3700	5	64761	40488	0	0	2	0	0	0	145394	1289160
2	आंध्र प्रदेश	4600087	6219499	17626971	5522133	91958	1884	240	4678	166	0	0	34067616	107863152
3	अरुणाचल प्रदेश	339221	6379	7345	159740	271463	3051	0	0	0	24075	350154	1161428	1599575
4	असम	10909239	421715	332100	4315173	2099000	12783	724	900	567	0	0	18092201	46712341
5	बिहार	15397980	7719794	213377	12821216	343434	32176	1491	11264	88	0	0	36540820	16525349
6	चंडीगढ़	13440	12177	0	998	138	237	0	0	0	0	0	26990	48883
7	छत्तीसगढ	9983954	1174722	180229	4005657	526901	675	21	142	1	0	0	15872302	18711824
8	दादर और नगर हवेली	39736	997	84	7548	0	39	0	0	0	0	0	48404	89671
9	दमन और दीव	1840	374	68	987	0	15	0	0	0	0	0	3284	18264
10	दिल्ली	86433	162142	932	30470	76346	2694	136	1087	157	0	0	360397	43831
11	गोवा	60247	27207	8	9446	35480	15	1	0	2	0	0	132406	349543
12	गुजरात	9633637	10543250	1787263	4867744	658	21811	5	11286	27620	0	0	26893274	21773392
13	हरियाणा	1928682	4368023	288370	334640	108240	9683	2499	800	5154	0	0	7046091	46294965
14	हिमाचल प्रदेश	1828017	646565	791345	1108413	2477	8851	20415	4797	26	1940	0	4412846	1341951
15	जम्मू और कश्मीर	2539240	690829	3247503	1730218	1215	63335	16722	9563	466	26221	12	8325324	7366308
16	झारखंड	11223052	1350313	641183	9121173	1276973	1378	73	400	0	0	0	23614545	24832906
17	कर्नाटक	8469004	2984560	11050728	6169392	323836	7018	51	8790	33	0	0	29013412	59494481
18	केरल	1341996	101504	1482	1359161	103863	560	0	65	26	0	0	2908657	29771905
19	लक्षद्वीप	2493	16	0	43188	0	0	0	0	0	0	0	45697	226025
20	मध्य प्रदेश	18750828	10307131	324585	11064524	164616	13260	2543	8135	1753	0	0	40637375	16659898

21	महाराष्ट्र	13992304	5603692	2680329	10604883	161000	18892	681	17572	465	0	0	33079818	74297765
22	मणिपुर	224472	36230	5921	38697	235255	1083	0	2	0	0	9059	550719	5897637
23	मेघालय	903570	15714	15679	397503	706364	273	0	0	0	0	0	2039103	5379532
24	मिजोरम	45701	2109	485	14820	292465	159	8	0	0	0	3957	359704	2047810
25	नागालैंड	78296	15654	361	31602	404695	70	0	2	0	0	23123	553803	2838944
26	ओड़ीसा	9903970	458324	1279149	6393452	135162	143	18	83	8	0	0	18170309	27439257
27	पुदुचेरी	71984	2395	2445	73630	880	29	0	4	1	0	0	151368	235999
28	पंजाब	2531460	4015947	85560	347949	52961	14243	1644	471	120	0	0	7050355	17649984
29	राजस्थान	13937630	13693316	7903857	20840203	154808	33679	1339	23374	212739	0	0	56800945	14622975
30	सिक्किम	148010	1144	2016	90506	27320	115	0	2	0	5219	0	274332	580864
31	तमिलनाडु	9518660	518795	4500491	9888746	66772	5417	305	1428	7	0	0	24500621	120781100
32	तेलंगाना	4232539	4226306	19063058	4934673	177992	3878	91	2031	71	0	0	32640639	79999404
33	त्रिपुरा	739031	7131	5460	360204	206035	17	2	10	2	0	0	1317892	4168246
34	उत्तर प्रदेश	19019641	33016785	984725	14480025	408678	75718	8933	16016	2424	0	0	68012945	12515704
35	उत्तराखंड	1852123	866318	284615	1371971	17659	7452	26293	589	15	54	0	4427089	5018684
36	पश्चिम बंगाल	19077916	630921	952886	16279340	540356	1593	26	94	45	61	0	37483238	77322602
	कुल	**193462871**	**109851678**	**74260615**	**148884786**	**9055488**	**342226**	**84261**	**123587**	**251956**	**57570**	**386305**	**536761343**	**851809931**

*दिल्ली के मामले में 19वीं पशुधन संगणना –2012 के आंकड़े

स्रोतः 20वीं पशुधन गणना, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन – अखिल भारतीय

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (मिलियन नंबर)	ऊन (मिलियन किग्रा.)	मांस (मिलियन टन)
1950-51	17.0	1,832	27.5	-
1955-56	19.0	1,908	27.5	-
1960-61	20.0	2,881	28.7	-
1968-69	21.2	5,300	29.8	-
1973-74	23.2	7,755	30.1	-
1979-80	30.4	9,523	30.9	-
1980-81	31.6	10,060	32	-
1981-82	34.3	10,876	33.1	-
1982-83	35.8	11,454	34.5	-
1983-84	38.8	12,792	36.1	-
1984-85	41.5	14,252	38	-
1985-86	44.0	16,128	39.1	-
1986-87	46.1	17,310	40.0	-
1987-88	46.7	17,795	40.1	-
1988-89	48.4	18,980	40.8	-
1989-90	51.4	20,204	41.7	-
1990-91	53.9	21,101	41.2	-
1991-92	55.7	21,983	41.6	-
1992-93	58.0	22,929	38.8	-
1993-94	60.6	24,167	39.9	-
1994-95	63.8	25,975	40.6	-
1995-96	66.2	27,187	42.4	-
1996-97	69.1	27,496	44.4	-
1997-98	72.1	28,689	45.6	-
1998-99	75.4	29,476	46.9	1859.43
1999-2000	78.3	30,447	47.9	1910.77
2000-01	80.6	36,632	48.4	1851.43
2001-02	84.4	38,729	49.5	1921.83
2002-03	86.2	39,823	50.5	2113.21
2003-04	88.1	40,403	48.5	2080.00
2004-05	92.5	45,201	44.6	2211.00
2005-06	97.1	46,235	44.9	2312.00
2006-07	102.6	50,663	45.1	2302.00
2007-08	107.9	53,583	43.9	4009.00
2008-09	112.2	55,562	42.8	4279.61
2009-10	116.4	60,267	43.1	4565.57
2010-11	121.8	63,024	43.0	4868.97
2011-12	127.9	66,450	44.7	5514.25
2012-13	132.4	69,731	46.1	5948.17
2013-14	137.7	74,752	47.9	6235.48
2014-15	146.3	78,484	48.1	6691.08

2015-16	155.5	82,929	43.6	7019.96
2016-17	165.4	88,139	43.5	7385.61
2017-18	176.3	95,217	41.5	7655.63
2018-19	187.7	1,03,804	40.4	8114.45
2019-20	198.4	1,14,383	36.8	8599.40
2020-21	210.0	1,22,050	36.9	8797.91
2021-22	221.1	1,29,600	33.0	9292.13

"-" प्राप्त नहीं हुआ/उपलब्ध नहीं है

स्रोतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग

वर्ष 2021–22 और 2022–23 (06.01.2023 तक) के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय

(करोड़ रु में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2021–22			2022–23		
		बीई	आरई	व्यय	बीई	आरई	व्यय (31.12.2023)
1	2	3	4	5	6	7	8
	गैर योजनाएं						
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	52.00	52.00	46.80	57.33	55.00	38.08
2	जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड	8.49	8.49	8.49	11.73	10.00	6.30
3	जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य के लिए समिति (सीपीसीएसईए)	1.51	1.51	1.08	1.51	1.51	1.51
4	पशु स्वास्थ्य संस्थान	22.50	22.50	19.65	27.73	25.00	18.72
5	छोटे पशुधन संस्थान	46.00	45.80	42.98	44.09	39.66	27.87
6	नस्ल सुधार संस्थान	41.44	41.44	36.46	66.69	59.00	28.60
7	दिल्ली दुग्ध योजना	498.00	340.00	299.80	370.00	335.80	275.70
8	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद				0.00	9.98	0.00
	कुल गैर योजनाएं	669.94	511.74	455.26	579.08	535.95	396.78
	योजनाएं						
9	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	255.00	403.00	402.91	340.01	220.00	71.14
10	सहकारिता के माध्यम से डेयरी (ईएपी)	0.01	0.01	0.00			
11	पशुधन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	70.00	40.00	39.81	40.00	30.00	9.87
12	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	1470.00	886.00	910.73	2000.00	1390.02	199.51
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	350.00	288.00	283.97	410.00	350.00	93.97
14	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	502.04	663.00	662.84	604.75	600.00	201.05
15	अवसंरचना विकास निधि*	283.00	262.00	253.14	315.00	315.00	200.88
	कुल –योजनाएं	2930.05	2542.01	2553.40	3709.76	2905.02	776.42
	सकल योग	**3599.99**	**3053.75**	**3008.66**	**4288.84**	**3440.97**	**1173.20**

नोटः *डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि, सहायक डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी गतिविधियों में लगे किसान उत्पादक संगठनों और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को संयुक्त रूप से 2021–22 से अवसंरचना विकास निधि के रूप में जाना जाता है।

**खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस और पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को विलय कर दिया गया है जिसे 2021–22 से पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता है।

संगठनात्मक चार्ट

मत्यत्पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग)

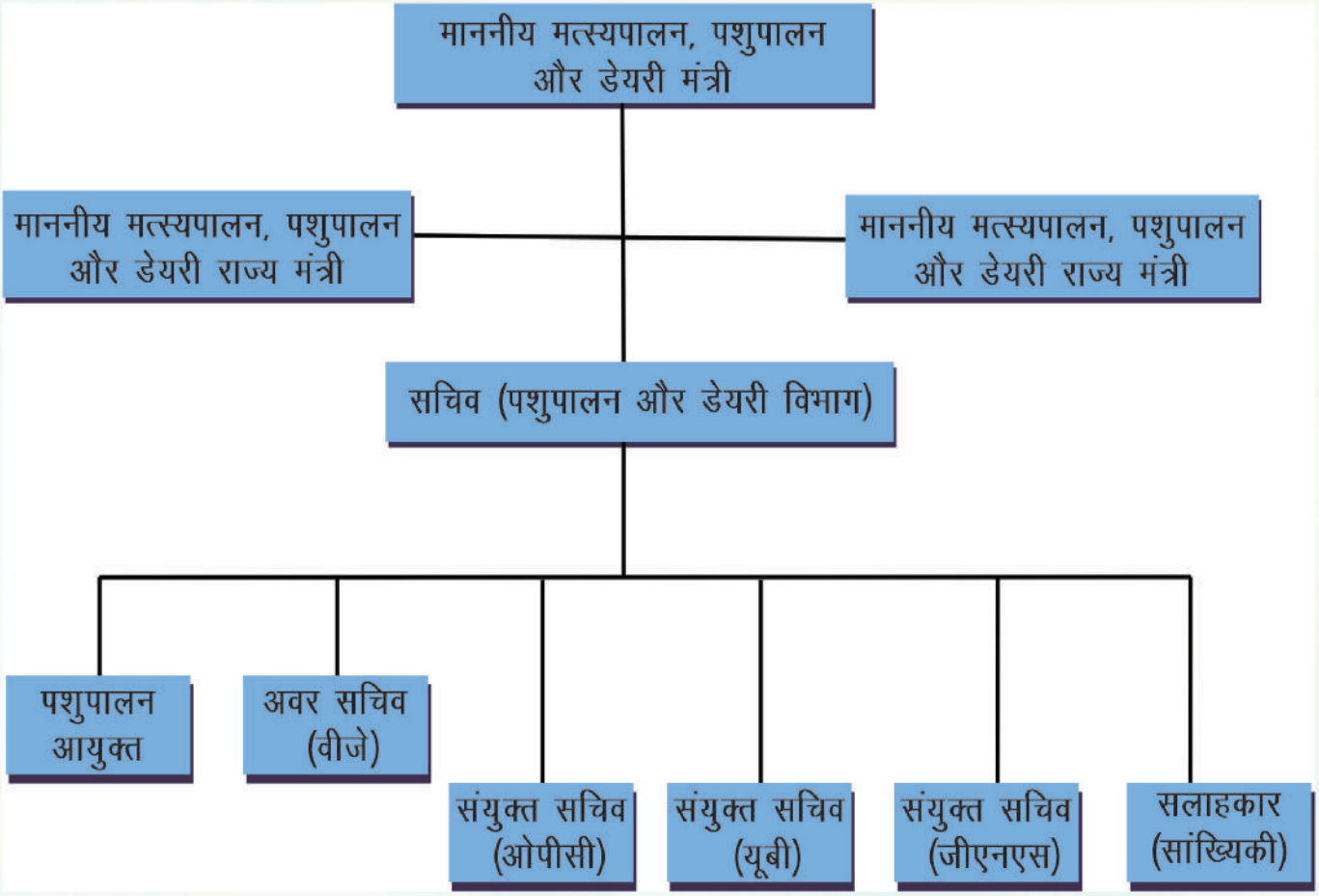

कार्य आबंटन

पशुपालन आयुक्त

पशु स्वास्थ्य और उत्पादन, पशु आनुवंशिक संसाधन, पशु जर्मप्लाज्मल/जैव विविधता, पशु देखभाल और कल्याण, जैव–सुरक्षा और संगरोध मुद्दों से संबंधित सभी तकनीकी मामले, उत्पादन, प्रजनन, पशु स्वास्थ्य और पशु फार्मों के लिए जैव–सुरक्षा हेतु पशुपालन और डेयरी मैन्युअल तैयार करना, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद से संबंधित तकनीकी मामले, व्यापार और स्वच्छता फाईटोसेनिटरी मुद्दे से संबंधित तकनीकी मामले, पशुधन और डेयरी विकास कार्य योजनाएं और राष्ट्रीय पशुधन नीति को तैयार करने से संबंधित तकनीकी मामले, पशुधन उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार मानकों की स्थापना करने से संबंधित तकनीकी मामले, पशुधन उत्पाादों, मीट एवं डेयरी उत्पादों में औषधि और पेस्टीसाइड अवशिष्टों की मॉनिटरिंग से संबंधित तकनीकी मामले, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ समन्व्य से संबंधित तकनीकी मामले और केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ कोई अन्य तकनीकी मुद्दा।

एवियन इन्फ्लुएंजा और उसके प्रचार अभियान से संबंधित सभी मामले, सूचीबद्ध रोग (छमाही और वार्षिक) के बारे में रिपोर्टिं सहित ओआईई से संबंधित सभी मामले, पशुरोग अधिसूचना और पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत टीकों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए समन्वय से संबंधित सभी मामले, जिसमें इसके लिए पशुओं की समय पर उपलब्धता भी शामिल है, आरडीडीएल/सीडीडीएल से संबंधित सभी मामले, वन हेल्थ मामले (विश्व बैंक परियोजना सहित), एएमआर और अवशेष निगरानी, ईसीएएच और विनियामक मामले, बीएमजीएफ परियोजना से संबंधित सभी मामले और इसका प्रभावी कार्यान्वयन, एलएच डिवीजन से संबंधित बाजार पहुंच मामलों सहित व्यापार के जोखिम प्रबंधन मामलों से संबंधित सभी मामले, विदेशी, उभरते और फिर से उभरते रोगों ग्लैंडर्स, रिंडरपेस्ट, एएसएफ, एलएसडी आदि से संबंधित सभी मामले – समय–समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अपर सचिव (वीजे)

राष्ट्रीय डेयरी योजनाएं, डेयरी विकास योजनाएं, राष्ट्रीय बोवाईन और डेयरी विकास परियोजना, प्रशासन (गोपशु और डेयरी विकास) (केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हैसरघट्टा और केंद्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना)। दिल्ली दुग्ध योजना और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के मामले में किसान क्रेडिट कार्ड सहित क्रेडिट संबंधी सभी मामले, गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) के साथ समन्वय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज्य मंत्रालय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और एफएसएसएआई।

संयुक्तय सचिव (ओपीसी)

कुक्कुट विकास, भेड़, और बकरी विकास, सुअर विकास मीट वाले पशुओं का विकास, ग्रामीण

बूचड़खाना योजना, परीक्षण सहित आहार और चारा पशुधन बीमा योजनाएं, पशुपालन विस्तार योजनाएं प्रशासन (एनएलएम) (चारा उत्पादन और प्रदर्शन फार्म के 8 क्षेत्रीय केंद्र, 4 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, केंद्रीय कुक्कुट उत्पाद परीक्षण केंद्र, गुरूग्राम, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार से संबंधित कार्य)। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और विभाग के योजना समन्व्य से संबंधित सभी मामले, हिमाचल प्रदेश, उत्तंराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य, प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वनय, नीति आयोग के साथ समन्वय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, एमएनआरई, इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय के साथ समन्वय, जीव जंतु कल्याण बोर्ड से संबंधित सभी मामले।

संयुक्त सचिव (यूबी)

केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रायोजित 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण' के प्रशासन सहित पशुधन स्वास्थ्य संबंधी सभी मामले योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, रिंडरपेस्ट निगरानी और मॉनीटरिंग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना, पशु रोग अधिसूचना और पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट, ओआईई, एवियन इन्फ्लुएंजा और प्रचार अभियान सहित पशुधन स्वास्थ्य से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, संबंधित सभी मामले "एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम" योजना से संबंधित सभी मामले आपदा प्रबंधन, सीसीएस–एनआईएएच, बागपत से संबंधित सभी मामले,संसद, आरटीआई लोक शिकायत, वीआईपी संदर्भ, वेबसाईट, डेशबोर्ड, मंत्रिमंडल, एलएच से संबंधित ई–समीक्षा मामले पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, राज्यों के साथ समन्वमय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फार्मास्यूडटिकल मंत्रालय के साथ समन्वय।

संयुक्त सचिव (जीएनएस)

मुख्यालय में तैनात अधिकारियों तथा स्टॉफ के स्थापना मामलों से संबंधित कार्य, रोकड़ और सामान्य प्रशासन–II एसीसी रिक्ति मॉनिटरिंग सिस्टम, कोर्ट के मामलों की ऑन–लाइन मॉनिटरिंग, स्वच्छ भारत अभियान, ई–समीक्षा, आरटीआई, लोक शिकायत, डीएएचडी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के संबंध में, मुख्य संपर्क अधिकारी, आईटी और सामान्य समन्वय से संबंधित सभी मामले, राजभाषा और संसद से संबंधित सभी मामले, आंतरिक सहयोग तथा व्यापार, एक्यू सीएस के सभी मामले असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, डीओएनईआर, वाणिज्य विभाग और एपेडा, डीओपीटी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), के साथ समन्वमय डब्ल्यूटीओ और एफएओ के साथ सेनेटरी और फाइटो–सेनेटरी (एसपीएस) संबंधी मामले के लिए राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट जन संचार, मीडिया आउटरीच और निवेश संवर्धन सेल से संबंधित सभी मामले। आईईसी क्रियाकलाप और देश भर में सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों से प्रचार संबंधी क्रियाकलाप, मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रोबिटी पोर्टल।

सलाहकार (सांख्यिकी)

पशुधन संगणना, नस्ल संगणना, एएचएस प्रभाग से संबंद्ध मूल्य पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित कार्यक्रम।

पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित विषयों की सूची

भाग–I

निम्नलिखित विषय कि जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अंतर्गत आते हैं:

1. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध पशुधन और पक्षी–दाना तथा डेयरी और मुर्गीपालन उत्पादों के विकास से है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कृत्य, मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों।
2. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन तथा इसके अवसंरचना विकास, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सबंद्ध क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास।
3. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों का कल्याण।
4. पशुधन और मुर्गीपालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग।
5. पशुधन संगणना।
6. पशुधन सांख्यिकी।
7. प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुधन को हुए नुकसान संबंधी मामले।
8. पशुधन आयात का विनियमन, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण।
9. गौशाला और गौसदन।
10. कांजीगृह और पशु अतिचार से संबंधित मामले।
11. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
12. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59)

भाग–II

निम्नलिखित विषय जो कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):

13. पशु चिकित्सा व्यवसाय वृत्ति।
14. पशुओं और पक्षियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों या उनको प्रभावित करने वाले कीटों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।
15. देशी प्रजातियों में परिवर्तन लाना पशुधन की देशी प्रजातियों के लिए केंद्रीय पशु यूथ पंजी बनाना एवं उनको संभालना।
16. राज्य अभिकरणों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेयरी विकास योजना के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप।

भाग III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक कि वे इन राज्य क्षेत्रों के बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

17. पशु नस्ल का परिरक्षण, सरंक्षण और उन्नति तथा पशु और पक्षी रोगों का निवारण, पशु–चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय।
18. प्रतिपाल्य अधिकरण।
19. पशुधन और पक्षियों का बीमा।

भाग–IV

20. पशु उपयोग और वध से संबंधित मामले।
21. चारा विकास।

पशुपालन और डेयरी विभाग के संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

1. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला सूरत गुजरात
2. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अंदेश नगर, जिला लखीमपुर, (उत्तर प्रदेश)
3. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सिमिलिगुड़ा, सुनाबेड़ा (कोरापुट), ओडिशा
4. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)
5. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा, बसंतपुर, जिला संबलपुर, (ओडिशा)
6. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अलमादि, अलमढ़ी (चेन्नई)
7. केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हैसरघट्टा, बेंगलुरु उत्तर
8. केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान,हैसरघट्टा, बेंगलुरु उत्तर
9. केंद्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, रोहतक (हरियाणा)
10. केंद्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, अजमेर
11. केंद्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना, अहमदाबाद
12. केंद्रीय पशुयूथ पंजीयन योजना संथापेट, ओंगोल, जिला प्रशाशन (आंध्र प्रदेश)
13. क्षेत्रीय चारा स्टेशन कल्याणी, जिला नादिया, (पश्चिम बंगाल)
14. क्षेत्रीय चारा स्टेशन कल्याणी, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
15. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, सूरतगढ़ (राजस्थान)
16. क्षेत्रीय चारा स्टेशन हिसार (हरियाणा)
17. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, धामरोड (गुजरात)
18. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, अवधी, अलमादि, चेन्नई (तमिलनाडु)
19. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, हैदराबाद
20. क्षेत्रीय चारा स्टेशन, हेसरघट्टा, उत्तरी बेंगलुरु
21. चौधरी चरण सिहं राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (उत्तर प्रदेश)
22. पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा स्टेशन, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली
23. पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा स्टेशन, पल्लीकरनी गांव, चेन्नई
24. पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा स्टेशन, गोपालपुर, जिला 24 परगना (पश्चिम बंगाल)
25. पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा स्टेशन, मुंबई
26. पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा स्टेशन, हैदराबाद
27. पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा स्टेशन, बेंगलुरु
28. केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)
29. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, दक्षिणी क्षेत्र, हेसरघट्टा, बेंगलुरु
30. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर (ओडिशा)

31. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कॉलोनी, मुंबई
32. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़
33. केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र, गुड़गांव (हरियाणा)
34. दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली

'राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम' के तहत वित्तीय प्रगति (31.12.2022) तक

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	सेंट्रल शेयर	कुल जारी निधि	निधियों का उपयोग किया गया	अव्ययित
1	आंध्र प्रदेश	4	23504.51	16224.88	2883.97	2211.74	671.79
2	अरुणाचल प्रदेश	2	1191.33	1126.40	883.50	372.31	511.19
3	असम	2	3435.90	3265.49	455.09	82.72	0.00
4	बिहार	17	26322.54	21019.23	20407.09	15653.48	3859.13
5	छत्तीसगढ	3	2338.99	2096.11	1114.36	857.78	256.58
6	गोवा	2	1689.97	1393.45	873.81	137.23	736.57
7	गुजरात	6	32776.94	20126.80	20129.80	8126.16	10947.46
8	हरियाणा	4	2523.99	2132.74	1932.08	1315.99	616.09
9	हिमाचल प्रदेश	5	4642.77	4266.67	3809.32	3181.73	605.67
10	जम्मू और कश्मीर	4	15111.51	13980.77	11549.70	4981.00	6568.70
11	झारखंड	2	2093.97	1765.97	924.30	762.30	97.86
12	कर्नाटक	10	26770.84	19022.55	12432.86	6983.34	5449.51
13	केरल	12	17063.74	12597.00	11501.22	9613.43	1831.58
14	मध्य प्रदेश	11	6361.30	5473.98	5420.86	4760.82	660.04
15	महाराष्ट्र	3	4946.98	4507.17	3192.29	1372.28	1820.01
16	मणिपुर	3	3029.04	2784.90	2340.90	1435.04	905.86
17	मेघालय	6	6393.68	5780.48	3749.73	2906.45	843.28
18	मिजोरम	3	1100.64	1031.13	1031.13	1028.40	2.73
19	नागालैंड	4	1306.44	1214.61	1019.90	819.90	200.00
20	ओडिशा	7	6259.66	5533.40	4677.85	3404.18	1235.25
21	पुदुचेरी	3	341.75	325.15	322.12	274.08	39.47
22	पंजाब	8	19371.02	13171.41	10441.81	9084.05	1357.75
23	राजस्थान	23	23003.64	17651.87	15101.49	13098.48	1870.40
24	सिक्किम	6	4430.60	4086.51	3053.47	2956.20	97.27
25	तमिलनाडु	8	23679.78	16787.63	11970.91	10116.57	1854.34
26	तेलंगाना	5	3836.74	3197.56	2688.59	2575.60	92.99
27	त्रिपुरा	3	2292.10	2025.87	1421.73	499.19	922.54
28	उत्तर प्रदेश	6	7985.03	6648.73	4459.18	751.91	0.00
29	उत्तराखंड	3	4160.33	3371.88	3347.56	3169.26	178.30
30	पश्चिम बंगाल	3	403.47	393.47	363.16	356.37	0.00
	कुल योग	**178**	**278369.19**	**213003.80**	**163499.74**	**112887.97**	**44232.37**

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत वास्तविक प्रगति (31.12.2022) तक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य) क्षेत्र	डेयरी संयंत्र क्षमता (टीएलपीडी)		औसत दैनिक दूध खरीद (टीकेजीपीडी) (000)		कार्यात्मक डीसीएस (सं.)		किसान सदस्य (सं.)	
		परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	1049.6	14.7	9317	355	322686	21620
2	अरुणाचल प्रदेश	15.0	0.0	8.5	0.0	79	0	2165	0
3	असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
4	बिहार	201.0	0.0	790.5	227.6	3594	4314	221330	222693
5	छत्तीसगढ	0.0	0.0	16.1	19.7	207	129	5229	4460
6	गोवा	90.0	0.0	70.5	0.0	70	0	9970	0
7	गुजरात	100.0	400.0	2652.2	818.4	1087	434	2972585	74247
8	हरियाणा	0.0	0.0	56.5	0.0	297	0	13060	0
9	हिमाचल प्रदेश	120.0	50.0	81.9	44.3	352	177	12227	1372
10	जम्मू और कश्मीर	226.5	95.0	272.0	127.0	1941	690	96500	39500
11	झारखंड	0.0	0.0	31.0	24.0	260	260	7000	2746
12	कर्नाटक	0.0	0.0	2644.3	1049.5	5344	1690	689604	698386
13	केरल	1255.0	955.0	997.5	470.1	490	207	126175	46450
14	मध्य प्रदेश	15.0	15.0	190.7	-62.4	711	318	74781	25889
15	महाराष्ट्र	0.0	0.0	293.6	0.0	123	369	35942	35362
16	मणिपुर	10.0	0.0	31.5	4.3	150	50	5325	1043
17	मेघालय	70.0	40.0	61.0	2.3	103	25	1940	770
18	मिजोरम	0.0	0.0	10.5	0.8	15	3	408	60
19	नागालैंड	7.0	0.0	11.1	0.0	69	0	8725	2800
20	ओडिशा	30.0	90.0	171.3	60.7	1071	398	58114	26434
21	पांडिचेरी	0.0	0.0	9.0	0.0	3	0	237	0
22	पंजाब	60.0	60.0	369.6	0.0	724	294	45461	13811
23	राजस्थान	440.0	390.0	1176.7	235.7	2450	1297	113098	47667
24	सिक्किम	55.0	45.0	61.7	55.7	175	257	9030	6496
25	तमिलनाडु	100.0	100.0	1495.2	317.2	2172	360	60733	100
26	तेलंगाना	0.0	0.0	153.1	162.4	407	150	42865	8000
27	त्रिपुरा	16.0	0.0	14.5	0.00	55	0	4800	260
28	उत्तर प्रदेश	0.0	0.0	29.8	15.1	355	288	15840	11520
29	उत्तराखंड	55.0	50.0	167.9	16.0	1126	102	46320	13131
30	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	5.4	3.7	95	70	5170	3532
	कुल योग	**2865.5**	**2290.0**	**12922.9**	**3586.16**	**32842**	**12222**	**5007320**	**1308349**

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत वास्तविक प्रगति (31.12.2022) तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	औसत दैनिक दुग्ध विपणन (टीएलपीडी)		बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी)				एफटीआईआर टेक्नोलॉजी आधारित मिल्क एनालाइजर/ फूड स्कैन/पाउडर एनालाइजर	
		परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	परियोजना लक्ष्य		उपलब्धि		परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि
				सं	क्षमता (केएल)	सं.	क्षमता (केएल)		
1	आंध्र प्रदेश	576.65	114.00	150	750.00	0	0.00	6	6
2	अरुणाचल प्रदेश	8.50	0.00	13	9.50	0	0.00	0	0
3	असम	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1
4	बिहार	400.03	160.24	72	199.00	51	116.00	10	10
5	छत्तीसगढ	6.86	0.74	29	58.00	29	58.00	1	1
6	गोवा	49.00	0.00	57	43.50	0	0.00	1	1
7	गुजरात	1142.99	385.00	1205	3937.50	914	2772.00	5	5
8	हरियाणा	34.71	0.00	50	39.00	59	48.00	5	5
9	हिमाचल प्रदेश	87.83	49.82	28	61.00	0	0.00	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	135.00	145.00	71	292.00	19	77.00	3	1
11	झारखंड	11.00	2.99	48	108.00	13	26.00	1	0
12	कर्नाटक	1274.03	357.03	531	1530.00	265	784.00	31	15
13	केरल	494.06	552.12	110	412.50	55	177.50	11	11
14	मध्य प्रदेश	72.56	0.00	201	181.00	201	181.00	5	5
15	महाराष्ट्र	214.39	0.00	91	178.00	39	58.00	23	0
16	मणिपुर	24.74	3.76	115	23.00	38	8.40	0	0
17	मेघालय	59.75	1.07	153	76.50	35	15.92	1	1
18	मिजोरम	10.42	0.84	23	11.50	9	4.50	0	0
19	नागालैंड	13.86	0.00	31	16.00	18	11.10	0	0
20	ओडिशा	140.56	65.84	43	119.00	22	62.00	9	9
21	पुदुचेरी	19.00	0.00	15	14.50	15	14.50	1	1
22	पंजाब	354.79	245.60	384	507.00	317	431.00	14	6
23	राजस्थान	451.50	117.89	796	895.50	479	503.00	15	14
24	सिक्किम	69.24	10.23	231	73.50	122	39.00	1	1
25	तमिलनाडु	666.13	0.00	485	1531.00	364	946.00	21	21
26	तेलंगाना	33.33	19.61	87	81.50	20	18.00	2	1
27	त्रिपुरा	27.66	0.00	13	15.50	3	6.00	0	0
28	उत्तर प्रदेश	16.30	2.08	0	0.00	0	0.00	1	0
29	उत्तराखंड	141.28	49.93	2	2.00	1	1.00	0	0
30	पश्चिम बंगाल	1.70	2.37	4	2.00	4	2.00	2	2
	कुल योग	**6537.87**	**2275.11**	**5038**	**11167.50**	**3092**	**6359.92**	**170**	**117**

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत वास्तविक प्रगति (31.12.2022) तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वचालित दूध संग्रह इकाई (एएमसीयू)		डाटा प्रोसेसर और दूध संग्रह इकाई (डीपीएमसीयू)		इलेक्ट्रॉनिक मिलावट परीक्षण इकाई	
		परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	9690	694	0	0	283	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0
3	असम	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	626	0	5516	5638	617	422
5	छत्तीसगढ	36	43	0	0	56	56
6	गोवा	57	0	70	0	19	0
7	गुजरात	2825	1076	0	0	3263	0
8	हरियाणा	120	0	344	513	1	1
9	हिमाचल प्रदेश	197	95	0	0	11	11
10	जम्मू और कश्मीर	1852	223	0	0	96	60
11	झारखंड	44	0	130	50	0	0
12	कर्नाटक	5598	1943	0	0	1382	265
13	केरल	1055	500	214	214	0	0
14	मध्य प्रदेश	817	817	9	9	149	149
15	महाराष्ट्र	561	561	7	7	75	0
16	मणिपुर	48	10	80	51	1	1
17	मेघालय	123	21	41	9	105	3
18	मिजोरम	71	46	0	0	3	3
19	नागालैंड	0	0	0	0	3	3
20	ओडिशा	849	672	150	0	151	4
21	पुदुचेरी	15	15	80	80	0	0
22	पंजाब	1389	1192	450	250	829	649
23	राजस्थान	2444	1675	0	0	2178	1970
24	सिक्किम	261	290	0	0	2	2
25	तमिलनाडु	2735	2094	1110	716	729	462
26	तेलंगाना	345	323	994	1395	3	0
27	त्रिपुरा	150	0	0	0	9	1
28	उत्तर प्रदेश	0	0	210	196	8	0
29	उत्तराखंड	0	0	1324	1277	0	0
30	पश्चिम बंगाल	100	100	0	0	3	1
	कुल योग	**32008**	**12390**	**10729**	**10405**	**9978**	**4066**

राज्यवार पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या (31.03.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशु चिकित्सा अस्पताल/पॉली क्लीनिक	पशु चिकित्सा औषधालय	पशु चिकित्सा सहायता केंद्र (स्टॉकमैन सेंटर/ मोबाइल डिस्पेंसरी)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	337	1577	1393	3307
2	अरुणाचल प्रदेश	15	180	305	500
3	असम	21	443	767	1231
4	बिहार	39	1098	1595	2732
5	छत्तीसगढ	349	841	434	1624
6	गोवा	5	25	50	80
7	गुजरात	34	702	1057	1793
8	हरियाणा	1047	1815	22	2884
9	हिमाचल प्रदेश	466	1762	1234	3462
10	जम्मू और कश्मीर	19	1256	225	1500
11	झारखंड	35	424	433	892
12	कर्नाटक	697	2135	1382	4214
13	केरल	278	869	20	1167
14	मध्य प्रदेश	1063	1583	65	2711
15	महाराष्ट्र	39	1908	2906	4853
16	मणिपुर	56	109	34	199
17	मेघालय	4	126	121	251
18	मिजोरम	11	67	69	147
19	नागालैंड	11	51	82	144
20	ओडिशा	541	3239	314	4094
21	पंजाब	1389	1489	20	2898
22	राजस्थान	2942	0	5909	8851
23	सिक्किम	22	62	50	134
24	तमिलनाडु	190	2741	3444	6375
25	तेलंगाना	107	909	1201	2217
26	त्रिपुरा	16	64	461	541
27	उत्तराखंड	330	10	779	1119
28	उत्तर प्रदेश	2208	267	2575	5050
29	पश्चिम बंगाल*	112	612	2606	3330
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*	10	12	17	39
31	चंडीगढ़	5	9	-	14
32	लद्दाख	4	9	132	145

33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	2	14	17
34	दिल्ली	49	29	-	78
35	लक्षद्वीप	0	9	0	9
36	पुदुचेरी*	-	17	74	91
	अखिल भारत	**12452**	**26451**	**29790**	**68693**

-उपलब्ध नहीं/प्राप्त नहीं

* पिछले वर्ष के डेटा का उपयोग किया गया

स्रोतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग

सभी एक्यूसीएस केंद्रों से ली गई पशुधन और पशुधन उत्पादों की आयात/निर्यात

सभी एक्यूसीएस केंद्रों के पशुधन और पशुधन उत्पादों की आयात/निर्यात रिपोर्ट			
क्रमांक	विवरण	निर्यात (संख्या में)	आयात (संख्या में)
1.	घोड़े	75	225
2.	पालतू बिल्ली	898	778
3.	पालतू कुत्ते	2048	1339
4.	तोते	7	4
5.	आर्टेमिया	8358	343226
6.	जीवित सजावटी मछली	1724285	2743899
7.	50 किलो से कम वजन	-	96
8.	घरेलू प्रजाति के पक्षी	3719927	34235
9.	खरगोश और हेयर	7	-
10.	अन्य (प्रयोगशाला जानवर)	-	52572
11.	अन्य (चिम्पांजी, गोरिल्ला, बबून, लेमूर, वालेबी, लकड़बग्घा, ड्रोसोफिला)	3	637
12.	अन्य (गिनी पिग)	-	36
13.	अन्य–सफेद पंखों वाला वुड डक	-	4
14.	अन्य (ब्रूड स्टॉक एसपीएफ एल. वन्नामेई और ब्रूडस्टॉक के पीपीएल)	-	443523
15.	जीपी चिक्स	19708	-
16.	शेल्स	46495	1735317
17.	रेनबो ट्राउट एग्स)	-	200000
18.	हैचिंग और टेबल अंडे	239323	-
19.	चिड़ियाघर के पशु	-	158
	विवरण	**निर्यात (किग्रा. में)**	**आयात (किग्रा. में)**
20.	हड्डी रहित (भैंस का मांस)	931958	418094
21.	कट्स और ऑफल, जमे हुए	-	106659
22.	अटलांटिक सैल्मन (सालमोसालार) और डेन्यूब सैल्मन (हुचोहुचो)	-	767341
23.	मछली का मांस	1979183	35795405
24.	मछली का मांस (सैल्मुन)	-	326
25.	मछली मिलेट	-	1601606
26.	जमा हुआ	-	3200
27.	झींगा	-	157749
28.	पॉलीकीट्स	-	42629
29.	फ्रीज ड्राइड ग्रीन शेल मसल पाउडर	-	420
30.	स्किम्ड मिल्क	615254	66329
31.	दूध का पाउडर	861000	300840
32.	अन्य (इंफैंट फॉर्मूला)	-	560955

33.	मट्ठा, सूखा, ब्लॉक और पाउडर	-	10298452
34.	अन्य	25500	1324192
35.	घी	296013	59103
36.	मक्खन	-	27325
37.	ताजा (कच्चा या बिना पका हुआ अनक्योर्ड) पनीर, मट्ठा पनीर और दही सहित	50	320922
38.	प्रोसेस्ड चीज कद्दूकस या पाउडर नहीं	15774	511788
39.	अन्य पनीर	227133	111788
40.	सूअर, हॉग या सूअर ब्रिसल्स और बाल	2701	39542
41.	कोरल	-	3803123
42.	अन्य	41146	-
43.	पित्त	-	630007
44.	सूअर, हॉग या सूअर ब्रिसल्स और बाल	2701	36950
45.	एसिड से उपचारित ओसीन और हड्डियाँ (अन्य)	194650	1353803
46.	हॉर्न उत्पाद	509420	-
47.	अन्य (सींग)	1800204	227734
48.	सूखा रेशम का कीड़ा प्यूपा	835793	-
49.	कटल फिश बोन	81487	-
50.	चंक्स	650	59385
51.	बोवाईन सीरम	-	119869
52.	बोवाइन (एल्ब्यूमिन, इमुग्लिबिन)	-	39692
53.	मछली का तेल	124118	874617
54.	लैनोलिन फैटी एसिड	-	6827
55.	हैम्स और उसके कट्स	-	234271
56.	कंधे और उसके कट	-	39774
57.	मिश्रण सहित अन्य	-	154108
58.	मसल्स पाउडर	-	60163
59.	मांस एक्सअट्रैक्ट	-	3451
60.	शीर्ष 1905 के बेकर्स वेयर की तैयारी के लिए मिश्रण और आटा	-	2100780
61.	अन्य (नूडल्स)	-	1791740
62.	सॉस (सूअर का मांस, चिकन)	-	66771
63.	अन्य (सॉस)	-	300926

64.	खाद्य सामग्री	5036	305948
65.	अन्य (नूडल्स)	-	652086
66.	अन्य (बटर चिकन)	17742	-
67.	अन्य (खाद्य अनुपूरक)	13938066	14957969
68.	होमोजिनाइज्ड मिश्रित खाद्य सामग्री (मिठाई)	56907	-
69.	प्रोटीन केंद्रित और टैक्समचर्ड प्रोटीन पदार्थ	-	4241797
70.	कुत्ते या बिल्ली का खाना, खुदरा बिक्री के लिए रखा गया	11562776	73566775
71.	कम्पाउंडिड पशु चारा	17213033	51348925
72.	कम्पाउंड पशु फीड के लिए कंसंट्रेट्स	5028014	5006408
73.	अन्य (मछली फीड या झींगे फीड)	5419779	4698259
74.	अन्य (पशु चारा, पेट च्यूज, भैंस मील, क्रिल मील)	13892634	63800054
75.	विटामिन डी3	56056	50218
76 .	अन्य	4994557	6484756
77.	अन्य (किट, एंटीबॉडी)	35	89916
78.	अन्य (नैदानिक किट)	4842	730184
79.	सूक्ष्म जीवों का कल्चर (खमीर को छोड़कर)	-	219912
80.	चिकित्सीय, रोगनिरोधी या नैदानिक उपयोगों (एफबीएस) के लिए तैयार किया गया पशु रक्त	400	248882
81.	अन्य (फार्मास्युटिकल उत्पाद)	-	63272
82.	अन्य (जैविक उर्वरक)	258000	16445970
83.	फार्मा जिलेटिन	-	4336406
84.	इसिनग्लासि	44000	487699
85.	जिलेटिन, खाद्य ग्रेड और कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं	51681	730797
86.	हड्डियों, खाल और इसी तरह की वस्तुओं से प्राप्त गोंदय मछली गोंद	1050	378240
87.	अन्य (जेली गोंद)	-	1425833
88.	अन्य (सिनर्जी)	4202	-
89.	अन्य	175	241941
90.	गाय का, गाय के बछड़े सहित	-	9368195
91.	अन्य (ऑक्सग हीफर हाइड्स)	-	1855571
92.	भैंस का, भैंस का बछड़ा सहित	-	41425

93.	अन्य	-	1644080
94.	लैम्ब पेल्ट्स	-	286900
95.	अन्य (बकरी)	-	343455
96.	भेड़ की खाल	-	2747200
97.	मेमने की खाल	-	625056
98.	गीली अवस्था में (वैट–ब्लू सहित)	11557	9589230
99.	अन्य	34000	2416817
100.	टैनिंग के बाद तैयार गीली अवस्था में (वैट–ब्लूं सहित)	-	11663151
101.	ग्रेन स्पैलिट्स	63930	9976256
102.	चमड़ा (टैक्चर्ड, जेनुईन, क्रस्ट, मेटलाइज्ड लैदर आदि)	-	85735
103.	अन्य (तैयार चमड़ा)	1596373	730479
104.	बकरियों या मेमनों का	-	261307
105.	बोवाइन का	-	421740
106.	पेटेंट चमड़ा और पेटेंट लेमिनेटिड चमड़ा	-	148235
107.	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार के साथ कम्पोजिशन चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी में, चाहे रोल में हो या नहीं	-	2222036
108.	मेमने से, निम्नलिखितः आस्ट्राखान, ब्रॉडटेल, काराकुल, पर्शियन और इसी तरह के मेमने, भारतीय, चीनी, मंगोलियाई या तिब्बती मेमने, पूरे, सिर, पूंछ या पंजे के साथ या बिना	-	23757
109.	अन्य जानवरों की हाईड और स्किन,हेयर ऑन, टैन्ड या ड्रैस्ड सहित	-	10693162
110.	सिर, पूंछ, पंजे और अन्य टुकड़े या कटिंग, संग्रहित नहीं	-	73000, 48405
111.	पूरी खाल और उसके टुकड़े या कतरनें, इकट्ठी की हुई	-	37854
112.	अन्य	-	395698
113.	अन्य (ऊन)	-	42244869
114.	शौर्न ऊन	23304	4793320
115.	ग्रीसी ऊन	-	40357508
116.	अन्य (सुअर और बोर ब्रिसल्स को छोड़कर)	84351	-
117.	ऊन	22671	127933
118.	वूल टॉप्स	7707922	-
119.	अन्य (फाईन पशु बाल)	-	1000
120.	फेदर या डाउन फिल्ड़ बैग	-	471702
121.	बैडमिंटन शटल कॉक	-	1493967
122.	जिलेटिन कैप्सूल, खाली	2353137	945839
123.	अन्य यदि कोई हो	1850628	340972

विभाग द्वारा स्वीकृत राज्यवार एमवीयू

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत एमवीयू की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
2	आंध्र प्रदेश	340
3	अरुणाचल प्रदेश	25
4	असम	159
5	बिहार	307
6	चंडीगढ़	-
7	छत्तीसगढ	163
8	दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली	-
9	दिल्ली	3
10	गोवा	2
11	गुजरात	127
12	हरियाणा	70
13	हिमाचल प्रदेश	44
14	जम्मू और कश्मीर	6
15	झारखंड	236
16	कर्नाटक	275
17	केरल	29
18	लद्दाख	9
19	लक्षद्वीप	9
20	मध्य प्रदेश	406
21	महाराष्ट्र	80
22	मणिपुर	33
23	मेघालय	17
24	मिजोरम	26
25	नागालैंड	16
26	ओडिशा	181
27	पुदुचेरी	1
28	पंजाब	70
29	राजस्थान	536
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	245
32	तेलंगाना	100
33	त्रिपुरा	13
34	उत्तर प्रदेश	520
35	उत्तराखंड	60
36	पश्चिम बंगाल	218
	कुल	**4332**

एफएमडी के लिए टीकाकरण किए गए पशुओं का राज्यवार प्रतिशत विवरण

राज्य	दूसरे चरण के लिए लक्षित गोपशु और भैंस आबादी	टीकाकरण किए गए कुल गोपशु	टीकाकरण किए गए पशुओं का %
आंध्र प्रदेश	97,37,650	94,63,031	97%
छत्तीसगढ	99,83,400	88,38,344	89%
केरल	12,99,150	11,93,930	92%
मध्य प्रदेश	2,17,11,650	1,91,93,752	88%
ओडिशा	1,02,62,294	90,55,146	88%
तमिलनाडु	90,00,750	86,33,141	96%
तेलंगाना	7918650	6117715	77%
पुदुचेरी	74,150	58,262	79%
बिहार	2,07,16,140	1,84,02,001	89%
गोवा	70,850	53,548	76%
हिमाचल प्रदेश	21,15,750	17,10,732	81%
झारखंड	1,22,48,700	17,77,408	15%
कर्नाटक	1,14,53,500	99,45,846	87%
महाराष्ट्र	1,80,24,950	1,68,78,945	94%
राजस्थान	1,75,78,400	97,64,011	56%
उत्तर प्रदेश	46880810	38158801	81%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	22,250	17,099	77%
गुजरात	1,59,83,100	1,54,69,857	97%
अरुणाचल प्रदेश	3,45,500	1,60,000	46%
असम	66,78,567	51,27,739	77%
हरियाणा	60,00,000	52,82,852	88%
मणिपुर	2,60,700	2,06,030	79%
मेघालय	9,19,300	2,99,539	33%
मिजोरम	16,900	14,375	85%
नागालैंड	88,028	34,207	39%
पंजाब	63,30,000	58,61,674	93%
सिक्किम	1,46,950	65,941	45%
त्रिपुरा	7,46,150	4,33,281	58%
उत्तराखंड	20,50,000	19,00,594	93%
पश्चिम बंगाल	1,49,78,269	1,29,99,219	87%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,550	8,247	96%
चंडीगढ़	18,900	18,900	100%
दिल्ली	1,37,850	1,30,469	95%
जम्मू और कश्मीर	28,44,850	25,76,449	91%
लद्दाख	1,04,500	82,055	79%
लक्षद्वीप	1,150	942	82%
कुल	25,67,58,308	20,99,34,082	82%

ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण किए गए पशुओं के राज्यवार प्रतिशत का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य, क्षेत्र	लक्षित बोवाईन बछड़ों की आबादी	संचयी टीकाकरण	टीकाकरण किए गए पशु (%)
1	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,260	469	37%
2	ओडिशा	4,49,000	4,49,000	100%
3	गुजरात	7,56,645	7,31,125	97%
4	चंडीगढ़	3,450	2,300	67%
5	हरियाणा	5,00,000	2,01,516	40%
6	तेलंगाना	5,45,270	4,08,396	75%
7	दिल्ली	18,000	14,976	83%
8	मणिपुर	43,800	15,506	35%
9	मिजोरम	3,800	910	24%
10	कर्नाटक	10,00,000	8,93,146	89%
11	सिक्किम	25,000	4,671	19%
12	पश्चिम बंगाल	22,26,700	21,55,910	97%
13	पंजाब	6,50,000	2,33,860	36%
14	लद्दाख	8,100	4,283	53%
15	उत्तराखंड	3,86,000	1,71,217	44%
16	मेघालय	94,000	12,365	13%
17	त्रिपुरा	37,550	10,318	27%
18	मध्य प्रदेश	45,10,000	30,56,710	68%
19	झारखंड	11,40,260	6,35,028	56%
20	छत्तीसगढ	5,57,934	3,44,436	62%
21	नागालैंड	7,010	2,132	30%
22	आंध्र प्रदेश	10,80,000	9,71,968	90%
23	गोवा	1,200	1,195	100%
24	उत्तर प्रदेश	70,46,129	49,16,005	70%
25	जम्मू और कश्मीर	4,76,634	1,01,846	21%
26	महाराष्ट्र	29,06,832	3,58,163	12%
27	पुदुचेरी	9,000	-	
28	अरुणाचल प्रदेश	61,486	10,304	17%
29	असम	13,71,543	3,74,664	27%
30	बिहार	24,37,000	-	
31	हिमाचल प्रदेश	3,75,000	60,543	16%
32	राजस्थान	25,55,390	-	
33	केरल	2,53,240	25,923	10%
34	लक्षद्वीप	250	-	-
35	तमिलनाडु	24,00,000	-	-
36	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	-	-
	कुल	**3,39,37,483**	**1,61,68,885**	**48%**

वर्ष 2022 (जनवरी–दिसंबर) के दौरान भारत में पशुधन रोगों की प्रजाति–वार घटनाएं

क्र.सं.	रोग	प्रजातियां	प्रकोप	अटैक	मौत
1	खुरपका और मुंहपका रोग	बोवाईन	24	338	29
2	हैमरेजिक सेप्टिकेमिया	बोवाईन	117	517	48
		चमड़ा	9	54	1
		कुल	126	571	49
3	एंथ्रैक्स	बोवाईन	2	2	2
		ओ/सी	3	6	6
		कुल	5	8	8
4	शीप और गॉट पॉक्स	ओ/सी	8	270	82
5	ब्लू टंग	बोवाईन	2	15	0
6	सीसीपीपी	ओ/सी	1	16	16
7	एम्फिस्टोमियासिस	बोवाईन	3	129	
		ओ/सी	1	75	
		कुल	4	204	0
8	स्वाइन फीवर	स्वाइन	17	335	118
9	सालमोनेलोसिज	एवीयन	43	238646	11604
10	कोसीडिओसिस	बोवाईन	1	100	0
		एवियन	11	7790	269
		कुल	12	7890	269
11	रानीखेत रोग	एवियन	14	6122	1371
12	फाउल पॉक्स	एवियन	21	6537	844
13	मारेक रोग	एवियन	2	5	5
14	आईबीडी	एवियन	25	5715	2763
15	कॉरीजा	एवियन	2	110	0
16	सीआरडी	एवियन	13	23923	2033
17	कैनाइन डिस्टेम्पर	कैनाइन	3	2518	69
18	रेबीज	कैनाइन	1	6	0
19	बेबेसियोसिस	बोवाईन	28	191	0
20	ट्रिपैनोसोमोसिस	बोवाईन	22	421	1
21	पीपीआर	ओ/सी	17	1099	224
22	एनाप्लोसमोसिस	बोवाईन	25	41	0
23	ब्रुसेलोसिस	बोवाईन	1	59	0
24	थेलीरियोसिस	बोवाईन	36	387	2
25	एवियन इन्फ्लुएंजा (घरेलू)*	एवियन			
26	ग्लैंडर्स #	इक्वाइन	4	7	4

* मारे गए पक्षी

3 मारे गए पशु

पशुपालन और डेयरी विभाग के लेखा संगठन

प्रयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर

एआई	कृत्रिम गर्भाधान
एआईसी	कृत्रिम गर्भाधान केंद्र
एएमएफ	निर्जल दूध वसा
एपीईडीए	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीएचसीए	एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग
एएससीएडी	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
बीई	बजट अनुमान
बीजीसी	बोवाईन जननांग कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस
सीएडीआरएडी	पशु रोग अनुसंधान और निदान केंद्र
सीएएलएफ	पशुधन एवं आहार में विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र
सीबीपीपी	संक्रामक बोवाईन प्लूरो–निमोनिया
सीसीबीएफ	केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म
सीडीडीएल	केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला
सीएफएफ	कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण भ्रूण
सीएफएसपीटीआई	केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान
सीएफवी	कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण वेनेरेलिस
सीएचआरएस	केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना
सीएमयू	केंद्रीय निगरानी इकाई
सीपीडीओ	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीएसबीएफ	केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म
सीएसएफ	क्लासिकल स्वाइन फीवर
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीवीई	सतत पशु चिकित्सा शिक्षा
डीसीजीआई	भारत के औषधि महानियंत्रक
डीईडीएस	डेयरी उद्यमिता विकास योजना
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीएमआई	विपणन और निरीक्षण निदेशालय
डीएमएस	दिल्ली दुग्ध योजना
ईईजेड	अनन्य आर्थिक क्षेत्र

ईएसवीएचडी	पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और मौजूदा का सुदृढ़ीकरण
ईटीटी	भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफएमडी	खुरपका और मुंहपका रोग
एफएमडी–सीपी	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
एचएसीसीपी	जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु
आईएएसआरआई	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
आईबीएम	इन बोर्ड मोटर
आईबीआर	संक्रामक बोवाईन राइनोट्रेकाइटिस
आईडीडीपी	सधन डेयरी विकास कार्यक्रम
आईजीएफआरआई	भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान
आईएनएपीएच	पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईएसएस	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण
आईयूयू	अवैध, अनियमित और असूचित
जेडी	जॉन रोग
एमसीएस	मॉनिटरिंग, नियंत्रण और निगरानी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलपी	प्रमुख पशुधन उत्पाद
एमएमएसआरटी	मोबाइल सैटेलाइट सेवा रिपोर्टिंग टर्मिनल
एमएसपी	न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनडीपी	राष्ट्रीय डेयरी योजना
एनडीआरआई	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
एनजीसी	नई पीढ़ी की सहकारी समितियां
एनआईएएचओ	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनएलडीबी	राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन

एनपीबीबी	राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम
एनपीबीबी और डीडी	राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम
एनपीसीबीबी	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
एनपीआरएसएम	राष्ट्रीय रिंडरपेस्ट निगरानी और मानीटरिंग परियोजना
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
ओबीएम	आउट बोर्ड मोटर
ओआईई	अंतर्राष्ट्रीय एपिजूटीज कार्यालय
ओएनबीएस	ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग सिस्टम
पीईडी	व्यावसायिक दक्षता विकास
पीपीआर	पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
पीटीपी	संतति परीक्षण कार्यक्रम
पीवीसीएफ	कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष
क्यूआर	मात्रात्मक प्रतिबंध
आरडीडीएल	क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफडी	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज
आरजीएम	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईए	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी
एसआईपी	स्वच्छता आयात परमिट
एसआईक्यू और सीएमपी	गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण को मजबूत करना
एसएलबीटीसी	राज्य पशुधन प्रजनन एवं प्रशिक्षण केन्द्र
एसएलसीएएनजीआर	पशु आनुवंशिक संसाधनों संबंधी राज्य स्तरीय समिति
एसएलएसएमसी	राज्य स्तरीय संस्वीकृति एवं निगरानी समिति
एसएमपी	स्किम्ड दूध पाउडर
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसएससीसी	राज्य वीर्य संग्रह केंद्र
एसएसयू	द्वितीय चरण इकाई
टीसीडी	पशुपालन सांख्यिकी में सुधार के लिए तकनीकी निर्देशन समिति
टीसीएमपीएफ	तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ

टीआरक्यू	टैरिफ दर कोटा
टीएसयू	तृतीय चरण इकाई
यूबीकेवी	उत्तर बंग कृषि विश्व विद्यालय
वीसीआई	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना
वीएमएस	पोत निगरानी प्रणाली

सत्यमेव जयते

पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

Department's Website : https://www.dahd.nic.in • Farmer's Portal : http://www.farmer.gov.in

@Dept_of_AHD @DeptofAHD https://apps.mgov.in/details?appid=1526